लोक-सभा

सोमवार,
८ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २६ जुलाई, १६५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२६ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . २६३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२ से १२५ ३५८–३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २६२, २६५ से २६६, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०६, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २६३, ३०६, ३१३ और ३०८ . ३८३–४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २६४, ३००, ३०१ और ३१० . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४६, ३५१, ३५२ और ३५४ . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३६, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . ४८५–४८६

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५६, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७६ से ३८४, ३८६ से ३६२, ३६५, ३६८ से ४०० और ४०२ . ४६६ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . ५४५ ५४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६६, ३७६, ३७८, ३८५, ३६३, ३६४, ३६६, ३६७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . ५४६ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १६८ ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक सभा

सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली उपनगरीय सेवा

*५०४. **श्री राधा रमण** : क्या रेलवे मंत्री २२ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२ उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पटेल नगर, दिल्ली के निकट रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है ;

(ख) क्या दिल्ली में ऐसे और भी स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कहां और कब; और

(घ) क्या यह दिल्ली के चारों ओर वृत्ताकार रेल सेवा की किसी बृहत्तर योजना का ही एक अंग होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अभी निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है किन्तु पश्चिमी पटेल नगर के निकट एक रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है और आशा है कि इसे जुलाई १९५६ तक क्रियान्वित किया जायेगा।

(ख) कोई निश्चित प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) दिल्ली के चारों ओर वृत्ताकार रेल सेवा की योजना अभी केवल अनुसंधानात्मक स्थिति में है।

श्री राधा रमण : पटेल नगर में निर्माण किये जाने वाले स्टेशन का क्या नाम होगा; उस पर कितनी लागत लगेगी तथा सरकार के विचारानुसार वह कब तक कार्य करने योग्य हो जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं इस समय सही लागत नहीं बता सकता क्योंकि यह ज़मीन के लिये व्यय की जाने वाली रकम पर निर्भर है किन्तु हम आशा करते हैं कि यह स्टेशन अगले वर्ष जुलाई तक यातायात के लिये खुल जायेगा।

श्री राधा रमण : क्या इस स्टेशन को विनयनगर तथा लाजपतनगर बस्तियों से मिलाया जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस समय हमारे पास कोई निश्चित प्रस्थापनायें नहीं हैं।

श्री मात्तन : दिल्ली परिवहन की गाड़ियों में संख्या, यहां तक कि नाम भी – सभी चीजें हिन्दी में लिखी रहती हैं। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हिन्दी से अनभिज्ञ जनता के लाभ के लिये कम-से-कम संख्यायें अंग्रजी में भी लिखी जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रस्तुत प्रमुख प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री राधा रमण : क्या दिल्ली सरकार ने वृत्ताकार रेलवे की योजना को, जिसकी

दिल्ली में अत्यधिक आवश्यकता है, शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये कोई अभ्यावेदन भेजा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैं अपने उत्तर में पहिले ही बता चुका हूं, दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे की योजना अनुसंधानात्मक स्थिति में है । यों तो हम ने उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक से अभीक्षण सर्वेक्षण करने को कहा है और आशा है कि उसके प्राक्कलन शीघ्र ही हमारे पास आयेंगे ।

बम्बई में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र

*५०५. **श्री बर्मन** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र, ने किनारों से दूर मछली पकड़ने के स्थानों का कितना रेखांकन कर लिया है;

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की वाणिज्यिक संभावनाओं की कहां तक जांच पड़ताल की गई है ; और

(ग) १९५२ स किस परिमाण में मछलियां पकड़ी गई हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) बम्बई तथा सौराष्ट्र के तट पर ४० फैदम लाइन गहरे समुद्र की रेखा के अन्तर्गत, १७,००० वर्ग मील से ऊपर सर्वेक्षण तथा रेखांकन समाप्त हो चुका है ।

(ख) ग़ैर-सरकारी उद्यम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को वाणिज्यिक स्तर पर चला रहा है ।

(ग) १-१-१९५२ से २५-५-१९५५ तक १००५ टन ।

श्री बर्मन : क्या इस केन्द्रीय उद्यम के परिणामस्वरूप साधारण मछयों की संख्या बढ़ी है या घटी है, तथा उनकी अवस्था पहिले की अपेक्षा अच्छी है या बुरी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्रश्न गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्ध रखता है । मेरे विचार से किसी भी मछुये को हानि नहीं उठानी पड़ी है ।

श्री बर्मन : क्या इस सम्बन्ध में ऐसी कोई प्रस्थापना प्रस्तुत हुई है अथवा ऐसा कोई प्रयोग किया गया है कि सामान्य मछुओं को इंजिन वाली छोटी छोटी नावें दी जांय जिससे कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की जांच-पड़ताल उनके ही द्वारा की जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, हम तटवर्ती समुद्र में यदि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में इस बात का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १९५३ तक किये गये प्रयोग उत्साहजनक नहीं थे, सरकार ने प्राक्कलन समिति के छठे प्रतिवेदन की सिफारिश स्वीकार की है और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र को लेने के लिये किसी सामुद्रिक राज्य से वार्ता की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विस्तृत रूप से विचार किया जा रहा है तथा सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा । अभी कोई उत्तर देना उचित समय से पहले की बात होगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : डीप सी फिशिंग के लिये बम्बई और सौराष्ट्र के किनारों को छोड़ कर और दूसरी जगहों पर भी जो कि समुद्र के किनारे हैं क्या सरकार इस प्रकार का कार्य प्रारम्भ करने पर ध्यान दे रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, फिलहाल सरकार कोचीन और वैस्ट बंगाल में इस काम पर ध्यान दे रही है, और अगली

पंचवर्षीय योजना में बहुत तेज़ी के साथ इस ओर ध्यान दिया जायेगा ।

रेलवे के टिकटों को पुनः बेचना

*५०६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री ३० मार्च, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक बार काम में लाये गये रेल के टिकटों को पुनः बेचने के सम्बन्ध में विगत वर्ष गिरफ्तार हुए कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : किस रेलवे खंड में यह बीमारी (बुरी आदत) सबसे अधिक फैली हुई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यदि माननीय सदस्य मुझे कुछ समय दें तो मैं जानकारी प्राप्त करके उन्हें बताऊंगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री मुझे यह बताने की स्थिति में हैं कि पिछले वर्ष इस प्रकार के कितने अभियोग चलाये गये ?

श्री शाहनवाज़ खां : सभा को कदाचित स्मरण होगा कि श्री रघुनाथ सिंह के द्वारा भी ऐसा प्रश्न पहिले पूछा जा चुका है तथा उसका उत्तर दिया जा चुका है । १९५४ के पत्री वर्ष में ३२ गिरफ्तारियां हुईं ।

श्री डी० सी० शर्मा : जहां तक इन टिकटों के पुनः बेचे जाने का सम्बन्ध है, इसमें अनुमानतः कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जानकारी एकत्र की जा रही है ।

ट्रैक्टरों की महंगी खरीद

*५०८. **श्री डाभी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर १९४८ में उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के इंजीनियरिंग विभाग ने ६,३८८ रुपये के मूल्य का एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा;

(ख) क्या यह भी सच है कि मशीन के खराब होने के कारण उसमें पुर्जे इत्यादि बदलने पर ४,००० रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया और तदुपरांत भी वह चलाया नहीं जा सका; और

(ग) यदि हां, तो इस महंगी खरीद का दायित्व किस पर है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां,

(ख) खरीद के पूर्व इस मशीन को आसाम लोक निर्माण विभाग के यांत्रिक इंजीनियर ने चला कर तथा निरीक्षण करके देखा था तथा उसे "यों तो सन्तोषजनक" बताया था । वस्तुतः समय-समय पर मरम्मत होने के साथ-साथ यह ट्रैक्टर मार्च, १९५० तक चलाया गया । इस ट्रैक्टर को उपयोग में लाने तथा इसकी मरम्मत इत्यादि करने पर ४,००० रुपये व्यय किये गये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डाभी : अब उस ट्रैक्टर का क्या हुआ ?

श्री शाहनवाज़ खां : वह सार्वजनिक नीलाम में बेच दिया गया है ।

श्री डाभी : उससे कितने रुपये वसूल हुए ?

श्री शाहनवाज़ खां : १,५०० रुपये ।

दिल्ली परिवहन सेवा

*५०९. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार द्वारा अभी कितनी बसें चलायी जा रही हैं; और

(ख) क्या इस संख्या से प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ३५२ ।

(ख) योजना के लिये ४०० बसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । यह आशा की जाती है कि अक्तूबर, १९५५ के अन्त तक यह लक्ष्य पूर्णरूप से प्राप्त हो जायेगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो विस्थापित बस्तियां हैं उनमें जो सर्विस अब चल रही है वह अपर्याप्त है, और क्या उसको बढ़ाने की ओर सरकार ध्यान देगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, यह सवाल ज़ेर ग़ौर (विचाराधीन) है ।

श्री नवल प्रभाकर : लेकिन यह कब तक हो सकेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसे जैसे हमारे पास बसों की तादाद बढ़ती जायेगी, यह उसी के साथ साथ होता जायेगा । मैं आनरेबिल मेम्बर को बता दूं कि अगले पांच साल में हमारा इरादा है कि ४६६ और नई बसें रखेंगे, और अगले पांच साल के बाद बसों की तादाद ७३४ हो जायेगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : दिल्ली के यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लये कितनी बसों की आवश्यकता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम आशा करते हैं कि ७३४ बसें हो जाने पर हम यातायात का प्रश्न सरलता से सुलझा सकेंगे ।

नौवहन आयोग

*५१०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारतीय नौवहन की अवस्था पर विचार करने, तथा भारतीय नौवहन उद्योग की अभिवृद्धि के लिये सरकार को परामर्श देने के हित, नौवहन आयोग नियुक्त करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार भारतीय नौवहन समवायों की वर्तमान अवस्था से सन्तुष्ट है, और यदि नहीं, तो उनकी अवस्था सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : जहां तक विकास का सम्बन्ध है, एक योजना है, जो कि प्रथम पांच वर्षों में न्यनाधिक रूप में पूरी की जा चुकी है । जहां तक ऋण स्वीकार करने का सम्बन्ध है, २३ करोड़ से कुछ अधिक रुपयों की व्यवस्था थी । किन्तु हमें २५ करोड़ रुपये की मंजूरी के लिये योजना आयोग से आवेदन करना होगा । इससे यह ज्ञात होता है कि ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं । जहां तक टनभार का सम्बन्ध है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६ लाख टन का लक्ष्य निश्चित किया गया था । यद्यपि टेकनीकल रूप से प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूरी होने के पूर्व लक्ष्य तक पहुंचना सम्भव नहीं होगा, तथापि कुछ समयोपरांत हम लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे । हम ने द्वितीय पंच-

वर्षीय योजना की अवधि के लिये भी एक योजना बनाई है तथा वह इस समय योजना आयोग के अधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या विज़ाग शिपयार्ड को जो आर्डर दिये गये थे उनका यथोचित समय में पालन कर दिया गया, यदि नहीं, तो उसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अलगेशन : विज़ाग शिपयार्ड को दिये गये आर्डरों को पूरा करने के सम्बन्ध में विलम्ब हुआ है । यह कार्य अन्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि वे इस पर उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मैथ्यू : संसार के नौवहन के मुकाबले में हमारे नौवहन का क्या प्रतिशत है ?

श्री अलगेशन : एक प्रतिशत से भी कम ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह सच है कि संसार के नौवहन के मुकाबले में हमारा नौवहन केवल आधा प्रतिशत है ?

हैज़ा

*५११. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या डाक्टरी गवेषणा परिषद् द्वारा हैज़े की स्थानिकता का अध्ययन समाप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उनकी सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या परिषद् में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थानिकता के संसारव्यापी सर्वेक्षण से भी सम्बन्धित रहा हो ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) उक्त कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस बात का अध्ययन करने में इतनी देर क्यों होती है ? १९५३ में सरकार ने कहा था कि इस विषय पर अध्ययन हो रहा है । इस अध्ययन के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम अनुसन्धान कार्य की निश्चित अवधि नहीं बता सकते । दो बार अध्ययन किया गया । परिषद् ने पहली बार इस बात के लिए अध्ययन आरम्भ कराया कि उन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की जाय जहां हैज़े का दौरा रहता है । इस बात को पूरा करके अब दो विभीषिका क्षेत्रों में इस बात का अनुसन्धान चल रहा है कि हैज़ा की स्थानिकता कितनी है । वह काम अभी भी जारी है और जब तक हमें उनसे रिपोर्ट नहीं मिलेगी, हम यह नहीं कह सकते कि इसका अध्ययन कब पूरा होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैज़ा की स्थानिकता के बारे में जांच की और उन्होंने भारत के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या डाक्टरी परिषद् के अध्ययन के परिणाम पर ही उन सिफारिशों की कार्यान्विति निर्भर होगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमारे उस अध्ययन के परिणाम के आधार पर इस मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एन० बी० चौधरी : जिन क्षेत्रों से हैज़ा के आतंक का संवाद मिला है क्या वहां

इस बीमारी को रोकने के लिये तब तक के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई या की जाने वाली है जब तक सर्वेक्षण पूरा न हो ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरा विचार है कि इस सर्वेक्षण के पूरा होने पर हम उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जब तक यह सवक्षण पूरा होगा क्या तब तक हैज़ा वाले क्षेत्रों में इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जहां कहीं भी हैज़ा फैला हुआ है वहां उसकी रोकथाम के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

डाक-घर

*५१२. **श्री इब्राहीम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन गांवों की संख्या कितनी है जहां ३१ मार्च, १९५५ के बाद से २,००० से अधिक जनसंख्या है किन्तु कोई भी डाक-घर नहीं खोला गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सभा-पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री एन० एम० लिंगम् : उन गांवों में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है जहां विगत जनगणना के अनुसार २,००० से ज़रा कम लोग रहते हैं ? डाक-घर खोलने के प्रयोजनार्थ किस वर्ष की जनसंख्या पर विचार किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : १९५१ की जनगणना के आधार पर । जहां तक निकटवर्ती जनसंख्या वाले गांवों का सम्बन्ध है, वे प्रायः वर्ग-प्रणाली में आते हैं जिसके अनुसार गांवों के उन सभी वर्गों के लिए, जिनकी जनसंख्या २,००० या उससे अधिक हो और जो दो मील के अर्द्धव्याब में स्थित हों, डाक-घर खोले गये है ।

सेठ अचल सिंह : उत्तर प्रदेश में ऐसे दो हज़ार की आबादी वाले गांव कितने हैं जहां कि पोस्ट आफिसेज़ नहीं खुले हुए हैं ?

श्री राज बहादुर : उत्तर प्रदेश का तो ऐसा सौभाग्य है कि एक गांव भी ऐसा नहीं है जिसकी कि आबादी दो हज़ार की हो और जिसमें डाकखाना न हो ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या २,००० जनसख्या वाले गांवों में इसीलिए डाक-घर नहीं खोले जाते कि वहां आशानुकूल आय प्राप्त नहीं होगी ?

श्री राज बहादुर : क्या माननीय सदस्य पुनः प्रश्न पूछेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या २,००० जनसंख्या वाले गांवों में इसी बात के आधार पर डाक-घर नहीं खोले जाते कि वहां आशानुकूल आय प्राप्त नहीं होगी ।

श्री राज बहादुर : हां, श्रीमान् । हम ने इस बात के लिए कुछ सीमायें निर्धारित की हैं कि डाक-घर खोलते समय सम्बद्ध विभाग कहां तक हानि को सहन कर सकेगा । देश भर में ऐसे २२ स्थान हैं जहां इसलिए डाक-घर नहीं खोले गये क्योंकि उनके खोले जाने से विहित सीमा से अधिक हानि होती । कई क्षेत्रों के लिए हम ने हानि की सीमा ७५० रुपये रखी है और कई अन्य क्षेत्रों के लिए १,००० रुपये । यदि इस सीमा से अधिक हानि उठानी पड़ती हो तो प्रायः डाक-घर नहीं खोले जा सकते ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*५१३. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २८ अप्रल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के

कार्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : इस समय राज्य सरकारों के परामर्श से द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार किया जा रहा है । ब्योरे का अन्तिम रूप से निश्चय हो जाने के पश्चात्, यदि आवश्यकता हुई तो, केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की सामर्थ्य को बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम उससे कहीं आगे बढ़ गये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इसका ध्यान रखेगी कि आगे से प्रत्येक स्टेट में जो ट्रैक्टर्स दिये जायें तो वह ट्रैक्टर गरीबों को और कम रक़बे की खेती करने वालों को दिये जायें और बड़े बड़े लोगों व धनिकों को न दिये जायें ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सवाल सी० टी० ओ० की निस्बत है, ट्रैक्टर्स के सम्बन्ध में हमारी क्या पालिसी होनी चाहिये उसके सम्बन्ध में नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम् : द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सहकारिता में राज्य कहां तक और कितना भाग लेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्रश्न चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण हो, मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या अब तक केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : वे सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं । उनमें से जो उपयुक्त तथा स्वीकार करने योग्य होंगी उन्हें क्रियान्वित कर दिया जायेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : इसके तात्पय यह हैं कि कुछ अनुचित सुझाव भी रखे गये हैं

सहकारिता सम्मेलन

*५१४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ अप्रल, १९५५ को सहकारिता के सम्बन्ध में हुए राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में क्या निश्चय किया गया; और

(ख) उनमें से कितने निश्चय अब तक क्रियान्वित किये जा चुके हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]**

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कोआपरेटिव सोसाइटियों का जो अनुभव है उसको देखते हुए सरकार आगे कोआपरेटिव सोसाइटियों को प्रगतिशील बनाने के लिए कोई योजना बना रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । मुझे खेद है कि बिहार के सभी सदस्य अपने सूबे की कोआपरेटिव की बदनामी यहां पर करते हैं, उन्हें उसकी कार्यवाही से सतोष नहीं है, यह मैं जान चुका हूं, पर हम कोशिश करते हैं कि हर जगह कोआपरेटिव के ज़रिये काम हो और ठीक तरीके से काम हो ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सारे देश की कोआपरेटिव सोसाइटियों की जांच करके कोई कंस्ट्रक्टिव कदम उठायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, इसके सम्बन्ध में सैंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तय किया है और इसके लिए एक बिल भी आने वाला है और मैं समझता हूं कि उसके बाद काफ़ी तरक्की इस चीज़ में होगी ।

श्री विभूति मिश्र : जब तक उसकी तरक्की हो, तब तक के लिए सरकार क्या कुछ ऐसा इन्तज़ाम करेगी कि गांव वालों को कोआपरेटिव सोसाइटियों के मार्फत खाद, बीज और दूसरी आवश्यक चीज़ें सुविधा से मिल सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारी तो कोशिश यही रहती है, मगर स्टेट गवर्नमेंट्स कभी कभी इन चीज़ों को नहीं पसन्द करतीं, क्योंकि जैसा कि आनरेबुल मेम्बर ने बयान किया कि कहीं कहीं उनका अनुभव कुछ अलग आता है, तो फिर वह कोआपरेटिव के ज़रिये से उसका डिस्ट्रिब्यूशन नहीं कराती हैं और और लोगों से कराती हैं ।

रेल दुर्घटना

*५१६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ अप्रैल १९५५ को ६ बज कर २० मिनट पर पूर्वोत्तर रेलवे के कुढ़नी तथा तुर्की स्टेशनों के बीच, मालगाड़ी के २१ डिब्बे पुल से नीचे नदी में गिर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १३-४-१९५५ को शाम के लगभग ६ बजकर २० मिनट पर जब ९५४ डाउन एक्सप्रेस माल गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर–समस्तीपुर सेक्शन के कुढ़नी और तुर्की स्टेशनों के बीच जा रही थी, पुल नं० २३ के पास २१।२० मील के बीच उसके १३ डिब्बे, न कि २१ डिब्बे जैसा कि सवाल में कहा गया है, पटरी से उतर कर उलट गये । इनमें से कोई डिब्बा नदी में नहीं गिरा, जैसा सवाल में कहा गया है ।

(ख) रेलवे अफ़सरों की एक कमेटी ने इस घटना की जांच की थी । कमेटी का कहना है कि तेज़ आंधी के कारण गाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गये ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी बातें अधिक नार्थ ईस्टर्न रेलवे में ही क्यों हुआ करती हैं ? हर महीने इस प्रकार की घटनायें होती हैं ।

श्री शाहनवाज़ खां : शायद तेज़ आंधी वहां बहुत ज्यादा आती है ।

सहकारी संस्थाएं

*५१९. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मई, १९५५ को कुल कितनी सहकारी उपभोक्ता संस्थाएं तथा कितनी सहकारी उधार संस्थाएं अथवा बैंक कार्य कर रहे थे; और

(ख) रेलवे ने अब तक उन पर कुल कितना रुपया व्यय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) (१) उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं––७३ (२) सहकारी उधार संस्थाएं बैंक––३१

(ख) ९३,३१० रुपये ४ आने ९ पाई ।

श्री के० पी० सिन्हा : इन संस्थाओं के प्रशासन तथा संस्थापन में कुल कितना व्यय होता है तथा उन्होंने कितनी सहायता दी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हमारे बोर्ड में इस प्रयोजन के लिये एक विशेष पदाधिकारी है । इसके

अतिरिक्त हमने रेलवे में ६ निरीक्षक नियुक्त किये हैं। मैं इस समय कुल संस्थापन-भार को नहीं बता सकता हूं।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या संस्थाओं को ब्याज रहित ऋण देने की भी कोई व्यवस्था है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं।

श्री विश्वनाथ राय : क्या रेलवे से सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं में से किसी ने अब तक किसी ठेकेदार के स्थान में रेलवे का कार्य किया है ?

श्री अलगेशन : ये उपभोक्ता संस्थायें तथा उधार संस्थायें हैं। रेलवे में कोई कार्य नहीं कर रही हैं।

नौवहन

*५२०. **श्री नाथादास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पोतों को स्केन्डिनेविया के पत्तनों को अथवा वहां के पत्तनों से सामान लाने की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या स्केन्डिनेविया के पोतों को भारतीय पत्तनों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति है;

(ग) यदि भाग (क) और भाग (ख) का उत्तर हां में है तो भारतीय नौवहन समवायों के साथ विभेदपूर्ण व्यवहार का क्या कारण है; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). इस प्रश्न से दो पृथक् सवाल उत्पन्न होते हैं :—

(१) पत्तनों की सुविधाओं का उपयोग; और

(२) माल को चढ़ाने व उतारने का अधिकार।

जहां तक पत्तनों की सुविधाओं का प्रश्न है स्थिति यह है कि भारतीय पत्तनों पर यह सुविधायें बिना किसी भेदभाव के सभी राष्ट्रों के लिये उपलब्ध हैं। यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि स्केन्डिनेविया के पत्तनों पर इस सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है।

जहां तक माल के ले जाने का प्रश्न है, यह सच है कि भारतीय पोत स्केन्डिनेविया के पत्तनों पर माल उतारते या चढ़ाते नहीं हैं। किन्तु यह भारतीय–ब्रिटेन–महाद्वीप सम्मेलन के समवायों के समझौते के कारण है जिसके अन्तर्गत इस पथ का स्केन्डिनेविया व्यापार केवल स्केन्डिनेविया के पोतों के द्वारा ही होगा।

यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय नौवहन समवायों ने सम्बद्ध नौवहन समवायों से इस व्यवस्था के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वार्ता आरम्भ की है। इसलिये इस समय भारत सरकार के हस्तक्षेप करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कार्प मीनक्षेत्र

*५२१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्प मीनक्षेत्र में मछलियों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी कार्प मछलियां पकड़ी गईं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, अन्तर्देशीय मीनक्षेत्रों का विकास जो कि अधिकांश कार्प मछलियों से सम्बन्ध रखता है।

(ख) कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार ने अपने पदाधिकारियों अथवा मत्स्य विशेषज्ञों को विदेशों में कार्य पालन के विस्तृत अध्ययन को भेजा है ?

डा० पी०एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में कृत्रिम मत्स्य पालन के विस्तृत उपयोग के लिये कोई योजना है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हां वर्तमान पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजना थी; द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह सम्मिलित की जायेगी ।

श्री वी० पी० नायर: क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कार्प मछलियों के प्रकार की मछलियों की कृत्रिम वृद्धि से मत्स्य उत्पादन, विशेषत: ताज़े पानी में रहने वाली मछलियों का उत्पादन—अल्प समय में ही बहुत बढ़ सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां, सरकार कुछ मामलों में इस प्रकार की बात जानती है ।

अतिरिक्त विभागीय डाकघर

*५२२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री १६ अप्रैल, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसके बाद कितने अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को विभागीय डाकघर बनाया गया है;

(ख) १५ अगस्त, १९४७ से अब तक प्रत्येक सर्किल में इस प्रकार कितने डाकघर परिवर्तित किये गये हैं; और

(ग) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को धीरे धीरे विभागीय डाकघरों में परिवर्तित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १-१-५५ से ३०-६-५५ तक—१०७

(ख) एक विवरण-पत्र जिसमें मांगी हुई जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ग) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और उप-डाकघर साधारणतया विभागीय डाकघरों में तब परिणत होते हैं जब कि कार्य-भार पांच घंटे से अधिक का होता है और जब ये प्रस्ताव विभागीय नियमों के अनुसार जांचे जाते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि अब तक पिछले आठ वर्षों में केवल ९२९ डाकघरों को विभागीय बनाया गया है, जब कि मैं समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर लगभग ३५ या ४० हज़ार ऐसे डाकघर हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस शिथिलता का क्या कारण है । कौन सी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से इन डाकघरों को विभागीय नहीं बनाया जा सका ?

श्री राज बहादुर: क्योंकि उन में हम को आवश्यक ट्रैफिक नहीं प्राप्त होता है । जहां आवश्यक ट्रैफिक प्राप्त नहीं होता है और जब तक काम पांच घंटे से अधिक का नहीं हो जाता उस समय तक यह विभागीय डाकघर नहीं बनाये जाते ।

श्री भक्त दर्शन: इस विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि जब कि किसी सर्किल में २७२ और किसी में १०९ डाकघरों को विभागीय बनाया गया है तो कहीं पर केवल

४ या ८ को विभागीय बनाया गया है । इस अन्तर का कारण क्या हैं ?

श्री राज बहादुर : यह तो मामूली हिसाब का सवाल है । अगर किसी डाकघर में पर्याप्त ट्रैफिक प्राप्त है और वहां काम पांच घंटे से अधिक का हो चुका है तो वहां हो जायेगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि जो अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के कर्मचारी हटाये जाते हैं उनको कोई नोटिस इस बात के लिये नहीं दिया जाता कि फलां तारीख से उनका काम खत्म होने वाला है ? और क्या इस बात का प्रयत्न किया गया है कि उन्हें अधिक से अधिक विभागीय डाकघरों में लिया जाय और उन्हें डाक विभाग का कर्मचारी माना जाय ?

श्री राज बहादुर : मेरे ख़याल से यह बात लागू नहीं होती क्योंकि किसी अतिरिक्त विभागीय डाकघर को विभागीय डाकघर में परिणत करने के पहले काम की जांच होती है, लिखा-पढ़ी होती है, आंकड़े एकत्र किये जाते हैं, और महीनों तक कार्रवाई होती है, और जब यह कार्रवाई हो जाती है और अच्छी तरह से यह यक़ीन हो जाता है कि फलां अतिरिक्त विभागीय डाकघर विभागीय डाकघर में परिणत करने के योग्य है तब उसको किया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में अगर योग्य व्यक्ति हों और यह मान लिया गया हो कि उनका काम सन्तोषप्रद रहा है, तो क्या उनको विभागीय डाकघरों में लेने के लिये कोई विधान बनाया गया है ?

श्री राज बहादुर अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के जो कर्मचारी हैं उनको भत्ता मिलता है, वह पूरे सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं बता दूं । प्रश्न यह था कि डाकघर के विभागीय हो जाने के बाद वहां के कर्मचारियों को विभाग में लिये जाने की कोई रियायत है या नहीं; उन को दो तीन रियायतें हैं । एक रियायत तो यह है कि उनकी उम्र अगर अधिक भी हो तो भी वह उनके लिये अयोग्यता नहीं होती, इसके लिये उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, दूसरे यह कि जब वह दूसरों के मुकाबले में कम्पिटीशन में आते हैं तो उनको अनुभव के लिये १५ मार्क्स का बोनस दिया जाता है ।

पर्यटन उद्योग

*५२६. **श्री हेम राज** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारत में पर्यटन उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय पर्यटक मंत्रणा समिति की किन किन सिफारिशों को स्वीकार किया है तथा अब तक क्रियान्वित किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : २० अप्रैल १९५५ को हुई केन्द्रीय पर्यटक यातायात मत्रणा समिति की पिछली बैठक में की गई सिफारिशों तथा सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही का एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४]

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में कोई स्थान मध्यम वर्ग के लोगों के पर्यटन के लिये निश्चित किये गये हैं और यदि किये गये हैं तो कहां कहां ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि पर्यटक सुविधाओं के सम्बन्ध में अल्प आय वर्गों के लिये हम क्या कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री अलगेशन : हमारे पास कई पर्यटक स्थानों में युवक छात्रावास बनाने की एक बड़ी योजना है । यह द्वितीय योजना में सम्मिलित है, जिस पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उससे पता चलता है कि पहिले पर्यटन उद्योग के विकास के लिये एक छः वर्षीय योजना बनाई गई थी और अब केवल पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं और इस वर्ष केवल बौद्ध तीर्थ स्थानों का विकास करने का ही प्रयत्न किया जा रहा है, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : कोई अधिक अन्तर नहीं है । जब छः वर्षीय योजना तैयार की गई थी तो योजना आयोग ने यह सोचा कि केवल पंचवर्षीय योजना बनाना अधिक अच्छा होगा, किन्तु इसी बीच में उन्होंने उन निर्माण-कार्यों की स्वीकृति दी है जो चालू वर्ष में पूरे किये जायेंगे । इसलिये इन दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

डा० सुरेश चन्द्र : समिति की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है, और यदि इसकी बैठक वर्ष में केवल एक बार ही होती है तो उसका क्या कारण है ?

श्री अलगेशन : यह सोचा गया है कि इस समय वर्ष में एक बैठक ही पर्याप्त होगी । यदि कार्यवाही में और वृद्धि होगी तो हम एक से अधिक बैठकें कर सकते हैं । हम इस समिति के पुनर्निर्माण का भी विचार कर रहे हैं ।

डा० राम राव : मंत्रणा समिति की सिफारिशों तथा सरकार के विचार में, आंध्र में तथा नागार्जुन कुंड के प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय तथा पुरातत्व केन्द्रों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया, तथा वहां पर्यटन उद्योग को विकसित करने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री अलगेशन : हम अमरावती के विकास करने का प्रयत्न करेंगे ।

लक्कद्वीप से वाष्प नौका सेवा

*५२७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या परिवहन मंत्री १७ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार ने भारत तथा लक्कद्वीप के बीच सीधी सेवा के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा किस तारीख से प्रारम्भ की जाने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मद्रास सरकार ने कोई ऐसी सेवा चलाने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार से ऐसी प्रार्थना कब की गई थी ?

श्री अलगेशन : मद्रास सरकार ने इन द्वीपों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये एक पदाधिकारी नियुक्त किया था । यह प्रतिवेदन १९५२ में प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् राज्यपाल ने भी इन द्वीपों की यात्रा की, तथा कुछ सिफारिशें कीं । हमने मद्रास सरकार से किसी नौवहन समवाय से सेवा प्रारम्भ कराने की सम्भावना खोजने को कहा है । ये द्वीप मद्रास सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं । उन्होंने एक विशेष समवाय से चर्चा की किन्तु वे समवाय को रुपया तथा प्रत्याभूति देने में समर्थ न हो सके, इसलिये उन्होंने केन्द्रीय सहायता की प्रार्थना की जो कि इस समय योजना आयोग के विचाराधीन है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग मद्रास से लक्कद्वीप जाना चाहते हैं उनके लिये बड़ी कठिनाई होती है, साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि यह प्रश्न पिछले तीन वर्षों से लटक रहा है, इस मामले में अन्तिम निश्चय कब किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : यह सच है लेकिन इस द्वीप की आबादी अधिक नहीं है । यहां केवल २५,००० लोग रहते हैं । इन द्वीपों को वर्षा के महीनों को छोड़ कर अवशेष वर्ष नियमित नौवहन सेवा चालू रहती है किन्तु उससे विशेष आय नहीं होती। इसलिये आर्थिक सहायता का प्रश्न उत्पन्न होता है । मेरे विचार से इस प्रश्न का निर्णय शीघ्र ही हो जाना चाहिये ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उपमंत्री के उत्तर से ज्ञात होता है कि यदि कोई सेवा प्रारम्भ की जायेगी तो उसमें हानि होगी । यदि सरकार द्वारा ऐसी सेवा का संचालन किया जायेगा तो अनुमानत: कितनी हानि होगी ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से यह डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रति वर्ष ?

श्री अलगेशन : प्रति वर्ष ।

श्री मात्तन : क्या माननीय मंत्री अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों तक की सेवा की अनियमितता के सम्बन्ध में जानते हैं ? और तो और माननीय सदस्य को यहां आने में भी कठिनाई होती है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह एक भिन्न प्रश्न है ।

श्री अलगेशन : प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है । यह पश्चिमी समुद्र के द्वीपों से सम्बन्धित है ।

टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई

*५२८. **डा० रामा राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार बम्बई के टाटा स्मारक अस्पताल को लेने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : मामला इस समय विचाराधीन है ।

डा० रामा राव : क्या इस अस्पताल को लेन के लिये लगभग ४४½ लाख रुपये देने पड़ेंगे यदि हां तो क्यों, जबकि सरकार को क्षय के आरोग्याश्रम, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से संघर्ष करने के अत्यावश्यक कार्यों के लिये धन की आवश्यकता है तो उन्हें यह बृहत् धनराशि एक ऐसे अस्पताल में अवश्य व्यय करनी चाहिये जिसकी प्रसिद्धि भारतव्यापी है तथा किसी भी सरकारी अस्पताल से कम नहीं है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इन सब बातों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप से निश्चय कर लेने पर विचार किया जायेगा ।

डा० रामा राव : इस प्रकार का संवाद भी मिला है कि सरकार इस कीमत पर इस अस्पताल को इस लिये लेना चाहती है कि वह इस विभाग का विकास कर सके तथा गवेषणा विभाग के कार्य का जो कि सरकार के अधीन है, इस अस्पताल से समन्वय कर सके । क्या मैं जान सकता हूं कि दोनों को एक साथ कार्य करने में वहां क्या कठिनाई अनुभव हो रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यदि यह प्रश्न इससे सरल होता तो कदाचित् मैं समझ सकती ।

अध्यक्ष महोदय : उक्त अस्पताल को लेने का प्रश्न इस कारण उठता है कि सरकार गैर-सरकारी प्रयत्नों का सरकारी प्रयत्नों के साथ समन्वय करना चाहती है । वे साथ साथ

क्यों कार्य नहीं कर सकते ? वे इसे क्यों लेना चाहते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : स्तर ऊंचा उठाने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार यह अस्पताल इसलिये लिया जाना था कि भारतीय कैन्सर गवेषणा का कार्य केवल इसी अस्पताल पर निर्भर है इसीलिये यह प्रश्न विचाराधीन है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ; किन्तु जब तक इसका अन्तिम रूप से निश्चय नहीं हो जाता, हम आगे कुछ नहीं कर सकते । माननीय सदस्य ने जिस धन राशि का ज़िक्र किया है वह केवल प्रयोगिक प्रस्ताव से सम्बद्ध है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप से निश्चय हो जाने पर ही इसका अन्तिम रूप से निश्चय होगा ।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

*५२९. **श्री बी० के० दास** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में अभी तक 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के लिये विभिन्न राज्यों को दी गई रक़म कितनी है ; और

(ख) जिन के लिये यह रक़म मंजूर की गई है वे योजनायें किस प्रकार की हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५**]

श्री बी० के० दास : १९५४–५५ के लिये मंजूर की गई रक़म ३५ करोड़ रुपये से अधिक थी । मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष इतनी कम रक़म क्यों दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् । १९५५–५६ में इसके लिये बजट में ३५·५७ करोड़ रुपये का उपबन्ध है, जिसमें उर्वरकों तथा बीज की योजनाओं के लिये अल्पकालीन ऋण के रूप में १० करोड़ रुपये भी शामिल हैं ।

श्री बी० के० दास : इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्यों द्वारा कितनी रक़म अंशदान के रूप में दी जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जो रक़म हम उन्हें अनुदान के रूप में दे रहे हैं उसका कुछ अंश वे अंशदान के रूप में देंगे । जहां कहीं भी अनुदान दिया गया है, वहां सम्पूर्ण योजना का १२ १/२ प्रतिशत हमारे द्वारा तथा १२ १/२ प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है । अन्यथा ये सब राशियां ऋण के रूप में हैं और इन विभिन्न योजनाओं के लिये अधिकांश धन केन्द्र से दिया जाता है ।

श्री बी० के० दास : इन योजनाओं से उत्पादन में कितनी वृद्धि की आशा की जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : १९५५–५६ के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, किन्तु १९५४–५५ का लक्ष्य ९·८ लाख टन था ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से 'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन के लिये इतना प्रयत्न और इतना धन व्यय करने पर भी कृषि भूमि को खाद्यान्नों के बजाय नक़दी के फसलों के उपयोग में अधिक लाया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इन दोनों बातों में कोई सम्बन्ध नहीं है । 'अधिक अन्न उपजाओ' के लिये ऋण देने तथा कृषिभूमि के ऐसे उपयोग में कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि ये विशेष प्रकार की योजनायें होती हैं और इन के लिये स्वीकृत रक़म विशेष क्षेत्रों की विशेष भूमि में विशेष बातों पर खर्च की जाती है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य और कृषि मंत्रालय में इनके

परिणाम की जांच के लिये कोई एजेंसी (अभिकरण) है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारे यहां कोई एजेंसी (अभिकरण) नहीं है। हम राज्य सरकारों पर निर्भर करते हैं, किन्तु सभा को ज्ञात होना चाहिये कि हम कुछ वर्ष पहले जिस प्रकार अनुदान दिया करते थे उस प्रकार अब नहीं देते और हम अधिकतर रक़म ऋण के रूप में देते हैं। अब उनका दुरुपयोग करने या काम बिगाड़ने का बहुत कम अवसर मिल सकता है।

चावल भांडार

*५३०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में क्विलोन के चावल भांडारगृहों को साफ कराने तथा उनमें पुनः चावल भरने में सरकार को कितनी हानि हुई है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : भारत सरकार ने क्विलोन में भांडारों को साफ करा कर दुबारा चावल नहीं भरवाये हैं। किन्तु राज्य सरकार केन्द्र को चावल देने के लिये उन्हें साफ करा रही है।

श्री ईश्वर रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले तीन वर्षों से यह भांडार वहां पड़ रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्विलोन में त्रावनकोर-कोचीन सरकार का लगभग ६,७०० टन चावल जमा था। यह कई स्थानों से प्राप्त हुआ था और काफी पुराना था। जब हमने उसे लेने को कहा तो हमने अनुरोध किया कि उसे साफ कराया जाना चाहिये और अब ऐसा किया जा रहा है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि इस साफ किये गये चावल का बारह या पन्द्रह प्रतिशत तो बिल्कुल चूर्ण के रूप में है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्होंने कहा है कि उस चावल का लगभग एक तिहाई भाग साफ करने के बाद उन्हें दो तीन प्रतिशत हानि होगी।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार ने पता लगाया है कि इन ७,००० टन चावलों के ख़राब होने के क्या कारण हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह ख़राब नहीं हुआ है। वह क्विलोन में राशनिंग के लिये था। वह एक बड़ी जगह है और कंट्रोल के समय जब वहां राशनिंग किया गया था तब वहां १०,००० टन चावल था।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि राशनिंग के चावल के लिये यह ज़रूरी नहीं कि वह मनुष्यों के खाने योग्य हो ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य मेरी बात को ठीक प्रकार से नहीं समझे। मेरा अभिप्राय यह था कि वहां दुकानों के लिये १०,००० टन चावल मौजूद था। अब हम ने उसे लेने का इकरार किया है और वह उसे साफ करके हमें दे रहे हैं।

अन्न उत्पादन

*५३१. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ और १९५४-५५ में "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के फलस्वरूप देश के अन्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) उक्त अवधि में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन पर कितनी रकम खर्च की गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५२-५३ के आंकड़ों की तुलना

में १९५३-५४ में "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के कारण देश में ७,२१,५६९ टन अन्न की वृद्धि हुई। १९५४-५५ में अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य १२,७४,३७९ टन था। अभी वास्तविक उत्पादन के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) १९५३–५४ में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन पर २०,२९,१७,००० रुपये व्यय हुए। १९५४–५५ के लिये इस कार्य के हेतु भारत सरकार ने ३३,३७,१७,००० रुपये की रकम मंजूर की थी। वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि वैयक्तिक 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के लिये केन्द्रीय अनुदान क्यों कम कर दिये गये हैं ? मैं कमी का प्रतिशत भी जानना चाहता हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो सरकार का एक निश्चय था जिसे राज्य सरकारों ने भी स्वीकार किया था।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि १९५३–५४ और १९५४–५५ में देश के अन्न में कुल वृद्धि कितनी हुई ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह वृद्धि तो कई लाख टन है, जिसमें हमारे अन्य आन्दोलनों के परिणाम भी सम्मिलित हैं। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं किन्तु १९५२–५३ की अपेक्षा १९५३–५४ में ५५ लाख टन की वृद्धि हुई थी । हम १९५४–५५ के लक्ष्य तक भी पहुंच सकेंगे।

कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य-बीमा योजना

*५३६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कर्मचारियों की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को उसके अन्तर्गत कर्मचारियों के परिवारों तक बढ़ाने की सोच रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू होगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). कर्मचारियों की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को बीमा किये गये कर्मचारियों के परिवारों तक बढ़ाने के प्रश्न पर कर्मचारियों के राज्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जा रहा है ।

विमानों का विवश हो कर उतरना

*५३७. **श्री राम दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में ३० जून, १९५५ तक विमानों के विवश होकर उतरने के मामलों में इंडियन एअरलाइन्स कार्पोरेशन के वायुयानों के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) सुरक्षित अवतरण की संख्या कितनी है; और

(ग) इन विवश अवतरणों में जान-माल की हानि कितनी हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २१ ।

(ख) समस्त विवश अवतरण सुरक्षित रूप में सम्पन्न हुए ।

(ग) विवश होकर उतरने के परिणाम-स्वरूप न तो किसी की मृत्यु हुई और न किसी को चोट आई। किसी सम्पति को भी हानि नहीं हुई । केवल एक मामले में नीचे की मशीन के बिगड़ जाने से वायुयान को नुक़सान पहुंचा ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि जो हादसे हुए, उनमें से कितनों के लिये कोई मैकेनिकल डिफ़ेक्ट ज़िम्मेदार थे ?

श्री राज बहादुर : जी हां, लगभग पंद्रह हादसों के लिये मैकेनिकल डिफ़ेक्ट्स ज़िम्मेदार थे ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब गवर्नमेंट ने कोई ज्यादा एहतियात बरतने की तजवीज़ बनाई है जिससे इस किस्म के हादसे आगे न हो सकें ?

श्री राज बहादुर : एहतियात तो जितनी मुमकिन होती है, वह हमेशा ली जाती है । फिर भी कभी कभी मैकेनिकल और दूसरे कारणों से फोर्स्ड लैंडिंग्ज़ हो जाती हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : कल भी एक हो गया ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : वह मैकेनिकल डिफ़ेक्ट की वजह से नहीं हुआ ।

अगरतला में पेचिश का व्यापक रोग

*५३८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि जून १९५५ से अगरतला, त्रिपुरा में पेचिश का व्यापक रोग फैला हुआ है ;

(ख) क्या यह दूषित नल-कूप जल के कारण हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री बीरेन दत्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्रेस का यह समाचार देखा है कि इसी बीमारी के कारण पांच बच्चे मर गये ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने कहा कि पेचिश की कोई घटना नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच किस माध्यम द्वारा हुई थी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैंने यह तो नहीं कहा कि पेचिश की कोई घटना नहीं हुई । मैंने तो यह कहा है कि पेचिश व्यापक रोग के रूप में नहीं है । हम ने अगरतला के मुख्यायुक्त से यह जानकारी प्राप्त की है ।

अ रेल डिब्बों का कारखाना

१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेरम्बूर के अभिन्न रेल डिब्बों के कारखाने के मज़दूरों के लिये एक औद्योगिक आवास योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानित व्यय कितना होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि इस समय उक्त कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के आवास के लिये क्या प्रबन्ध है ?

श्री अलगेशन : हम ने ४०० मकान बनवाये हैं; २०० तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये और २०० तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये; और फैक्टरी में नियोजित किये जाने वाले ४,००० कर्मचारियों का यह लगभग १० प्रतिशत है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या फैक्टरी में काम

करने वाले सभी लोगों को आवास सुविधायें दी गई हैं ?

श्री अलगेशन : नहीं, वे समीपवर्ती नगरों में रहते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस विषय में कोई अभ्यावेदन आया है कि सरकार उनके लिये मकान बनवाये और किस्तों के आधार पर उन्हें ऋण दिये जायें ?

श्री अलगेशन : हमारे पास ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं आया है किन्तु हमें पता चला है कि नई पेरम्बूर फैक्टरी में नियोजित कुछ कर्मचारी सहकारिता के आधार पर मकान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री कामत : क्या सरकार के पास इस समय या द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर इन मजदूरों के लिये कोई एकीकृत आवास योजना नहीं है ?

श्री अलगेशन : जी हां, जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, हम एक बड़े पैमाने पर मकान बनवा रहे हैं और प्रतिवर्ष उनकी संख्या बढ़ रही है ।

श्री कामत : क्या सरकार के पास इस समय या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसी कोई एकीकृत योजना नहीं है ?

श्री अलगेशन : जहां तक हमारा प्रश्न है, हमारे पास एक योजना है ।

पंजाब में कृषि कालिज

*५४२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अपने राज्य में कृषि कालिज खोलने में सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निश्चय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां । पंजाब सरकार ने अपने राज्य के कृषि कालिज को पुनः चलाने के हेतु अनुदान की मांग की थी ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि लुधियाना के कृषि कालिज को उन्नत करने के लिये केन्द्र से आर्थिक सहायता दी जाय । केन्द्र अनावर्तक व्यय का ७५ प्रतिशत देगा तथा राज्य सरकार शेष २५ प्रतिशत अनावर्तक एवं अन्य सब आवर्तक व्यय पूरा करेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में एक और कृषि कालिज स्थापित करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव नहीं भेजा है?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा है, लेकिन हो सकता है कि मेरी बात ठीक न हो ।

श्री डी० सी० शर्मा : प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान भारत में कृषि कालिज खोलने के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य है, तथा राज्यवार क्या लक्ष्य है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास पूरा विवरण नहीं, किन्तु हमने सारी स्थिति को और द्वितीय पंच वर्षीय योजना की आवश्यकताओं सहित, देश में कृषि कालिजों की आवश्यकता को जांचा है और तदनुसार इनमें से कुछ योजनाओं का हिसाब भी लगाया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह देखने की भी कोई योजना बनाई गई है कि कैसे इन कृषि स्नातकों को देश की सामाजिक या कृषि अर्थ व्यवस्था में खपाया जा सकेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । हमारी आवश्यकताएं विशेष योजनाओं और

उन योजनाओं के निष्पादनार्थ कर्मचारीवर्ग की आवश्यकताओं पर निर्भर हैं ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : वास्तव में, हम ने पहले कर्मचारीवर्ग की आवश्यकताओं का हिसाब लगाया है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हम कालिज खोल रहे हैं । और तीन कालिज पंजाब, त्रावनकोरकोचीन और राजस्थान में खोले जायेंगे । हमारी आशा है कि इन सभी कालिजों के खुलने पर हमारे कर्मचारीवर्ग की आवश्यकतायें पूरी होंगी ।

सरदार इकबाल सिंह : पंजाब में यह केन्द्रीय कृषि कालिज कब खोला जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दिया है । एक और कालिज खोला जाने वाला है ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह केन्द्रीय कालिज नहीं बल्कि राज्य का कालिज होगा ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*५४४. **श्री डाभी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १० दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १००२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की कार्यपद्धति सम्बन्धी प्राक्कलन समिति की सातवीं रिपोर्ट के परिच्छेद २३ में दी गई सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). प्राक्कलन समिति द्वारा उसकी अपनी ७वीं रिपोर्ट में की गई केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की कार्यपद्धति सम्बन्धी विविध सिफारशें सरकार के अन्तिम निश्चिय के लिए रुकी पड़ी हैं और ऐसी आशा है कि कुछ एक दिनों में ही निश्चय किया जायगा । की गई या की जाने वाली कार्यवाही का ब्योरेवार विवरण सभा-पटल पर रखा जाने का प्रस्ताव है ।

भूमि पर खेती

*५४५. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५५ तथा १९५४-५५ में कूल कितने एकड़ भूमि पर मशीनों की सहायता से खेती की गई; और

(ख) बिहार में मशीनों की सहायता से खेती की गई भूमि पर अतिरिक्त खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा उत्पन्न की गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) मशीनों की सहायता से कृषियोग्य बनाई गई और खेती की गई भूमि के क्षेत्रफल का प्राक्कलन केवल अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के आधीन आने वाले क्षेत्रों के संबंध में ही प्राप्त है ।

ऐसे क्षेत्रों में १९५३-५४ में मशीनों द्वारा खेती की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल ८.३६ लाख एकड़ है ।

१९५४-५५ के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १९५३-५४ में १३,००० टन ।

श्री इब्राहीम : बंजर भूमि को मशीनों की सहायता से कृषि योग्य बनाने के लिये कृषकों को कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ स्थानों में कुछ तक़ावी बांटी जाती है ।

श्री वीरस्वामी : क्या मशीनों के द्वारा खेती की गई भूमि निर्धन भूमिहीन जनता को दे दी गई है या सरकार के स्वामित्व में है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अधिकांश भूमि वैसे ही कृषकों के स्वामित्व में है । उनमें मशीनों का प्रयोग विभिन्न रीतियों से किया गया है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या बिहार सरकार ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये कुछ बुलडोज़रों की मांग की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

वस्तुभाड़े पर अधिभार

***५४६. डा० राम सुभग सिंह :** क्या परिवहन मंत्री ७ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत में व्यापार करने वाले विदेशी नौवहन समवायों ने कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों से उठाये जाने वाले माल पर ३५ प्रतिशत वस्तुभाड़ा अधिभार लगाने का विनिश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या यह अधिभार लागू होने लगा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). गत अप्रैल में कुछ नौवहन समवायों ने अपना यह विचार प्रगट किया था कि यदि एक निश्चित तिथि तक कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों में काम की स्थितियों में कोई संतोषजनक सुधार न हुआ तो इन बन्दरगाहों पर लदने और उतरने वाले माल पर वस्तुभार अधिभार लगाया जायेगा । सरकार ने अनुभव किया कि यह प्रस्थापना न्यायोचित नहीं थी क्योंकि इन बन्दरगाहों में नौवहन के वापसी चक्करों की स्थिति में सुधार करने के पर्याप्त उपाय किये जा रहे थे । इस सम्बन्ध में किये गये अभ्यावेदनों के फलस्वरूप प्रस्तावित अधिभार लागू नहीं किया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी नौवहन समवाय अब भी वस्तुभाड़ा इत्यादि के सम्बन्ध में भारत को अपनी शर्तें मानने पर बाध्य कर रहे हैं, तो क्या उनके प्रभुत्व को समाप्त करने के लिये सरकार किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : इस विषय पर कई प्रकार से विचार किया जा सकता है । हमारे समुद्रपार के व्यापार की आवश्यकता को देखते हुए अभी हमारा नौवहन टनभार बहुत कम है। यह एक मुख्य कारण है । अपने टनभार को बढ़ाने के लिये हम हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं । दूसरी बात यह है कि हमारे बन्दरगाहों में श्रमिक-प्रदा बहुत कम है । हम ने हाल ही में एक समिति नियुक्त की है जो प्रयोग में लाई गई विभिन्न गोदी श्रमिक योजनाओं की जांच किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है । हम उसकी सिफ़ारिशों की राह देख रहे हैं जिससे कि हम भारत के बड़े बड़े बन्दरगाहों की काम की दशाओं में सुधार कर सकें ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उप-मंत्री ने कहा है कि इन में से कुछ बन्दरगाहों में श्रमिक स्थिति संतोषजनक नहीं है । क्या हमारे कुछ बन्दरगाहों में काम करने वाले कुछ श्रमिक किसी अन्य देश वाले हैं और क्या वे कभी कभी तत्सम्बन्धी देशों से प्राप्त हुए आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं ?

श्री अलगेशन : मैं प्रश्न नहीं समझ पाया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका कारण यह है कि गोदी श्रमिकों में कुछ विदेशी नागरिक भी हैं जो इस देश के हितों का ध्यान रखने के बजाये अपने देश द्वारा दी गई हिदायतों को अधिक मानते हैं ।

श्री अलगेशन : ऐसा कोई सन्देह करने के लिये हमारे पास कोई कारण नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : माननीय मंत्री ने यह कारण दिया है कि लेबर के सबब से ऐसा हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका असर इण्डियन शिपिंग पर भी पड़ा है या केवल फ़ॉरिन शिपिंग पर ही इसका असर हो रहा है ?

श्री अलगेशन : दोनों पर इसका असर हो रहा है ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में इंगलैण्ड के बन्दरगाहों में लगभग दो मास तक गोदी श्रमिकों की हड़ताल रही थी और क्या इन स्टीमर समवायों ने वस्तु भाड़े की दरें बढ़ा देने की धमकी दी थी ?

श्री अलगेशन : निस्सन्देह भारत के बन्दरगाहों के वस्तुभाड़े पर इस अधिभार के आरोपण के विरुद्ध हम ने यही तर्क प्रस्तुत किया था । जब इंगलैंण्ड के बन्दरगाहों में हड़ताल हो रही थी उस समय उन्होंने अधिभार का प्रश्न नहीं उठाया ।

श्री मात्तन : क्या माननीय उपमंत्री को ज्ञात है कि नौ स्वामियों की हाल ही की वार्षिक बैठक में, जिसका उद्घाटन माननीय रेलवे तथा परिवहन मंत्री द्वारा किया गया था, यह शिकायत की गई थी कि कुछ विदेशी नौवहन समवाय दूरस्थ सुदूर पूर्व से लादे गये माल की तुलना में भारत से लादे गये माल पर अधिक वस्तुभाड़ा वसूल कर रहे हैं ? यदि हां, तो माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री अलगेशन : भारतीय नौस्वामियों ने अपनी बैठक में जितनी बातें कही थीं वे सब मुझे ज्ञात नहीं हैं ।

श्री मात्तन : ऐसा ईर्ष्यालु विभेद क्यों ।

अध्यक्ष महोदय : उनको उसका ज्ञान नहीं है ।

भोपाल में भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना

*५४८. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मई, १९५५ तक भोपाल में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) खेती के अन्तर्गत लाया गया कुल क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) ३१ मई, १९५५ तक वहां पर बसाये गये परिवारों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सी० टी० ओ० द्वारा कृषियोग्य बनाई गई तथा भोपाल की सुलतानपुर तहसील में स्थापित केन्द्रीय मशीनीकृत फ़ारम के लिये उक्त राज्य से प्राप्त की गई भूमि का क्षेत्रफल ९१११.९७ एकड़ है ।

(ख) ८,५०० एकड़ ।

(ग) भोपाल राज्य में से भर्ती किये गये एक सौ भूमिहीन मजूरों को पहले ही बसाया जा चुका है जबकि त्रावनकोर-कोचीन से लाये गये १२० मजूर अभी परिवीक्षा पर हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : कुल क्षेत्रफल कब तक कृषियोग्य बना दिया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो कृषियोग्य बनाया हुआ क्षेत्र तो है ही । केवल इन लोगों के बसाये जाने की देर है ।

श्री के० पी० सिन्हा : भाग (ग) का निदेश करते हुएवहां पर बसाये गये परिवारों में से कितने भोपाल के हैं और कितने देश के अन्य भागों के हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा मैं बता चुका हूं, १०० परिवार भोपाल के हैं और १२० त्रावनकोर-कोचीन के हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : इस भूमि का अर्जन करने के लिये केन्द्रीय सरकार को भोपाल सरकार को कितनी धन राशि देनी पड़ी ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई मूल्य नहीं दिया गया है, क्योंकि यह भूमि कांस के कारण अधिकांशतः बंजर पड़ी हुई थी, और सी० टी० ओ० (केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन) ने इसे कृषियोग्य बनाया ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : कांस भूमि के अतिरिक्त इस भूमि को कृषियोग्य बनाने में कितने वृक्ष नष्ट किये गये ?

डा० पी० एस० देशमुख : वृक्षों की संख्या बहुत अधिक थी ।

मत्स्य ग्रहण जलयान

*५४९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सामने विशाखापटनम् गोदी में मत्स्यग्रहण जलयानों के निर्माण करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने आगामी पंच वर्षीय योजना काल के लिये शक्ति चालित मत्स्य ग्रहण नौकाओं सम्बन्धी आवश्यकताओं का कोई प्राक्कलन तैयार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को ज्ञात है कि चूंकि अन्य देशों से आने वाले मत्स्यग्रहण पोतों के लिये बहुत अधिक मूल्य चुकाने पड़ते हैं इसलिये इस उद्योग का विकास उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम स्वयं अपने मत्स्यग्रहण पोत निर्माण न करने लगें ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार ने इस कार्य को आरम्भ करने का अभी तक विनिश्चय नहीं किया है । वह गैर-सरकारी उपक्रम द्वारा इस कार्य के अपने हाथ में ले लिये जाने की प्रतीक्षा करने को तैयार है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने मत्स्यग्रहण उद्योग सम्बन्धी भारत की मांग—वशेषतः शक्ति चालित मत्स्यग्रहण नौकाओं के सम्बन्ध में—को देशी स्रोतों से पूरा करने के विषय पर कोई ध्यान दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : दुर्भाग्यवश हम ने गहन समुद्र मत्स्यग्रहण के इस कार्य को अभी हाल ही में आरम्भ किया है, और इसलिये इसकी आवश्यकताओं का अनुमान करना तथा इसका विकास किस प्रकार होगा यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है ।

यात्री सुविधाय

*५५०. **श्री राधा रमण** : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली और नई दिल्ली के स्टेशनों पर माल तथा या

के बढ़े हुए यातायात की व्यवस्था करने के लिये उत्तर रेलवे द्वारा कुछ परिवर्तन किये जाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन किस प्रकार के होंगे; और

(ग) यह प्रस्थापनायें कब मूर्त्त रूप ग्रहण करेंगी और इन पर कितनी लागत आयेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां ।

(ख) और (ग). माल तथा यात्रियों के बढ़े हुए यातायात की व्यवस्था करने के लिये बहुत सी प्रस्थापनायें उत्तर रेलवे के विचाराधीन हैं और कुछ पर कार्य आरम्भ भी कर दिया गया है । मुख्य प्रस्थापनाओं की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

श्री राधा रमण : जब इन प्रस्थापनाओं का परिपालन हो जायेगा तो माल तथा यात्री यातायात की यह भीड़भाड़ किस सीमा तक दूर हो जायेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : बहुत अधिक सीमा तक ।

श्री राधा रमण : क्या इन प्रस्थापनाओं में से एक प्रस्थापना यह भी है कि बम्बई से आने वाला माल शकूर बस्ती में रोक लिया जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : विचार यह है कि परिहरण लाइन बनाई जाये अर्थात् दिल्ली के मुख्य स्टेशन पर लाये बिना गाड़ियों को ओखला के निकट के किसी स्थान से शकूर बस्ती भेज दिया जाये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत् चालित रेल के सवारी डिब्बे

*५०३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् चालित रेल के ५० सवारी डिब्बे जो इटली से मंगाये जा रहे हैं उनके मूल्यों में और दूसरे देशों से उपलब्ध इसी प्रकार के डिब्बों के मूल्यों में क्या अन्तर है;

(ख) क्या इस प्रकार के डिब्बों के लिये किसी अन्य देश को आदेश दिया गया है या दिया जाने वाला है; और

(ग) यदि हां उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मांगी गयी सूचना का विवरण 'क' सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ख) जी, हां ।

(ग) मांगी गयी सूचना का विवरण 'ख' सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]**

सुरक्षा युक्ति

*५०७. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक फ्रांसीसी दन्तचिकित्सक द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रेल की पटरियों को सलीपरों के साथ और दृढ़तापूर्वक जकड़ देने वाली एक युक्ति का आविष्कार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में उस युक्ति का प्रयोग करने का विचार करती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है और इस युक्ति के विवरण प्राप्त किये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*५१५. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा किये जाने वाले कार्यों की दरों में कोई कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित दरें क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) १९५४–५५ की फ़सल के लिये दरें ५५ रुपये प्रति एकड़ घण्टे से घटा कर ४० रुपये प्रति एकड़ घण्टा कर दी गई थीं बशर्ते कि राज्य सरकारें कृष्यकरण के लिये निर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र देने पर सहमत हों ।

नारियल और टैपियोका

*५२७. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने त्रावनकोर-कोचीन राज्य के अपने गत दौरे में वहां की सरकार के साथ नारियल और टैपियोका के गिरते हुए मूल्यों की रोकथाम करने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों के सम्बध में चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). जी, हां । त्रावन-कोर-कोचीन के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री के साथ टैपियोका के सम्बन्ध में एक सामान्य बातचीत की गयी थी परन्तु कोई निर्णय नहीं किये गये थे । नारियल के मूल्यों के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई थी ।

रेलवे शिल्पिक कर्मचारी

*५१८. **श्री सुबोध हासदा :**
श्री पी० एन० राजभोज :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलों में काम करने वाले शिल्पिक कर्मचारियों पर रेलवे से बाहिर किन्हीं अन्य पदों पर आवेदन-पत्र भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां । बिल्कुल अस्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त ।

(ख) रेलों में और विशेषकर रेलवे की विकास योजनाओं के सम्बन्ध में अनुभवी और प्रशिक्षित शिल्पिक कर्मचारियों की सर्वत्र अत्यधिक कमी होने के कारण प्राप्त शिल्पिक जन शक्ति को अपने हाथ में रखना आवश्यक है ।

रेडियो अनुज्ञप्तियां

*५२४. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में रेडियो सेटों के लिये कितनी अनुज्ञप्तियां जारी की गयी थीं; और

(ख) उसी अवधि में बिना अनुज्ञप्ति वाले कितने रेडियो सैट पकड़े गये थे ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) १९,४६,९७८ ।

(ख) १९,२५३ ।

स्टीमर सेवा

*५२५. **पण्डित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री २५ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि यात्रियों को एक घाट से दूसरे घाट तक के लिये टिकट दिये जाने पर नियंत्रण होने के कारण एक भारी राशि की हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को एक घाट से दूसरे घाट तक का टिकट देने की प्रणाली को फिर से चालू करने के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) क्योंकि एक ओर पलेज़ाघाट और दूसरी ओर दीघा तथा महेन्द्र घाटों के मध्य एक किनारे से दूसरे किनारे तक के यातायात के लिये टिकट दिये जाने की कभी भी अनुज्ञा नहीं दी गई है, अतः यातायात के घाट से घाट तक के टिकट न दिये जाने के कारण "हानि" का होने वाली कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) बिहार सरकार ने रेलवे द्वारा घाट से घाट तक का टिकट देने में इसलिये इनकार किया था क्योंकि यह तो रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली एक खेवा-सेवा हो जायेगी और इससे इस प्रकार की खेवा-सेवा के ठेकेदारों के साथ राज्य सरकार द्वारा किये गये क़रार का उल्लंघन होगा ।

माल डिब्बे

*५३२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में छोटी लाइन और बड़ी लाइन दोनों प्रकार की कितने माल डिब्बों के लिये भारत तथा विदेशों में आर्डर दिये गये थे;

(ख) चालू वर्ष में कितने डिब्बे प्राप्त होने की आशा है;

(ग) प्रति वर्ष प्रायः कितने डिब्बे बदले जाते हैं; और

(घ) विभिन्न रेलों को और प्रत्येक रेलवे के विभिन्न खंडों को डिब्बे आवंटित करने का क्या आधार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) २४,३६८ ।

(ख) २६,००६ ।

(ग) लगभग ५,००० ।

(घ) यह आवंटन, रेलों द्वारा उनके रेल डिब्बों के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बतायी गयी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम

*५३३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १ जनवरी, १९५५ से ३० जून, १९५५ तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ के अधीन कितने मामले पंजीबद्ध किये गये;

(ख) इन मामलों में से कितने मामलो में चलाये गये अभियोग सफल सिद्ध हुए हैं; और

(ग) किस प्रकार की सज़ायें दी गयीं हैं?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) कोई नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

प्रतिकर-दावे

*५३४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री २३ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९५४ को हुई जनगांव रेलवे दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों द्वारा किये गये सभी दावों का निपटारा कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिकर के रूप में कुल कितनी राशि अदा की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) १४-७-१९५५ तक प्रतिकर के रूप में कुल ६,२४,७३० रु० १३ आ० ७ पा० की राशि अदा की गयी है ।

कुरनूल रेलवे स्टेशन

*५३५. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरनूल रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार के सुधार किये जायेंगे और किस प्रकार की सुविधायें प्रदान की जायेंगी;

(ख) क्या यह सत्य है कि आन्ध्र सरकार ने इसके सम्बन्ध में कुछ एक सिफ़ारिशें की हैं और कार्य के शीघ्र ही किये जाने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सफ़ारिशें की गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) कुरनूल रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की मदों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८**]

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) सामान्य रूप में तो सिफ़ारिश यह है कि रेलवे स्टेशन फिर से ऐसे रूप में बनाया जाय जो कि आन्ध्र की राजधानी के उपयुक्त हो, और विशेष रूप से यह सिफ़ारिश की है कि वहां पर विश्राम के कमरों की व्यवस्था की जाये ।

औद्योगिक प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग

*५३९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध पर किस प्रकार का तथा कब से नियंत्रण रखने की अनुमति देने की प्रस्थापना करती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सरकार के विचाराधीन एक प्रस्थापना है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिये प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने से सम्बन्ध रखने वाली एक योजना बनायी जाय ।

बम्बई पत्तन

*५४३. **श्री गिडवानी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई पत्तन में अधिक भीड़भाड़ होने के परिणामस्वरूप जहाज़ों के वापस लौटने में बड़ी देरी लगती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस भीड़भाड़ को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). गत चार मासों में समय समय पर विभिन्न कारणों से बम्बई पत्तन में कुछ भीड़ भाड़ हुई है। इस प्रतिक्रिया का प्रभाव जहाजों के वापस लौटने पर पड़ा है परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है इसका व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में जनवरी से अप्रैल १९५५ तक आयात की मात्रा में वृद्धि होना ही एक ऐसा महत्त्वपूर्ण तत्त्व था जिसके कारण भीड़भाड़ हुई थी। पत्तन-प्राधिकारी इस भीड़भाड़ को कम करने और उसको फिर न होने देने के लिये प्रत्येक संभव उपाय कर रहे हैं।

शिल्पिक कमचारियों की भर्ती

*५४७. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही, दक्षिणी रेलवे में निपुण फिटरों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये किन्हीं व्यापार-शिशुक्षुओं की नयी भर्ती की गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन नियुक्तियों का उन व्यक्तियों की पदोन्नति पर जो कि पहिले ही से काम कर रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). मिकैनिकल वर्कशापों के निपुण वर्ग में कर्मचारियों की भर्ती के नियमों में यह उपबन्ध है कि ऐसे पद प्रशिक्षण के बाद व्यापार शिशुक्षुओं की सीधी ही भर्ती द्वारा तथा ऐसे अर्ध निपुण तथा अनिपुण कर्मचारियों द्वारा भी, उनके निर्धारित व्यापार सम्बन्धी परीक्षायें पास कर लेने के बाद भरे जायेंगे। रेलों में और दक्षिणी रेलवे में भी व्यापार शिशुक्षुओं तथा कर्मचारियों की पदोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का अनुपात २:१ निर्धारित किया गया है।

रेलवे न्यायाधिकरण

*५५१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री अपने चालू वर्ष सम्बन्धी आय व्ययक भाषण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ से तदर्थ न्यायाधिकरण को निर्देशित किये जाने के लिये अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में परामर्श किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो न्यायाधिकरण को कौन कौन से मदें निर्देशित की जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्षय रोग

*५५२. **डा० रामा राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन देश में क्षय रोग को समाप्त करने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का व्योरा क्या है और उस पर अनुमानत: कितना खर्च आयेगा; और

(ग) क्या योजना आयोग ने उन प्रस्थापनाओं को स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). योजना के व्यौरे के विषय में अभी योजना आयोग के विचार विमर्श हो रहा है और जब तक उनको अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक उन्हें प्रकाशित कराना उचित नहीं है।

धर्मशाला को पर्यटक यातायात

*५५३. **श्री हेमराज** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार को यात्रा सन्था धर्मशाला से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि उसे उस क्षेत्र में पर्यटक यातायात को विकसित करने के लिये अनुदान दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी,हां । पर्यटक कार्यालय समिति, धर्मशाला से ।

(ख) यह विचाराधीन है ।

अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस

*५५४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में पटना में हुई अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस में पारित संकल्पों का परीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां ।

(ख) संकल्पों का सम्बन्ध मुख्य रूप से ग्राम्य उधार सर्वेक्षण प्रतिवेदन में की गयी सिफ़ारिशों से है जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार पहले ही आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा

*५५५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उन भारतीय विद्यार्थियों की संख्या जो कि १९५४–५५ में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिये सरकार द्वारा इंगलैण्ड भेजे गये थे;

(ख) उन की शिक्षा पर कुल कितना धन व्यय हुआ; और

(ग) क्या चालू वर्ष में इस धन राशि को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) बारह—जिनमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां पाने वाले चार और कोलम्बो योजना, टी० सी० एम० इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त परिषदतायें पाने वाले आठ विद्यार्थी सम्मिलित हैं ।

(ख) भारत सरकार द्वारा कोई ६३,००० रुपये ।

(ग) जी हां । शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या को चार से बढ़ा कर पांच कर देने की प्रस्थापना है ।

विस्तार तथा प्रशिक्षण निदेशालय

*५५६. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री हाल ही में मंत्रालय में स्थापित किये गये विस्तार तथा प्रशिक्षण निदेशालय के अनुमानित वार्षिक व्यय को बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : लगभग ५,५५,००० रुपये ।

जन्म-दर

*५५७. **श्री इब्राहीम :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय भारत में जन्म-दर क्या है;

(ख) क्या जन्म-दर की प्रतिशता बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत दो दशाब्दियों में वृद्धि की दर क्या रही है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में वृद्धि की तुलनात्मक प्रतिशतता क्या रही है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) १९४१ से १९५० तक की दशाब्दी में २७.५ प्रति मिली की पंजीबद्ध जन्म दर के मुक़ाबिले में अनुमानित जन्म दर कोई ३९.९ प्रति मिली रही है ।

(ख) नहीं, जन्म दर निरन्तर गिरती जा रही है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) भाग क में के राज्यों और अजमेर, कुर्ग और दिल्ली के भाग ग में के राज्यों की पंजीबद्ध जन्म दरों को, जहां तक कि सूचना उपलब्ध है, दिखाने वाला एक तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९**] । भाग ख में के राज्यों तथा शेष भाग ग में के राज्यों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

गारो पहाड़ियां

*५५८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या रेलवे मंत्री २२ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारो पहाड़ियों को शेष भारत से मिलाने के सम्बन्ध में किया जा रहा सर्वेक्षण अब समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार को दे दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य पूरा हो गया है और अन्तिम प्रतिवेदन के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

वर्कशॉप पुनरीक्षण समिति

*५५९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री १० मार्च १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्कशॉप पुनरीक्षण समिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वर्कशोप पुनरीक्षण समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट और ६ रेलवेज़ में से पांच के वर्कशॉपों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं ।

(ख) समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के अगस्त १९५५ के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है ।

खरबूज़ा

*५६०. **डा० रामा राव :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार खरबूज़े की किस्म में सुधार करने के लिये एक योजना बनाने की प्रस्थापना करती है;

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है; और

(ग) क्या लखनऊ के ख़रबूज़ों की किस्म तथा कृषि को पनपाने के लिये कोई विशेष उपाय किये जायेंगे ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां इस विषय से सम्बन्धित एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) ख़रबूज़े और तरबूज़ के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करने तथा अनुसन्धान कार्य करना ।

(ग) ख़रबूज़े की लोकप्रियता को बनाये रखने और उसकी किस्म में सुधार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में तथा इसकी कृषि के लिये प्रसिद्ध अन्य स्थानों में प्रति वर्ष ख़रबूज़ा प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं ।

ज़िला मुख्यालयों वाले नगरों को टेलीफोन द्वारा जोड़ना

२२९. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सभी तहसील और ज़िला मुख्यालयों वाले नगरों को टेलीफ़ोन द्वारा जोड़ देने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो कितने समय में ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). प्रस्थापना ज़िला तथा उप-मंडलीय मुख्यालय नगरों के सम्बन्ध में है तहसील मुख्यालयों वाले नगरों के सम्बन्ध में नहीं है ।

राजस्थान राज्य में समस्त २५ ज़िला मुख्यालयों वाले नगर टैलीफ़ोन ट्रंक जाल से जुड़े हुए हैं ।

५३ उप-मंडलीय नगरों में से २३ पहले से ही जुड़े हुए हैं । और २२ सार्वजनिक टैलीफ़ोन कार्यालयों के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है । इन में से अधिकांश मार्च १९५६ तक जोड़ दिये जायेंगे । शेष आठ स्थानों के कार्य के १९५६–५७ में प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

१३७ तहसील स्थानों में से २४ में सार्वजनिक टैलीफ़ोन कार्यालय हैं और पांच और कार्यालयों के लिये स्वीकृति दे दी गई है । तहसील वाले नगरों में सार्वजनिक टैलीफ़ोन कार्यालय स्थापित करने की प्रस्थापनाओं पर केवल तभी विचार किया जाता है जब कि उनकी स्थापना से सरकार को कोई हानि न होती हो ।

मुद्रण यंत्र

२३०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री गिडवानी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे प्रिंटिंग प्रैस को बढ़ाने के लिये कितने मुद्रण यंत्र किस मूल्य पर किस किस साल मंगाये गये थे;

(ख) उनमें से लगाये गये कितने मुद्रण यंत्र ठीक तरह से काम कर रहे हैं; कितने टूट गये और कितने बिना प्रयोग के पड़े हैं;

(ग) इस अवधि में वैयक्तिक प्रेसों को कितने मूल्य का छपाई का काम दिया गया;

(घ) इन यंत्रों के प्रयोग न किये जाने अथवा देरी से प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १८ मशीनों का आर्डर दिया गया था, अब तक १६ मशीनें मिल चुकी

हैं ।

आर्डर की गयी मशीनों की कीमत—
१०,७४,००० रुपये

प्राप्त मशीनों की कीमत ९,२५,००० रुपये

किस साल मंगाई गयीं
- १९५१—२ मशीनें
- १९५२—२ ,,
- १९५३—४ ,,
- १९५४—५ ,,
- १९५५—३ ,,

(ख) चार मशीनें लगायी गयी थीं जो ठीक काम कर रही हैं । कोई मशीन टूटी नहीं है और १२ मशीनों से अभी तक काम नहीं लिया गया है ।

(ग)

१९५२–५३	५,९७,६११ रुपये
१९५३–५४	१८,३१,०५३ रुपये
१९५४—५५	१०,६९,८५८रु पये

(घ) जिस इमारत में मशीनें लगायी जायेंगी वह अभी तैयार नहीं है ।

(ङ) इस बात की खास तौर पर कोशिश की जा रही है कि इमारत बनने और मशीनों के चालू होने में जहां तक हो सके कम समय लगे ।

छपाई का काम

२३१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे प्रिंटिंग प्रेस रोयापुरम, मद्रास के कर्मचारियों ने हाल ही में यह कहा है कि वे रेलवे की पूरी छपाई का काम रेलवे प्रेस में ही कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि रेलवे की छपाई का काम वैयक्तिक प्रेसों को दिया गया है ;

(ग) गत तीन वर्ष में प्रति वर्ष कितनी मूल्य की छपाई का काम वैयक्तिक प्रेसों को दिया गया था;

(घ) रेलवे प्रेस के कितने यंत्र चलते हैं और कितने बन्द पड़े रहते हैं;

(ङ) कितने नये यंत्र बाहर पड़े हैं और कितने सालों से; और

(च) इन यंत्रों को काम में न लाने से कितना नुकसान हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार को इस तरह के बयान की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) भाग (क) में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए यह सवाल ही नहीं उठता । चूंकि दक्षिण रेलवे के प्रैस उस रेलवे की छपाई का काम पूरा नहीं कर पाते इसलिये छपाई का कुछ काम गैर सरकारी प्रेसों को दे दिया जाता है ।

(ग)

१९५२–५३ .	५,९७,६११ रुपये
१९५३–५४ .	१८,३१,०५३ रुपये
१९५४–५५ .	१०,६९,८५८ रुपये

(घ) २३ । मरम्मत के समय छोड़ कर कोई मशीन बेकार पड़ी नहीं रहती ।

(ङ) १२ लेकिन इन्हें ढक कर रखा गया है । ४ मशीनें १९५३ से ५ मशीनें १९५४ से और ३ मशीनें १९५५ से ।

(च) लगभग ३३,११८ रुपये ।

आयुर्वेदिक संस्थाएं

२३२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अभी तक कितनी आयुर्वेदिक संस्थाओं का स्तर ऊंचा किया गया है ;

(ख) उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) क्या किन्हीं और संस्थाओं के स्तर को ऊंचा करने का विचार किया गया है ; और

(घ) कितनी संस्थाओं को आयुर्वेद में अनुसन्धान करने की अनुमति दी गई है तथा वित्तीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अभी तक किसी आयुर्वेद संस्था का स्तर ऊंचा नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस समय तो नहीं ।

(घ) चार ।

रेलवे इंजन

२३३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की बड़ी तथा छोटी लाइनों पर प्रयुक्त कई रेलवे इंजन बहुत पुराने हो चुके हैं अथवा उनमें निरन्तर मरम्मत की आवश्यकता रहती है;

(ख) यदि ऐसा है तो प्रत्येक श्रेणी के ऐसे इंजनों की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्व रेलवे की बड़ी तथा छोटी लाइनों पर कई एक इंजन पुराने हो चुके हैं । किसी इंजन में निरन्तर मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

(ख) बड़ी लाइन के पुराने इंजनों की संख्या ६२ तथा छोटी लाइन के पुराने ईजनों की संख्या २७ है ।

कांगड़ा ज़िले में डाक घर

२३४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ में पंजाब के कांगड़ा ज़िला में कितने डाक घर खोले गये ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : नीचे दिये गये विवरण में कांगड़ा ज़िला में (तहसील-वार) १९५४ में खोले गये डाक-घरों सम्बन्धी ब्योरा दिया गया है :

तहसील का नाम	खोले गये डाक-घरों का ब्योरा	खुलने की तिथि
कांगड़ा	टांडा क्षय रोग अस्पताल	१-१-१९५४
देहरा	अमीर	३-२-१९५४
	सथना	८-८-१९५४
	डरक्राण	१७-८-१९५४
	सिहरी	१-९-१९५४
	मुहल	१-९-१९५४
पालमपुर	पपलाह	२५-२-१९५४
	बालकखपी	१-७-१९५४
सूरज	गोशीनी	१-३-१९५४
कुल्लु	जहलमन	१४-५-१९५४
	हरिपुर	२-८-१९५४
हमीरपुर	जाहु	२-९-१९५४
	मंसियान	१-९-१९५४
	चमियाना	१-९-१९५४
	कोइला	१६-१०-१९५४
	मीरा	१-११-१९५४
शाहपुर	माली	१-१०-१९५४

काफी के बागान के मज़दूर

२३५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या श्रम मंत्री २८ फरवरी, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में भारत में काफी के बागान के मज़दूरों की क्रमशः संख्या क्या थी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : १९५२–५३ में भारत के काफी के बागान में १,६४,५९४ मज़दूर काम करते थे । वर्ष १९५३–५४ के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

गेहूं

२३६. **श्री डी० सी० शर्मा :**
पंडित डी० एन० तिवारी :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में फालतू गेहूं की कितनी मात्रा है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इस फालतू गेहूं के विक्रय के लिये अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं बाज़ार में युद्धपूर्व काल की संविदाओं को फिर से करने के प्रयत्न कर रही है; और

(ग) यदि ऐसा है, तो परिणाम क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) भारत को गेहूं में अभी अतिरेक प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) अभी भारत से गेहूं के निर्यात का विचार नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तार की सुविधायें

२३७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४ में पंजाब के कितने डाक घरों में तार की सुविधाओं की व्यस्था की गई; और

(ख) उस राज्य में उन डाक घरों की संख्या जिनमें १९५५ में तार सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २५ ।

(ख) ३०* ।

चारे सम्बन्धी गवेषणा

२३८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, दिल्ली द्वारा की गई चारे सम्बन्धी गवेषणा का क्या परिणाम निकला; और

(ख) ऐसी गवेषणाओं से, सबसे अच्छे चारे की किन विशेषताओं का पता चला है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा की टेबल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]**

इंजन

२३९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५४ को कितने इंजन अपने निर्धारित समय से अधिक चल चुके थे; और

(ख) अभी तक इनमें से कितने इंजनों के स्थान पर नये इंजन चलाये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २६४१ ।

(ख) १ जनवरी, १९५५ से ३० जून, १९५५ तक पुराने हो चुके इंजनों के स्थान पर ३२२ नये इंजन चलाये गये तथा इस अवधि में ५० इंजनों को पुराने हो जाने के कारण हटा दिया गया ।

माल डिब्बों की कमी

२४०. **श्री गिडवानी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व महाकौशल व्यापार मण्डल, जबलपुर ने,

---

*१-१-५५ से ३०-६-५५ तक बारह युक्त कार्यालय खोले गये हैं । शेष के अठारह कार्यालय वर्ष अन्त होने से पहले खोले जायेंगे ।

अनाज भांडारों को ले जाने के लिये रेलवे के माल डिब्बों की अप्राप्यता सम्बन्धी, सरकार को सिफारिश भेजी है;

(ख) क्या यह सच है कि यदि उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया गया, तो उन्होंने खाद्यान्न के व्यापार को बन्द करने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) बीते, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीज़न, सम्बन्धित क्षेत्र के स्टेशनों पर खाद्यान्न लादने का कार्य पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दिया गया है ।

चावल की खेती का जापानी ढंग

२४१. **श्री के० पी० सिन्हा :**
श्री राम शंकर लाल :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री, एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो :

(क) १९५४–५५ में, राज्यवार, देश के कितने क्षेत्र में, जापानी ढंग से चावल की खेती है; और

(ख) प्रति एकड़ (राज्यवार) औसत उत्पादन ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]**

गेहूं

२४२. **श्री राधा रमण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५४–५५ में कितने गेहूं की खपत हुई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १९५४–५५ में भारत में गेहूं की खपत की मात्रा की ठीक सूचना हमारे पास नहीं है ।

मीन क्षत्र

२४३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में, सरकारी मीन क्षेत्र कितने हैं;

(ख) १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में सरकारी मीन क्षेत्रों से कितनी आय हुई थी;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये राज्य सरकार को किसी निधि का आवंटन किया था; और

(घ) यदि उपरिलिखित भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ३३८ ।

(ख)

वर्ष	राज्य मीन क्षेत्रों से प्राप्त आय	
१९५३–५४ . .	३,१५,३०३	रुपये
१९५४–५५ . .	२,८७,५६४	रुपये

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपयुक्त प्राविधिक कर्मचारियों के न मिलने के कारण, राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था ।

नौवहन

२४४. **श्री अमरसिंह डामर :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से भारतीय नौवहन ने कितनी प्रगति की है;

(ख) भीतरी तथा बाहरी नौवहन सेवाओं के लिये १९४७ से १९५४ तक कितने भारत के बने जहाज़ खरीदे गये और कितने बाहर से खरीदे गये;

(ग) चालू वर्ष में कितने जहाज़ बनाने का तथा कितने खरीदने का विचार है; और

(घ) देशी जहाज़ों तथा विदेशों से खरीदे गये जहाज़ों की लागत में कितना अन्तर है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]**

भारत-बर्मा स्टीमर सेवा

२४५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधिया स्टीमशिप नैवीगेशन कम्पनी ने भारत–बर्मा के बीच स्टीमर सेवा को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यवाही किन कारणों से की गई है; और

(ग) इस सेवा को दुबारा चालू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी अपने एस० एस० जलगोपाल को मद्रास तथा रंगून के बीच यात्री सेवा के लिये चलाती थी, जून १९५५ के मध्य से उसे बन्द कर देना पड़ा है क्योंकि पोत बहुत पुराना था तथा इस कारण उसमें सफर करना असुरक्षित था। भारत सरकार के कहने पर फिर भी शिपिंग कम्पनी इस सेवा को जब तक दूसरे उपयुक्त पोत का प्रबन्ध होता है तब तक अपने एस० एस० सोनावती के द्वारा अगस्त १९५५ के अन्त तक चालू करेगी।

दिल्ली मार्ग परिवहन सेवा

२४६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **परिवहन** मंत्री २९ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन सेवा ने जो १४० बसों का आर्डर (क्रय आदेश) दिया था उसमें से जुलाई १९५५ के अन्त तक कितनी बसें आ चुकी हैं;

(ख) क्या सरकार जहां यात्रियों की अधिकता रहती है ऐसे कुछ रास्तों पर दोमंज़िली बसें चलाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो किस तिथि से ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ८१।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मार्ग परिवहन निगम

२४७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च १९५५ तक सरकार ने विभिन्न मार्ग परिवहन निगमों में कितनी धनराशि लगाई है;

(ख) उसी तिथि पर यह राशि निगमों में लगे धन का कितना प्रतिशत थी; और

(ग) १९५४-५५ में उनके लगे हुए धन पर केन्द्राय सरकार को कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जिन दो निगमों में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा है उनकी स्थिति निम्न-लिखित है :—

	बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम	कच्छ राज्य सड़क परिवहन निगम
(क)	३८३·५३ लाख रु०	४ लाख रुपये
(ख)	३३·१/३ प्रतिशत	२० प्रतिशत
(ग)	१५·१७ लाख रुपये (अस्थाई)	*प्राप्य नहीं है ।

*यह निगम १ दिसम्बर १९५४ से प्रारम्भ हुआ है ।

रेलवे लाइन

२४८. **श्री बी० सी० दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्ली किमेडी लाइट रेलवे को नेरो गेज लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का तथा विजयानगरम्-रायपुर लाइन से मिलाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अभी नहीं ।

वायु सेवायें

२४९. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्ष में एयर-इंडिया इंटरनेशनल निगम ने किन अतिरिक्त सेवाओं की योजना बनाई है; और

(ख) उनमें से कितनी चालू हो चुकी हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). वर्तमान वर्ष में एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा चलाई गई तथा प्रस्तावित अतिरिक्त सेवायें इस प्रकार हैं :

चलाई गई सेवायें

(१) भारत-ब्रिटेन सेवा में ४ से ६ प्रति सप्ताह बढ़ोतरी तथा रास्ते में बैरूत और जूरिच क ाशामिल किया जाना,
(२) भारत-हांगकांग सेवा की टोकियो तक वृद्धि ।

प्रस्ताव सेवायें

(१) टोकियो सेवा को बढ़ा कर १ से २ प्रति सप्ताह कर देना;
(२) वर्तमान ब्रिटिश सेवाओं में से एक का प्रेग में रुकना;
(३) सिंगापुर सेवा में कोलम्बो रुकना ।

कोयले की चोरी

२५०. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के शेडों से प्रति वर्ष लाखों रुपयों का कोयला चोरी चला जाता है और बाज़ारों में बेच दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं । सिर्फ कुछ मामूली चोरियां हुई हैं ।

(ख) जिन इंजन-शेडों में कोयला जमा किया जाता है उन सब में आम तौर पर सुरक्षा का प्रबन्ध रहता है ।

भोजन व्यवस्था

२५१. **श्री एन० राचय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर नगर स्टेशन का निरामिष अल्पाहार गृह बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । १ फरवरी १९५५ से; परन्तु आशा है कि एक दूसरा ठेकेदार इसे १०-८-१९५५ को फिर खोलेगा ।

(ख) क्योंकि पहले ठेकेदार ने अपना ठेका समाप्त होने की सूचना दी थी ।

अन्नपूर्णा की शाखायें

२५२. **श्री वीरस्वामी** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अन्नपूर्णा की शाखायें विदेशों में खोलने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे स्कूल

२५३. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे खण्ड के रेलवे प्रशासन के स्कूलों में राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक भाषा, दोनों पढ़ाई जाती हैं; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, आंग्ल भारतीय स्कूलों तथा रायगढ़ के प्राइमरी स्कूलों को छोड़ कर । आंग्ल भारतीय स्कूलों में केवल राष्ट्रभाषा ही पढ़ाई जाती है तथा उक्त प्राइमरी स्कूल में केवल प्रादेशिक भाषा पढ़ाई जाती है ।

(ख) राज्य सरकार जो शिक्षा सम्बन्धी विषयों की नीति पर नियंत्रण रखती है, आंग्ल भारतीय स्कूलों में प्रादेशिक भाषा पढ़ाने के पक्ष में नहीं है । रायगढ़ के प्राइमरी स्कूल में किसी विद्यार्थी ने भी राष्ट्रीय भाषा पढ़ना नहीं चाहा ।

नोट : रायगढ़ अब दक्षिण पूर्व रेलवे पर है ।

चावल

२५४. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अभी तक सरकारी स्टाक से कितना चावल नीलाम द्वारा बेच दिया गया है;

(ख) प्रति मन अधिकतम तथा न्यूनतम क्या मूल्य प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या दिसम्बर, १९५५ तक और भी चावल बिकने की आशा है; और

(घ) सरकार कितने चावल का भांडार रखने का विचार कर रही है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) लगभग ८८ हज़ार टन ।

(ख) अधिकतम २५ रुपये १ आना
न्यूनतम ५ रुपये १२ आना ।

(ग) जी हां ।

(घ) ८ लाख टन ।

हैदराबाद में संस्थायें

२५५. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अर्थात् कितनी कृषि गवेषणा संस्थायें, पशु चिकित्सा कालेज, प्रशिक्षण केन्द्र प्रयोगात्मक फार्म तथा दुग्ध-शालायें हैदराबाद में स्थापित हैं; और

(ख) क्या निकट भविष्य में सरकार उस राज्य में नई संस्थाओं की स्थापना का विचार कर रही है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) जी हां । हैदराबाद राज्य में ग्राम्य "घानी" कर्मचारियों की एक प्रशिक्षण संस्था प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आदिम जातियों का पुनर्वास

२५६. **श्री बीरेन दत्त** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में त्रिपुरा राज्य में कितने आदिम जाति किसानों को भूमि दे कर पुनर्वासित किया गया है;

(ख) उनमें से कितनों को पुनर्वास अनुदान प्राप्त हो चुका है; और

(ग) उपरिलिखित समय में, उनमें से कितनों ने नज़राना दिया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

२५७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) (१) दिल्ली तथा (२) नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन, अभी तक किन किन स्थानों में डिस्पैन्सरियां खोली गई हैं;

(ख) इन डिस्पैन्सरियों में इस समय कितने कर्मचारी उनके आश्रितों समेत संबद्ध हैं;

(ग) इनमें प्रत्येक में कितने डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी हैं;

(घ) प्रतिदिन उनके कितने काम के घंटे हैं; और

(ङ) प्रत्येक डिस्पैन्सरी में प्रति दिन औसतन कितने रोगी आते हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]

लोक-सभा

वाद - विवाद

सोमवार,
८ अगस्त, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

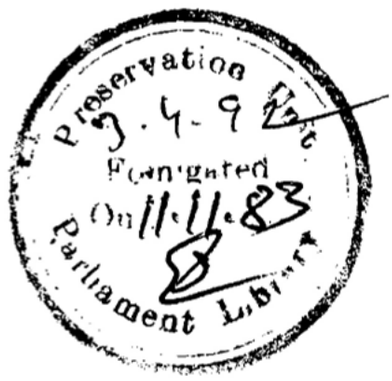

दशम सत्र, १९५५

(खंड [redacted] में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश–चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव–स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

	स्तम्भ
वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प--	
असमाप्त	४६८–५१०
अंक ६--सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
१९५५–५६ के लिये एयर–इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राकक्लनों का सारांश	५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना .	५११–५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) अाध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . .	५२४–५२५
अनुपस्थिति की अनुमति	५१२
समिति के लिये निर्वाचन--	
लोक लेखा समिति	५१२–५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२--	
वापस लिया गया	५१३–५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५-- पुरःस्थापित	
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . .	५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--राज्य–सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . .	५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक--	५१५–५७०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	
खंड २ से १४ तथा १	५३६–५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--पारित	५७०–५९५
खंड २ से १० तथा १ . . .	५९२–५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--	
स्वीकृत .	६००–६०२
अंक ७--मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव--	
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . .	६०३–६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग	६०४–६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य	६०६–६०९

स्तम्भ

उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . . ६०६–६१२

दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६१२–६१७

खण्ड २ से ६ और १ ६३७

संशोधित रूप में पारित . ६३७–६३८, ६६१

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य ६८७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६८७

पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य ६८८–६८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . ६८६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

विधेयक—पुरःस्थापित . ६८६–६६०

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ६६०–७६०

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य ७६१–७६३

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—

पुरःस्थापित ७६३

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन अध्यादेश, १६५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण ७६३

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)

विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया ७६३–८१८

श्री पाटस्कर ७६३–८१७

दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ८१६–८५१

खण्ड २ से २२ और १ ८५१–८८१

	स्तम्भ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८१–८८३
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८४–८९६
अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति--	
बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	८९७
विधि आयोग के बारे में वक्तव्य	८९७–९००
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६ और १	९००–९०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	९०१–९०५
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—	
असमाप्त	९०५–९३६
तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९३६–९४१
बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९४१
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४१–९४२
बाल विवाह रोक (संशोधन)	
विधेयक (धारा १२ का संशोधन)—पुरःस्थापित	९४२
कारखाना (संशोधन) विधेयक	
(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित	९४२–९४३, ९५८–९५९
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४३५ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद	
स्थगित	९४३–९४७
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)	
वापस लिया गया	९४७–९५८
कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)	
पुरःस्थापित	९५९
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—	
(धारा २ और ४ का संशोधन)--	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया	९५९
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का	

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव--अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक-.	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	९८०
अंक ११--सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र--	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति-- . .	
बाईसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२--मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३--बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र--	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	११३८–१२१०

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें १२११–१२१३

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

पुरःस्थापित . . . १२१३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १२१४–१२४४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . १२४४–१२४५

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . १२४५–१२८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त १२८७–१२८८

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १२८९–१३४२

अनुक्रमणिका १–८

लोक सभा

सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

सभा पटल पर रखा गया पत्र

रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम के नियमों में संशोधन

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजोठिया) : मैं रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम सम्बन्धी नियम, १९५३ में कुछ संशोधन करने वाली रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ६-ई, दिनांक १८ दिसम्बर, १९५४ की एक प्रति सभा पटल पर पुनः रखना चाहता हूं।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-२३६/५५**]

कार्य मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से जो सभा में ५ अगस्त, १९५५ को उपस्थित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ५ अगस्त, १९५५ को उपस्थित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नागरिकता विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नागरिकता विधेयक के बारे में पंडित गोबिन्द वल्लभ पन्त के प्रस्ताव पर और संशोधन पर अग्रेतर विचार करेगी। श्री मोरे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : हमें राष्ट्र मंडल का नागरिक बन कर क्या विशेष लाभ होंगे और इस के क्या वैध आलेपन होंगें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

पहले ब्रिटिश लोक-सभा द्वारा पारित विधियां हम पर लागू होती थीं, पर हमारा संविधान बनने के बाद अब उनकी वैधता क्या रह जाती है? आप भारत (आनुषंगिक) उपबन्ध अधिनियम १९४९, धारा १ पढ़े, जिसमें कहा गया है कि जब तक सशक्त अधिकारी आवश्यक परिवर्तन न करें, भारत के गणराज्य बनने से पूर्व वहां पर प्रवृत्त विधियां वहां पर यथापूर्व लागू रहेंगी। इसके अनुसार

[श्री एस० एस० मोरे]

ब्रिटिश संसद के सभी अधिनियम पूर्ववत् लागू होते हैं। सौभाग्य से हम आज स्वतंत्र और गणराज्य हैं, पर वैध आलेपन यह है कि सभी ब्रिटिश अधिनियम पूर्ववत् भारत पर लागू होते हैं। ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम में भारतीय भी लिये गये हैं और उन को भी सम्राट के प्रति निष्ठावान् होना चाहिये। उस की धारा १ (३) के अनुसार भारतीय भी ब्रिटिश नागरिक हैं, क्योंकि राष्ट्रमंडल की नागरिकता का अर्थ ब्रिटेन की नागरिकता है। उसकी अनुसूची १ के अनुसार ब्रिटि ा सम्रा: के प्रति निष्ठा की शपथ भी लेनी पड़ती है। क्या यह हमारी अपनी ापथ के प्रति असंगत नहीं है? हमारी निष्ठा राष्ट्र-पति और संविधान के प्रति है। परन्तु ब्रिटेन के इस अधिनियम के अनुसार वहां की संपद के श दों में उन के कुछ अधिनियमों के प्रयोजन से भारत गगराज्य को गणराज्य नहीं ाना जायेगा।

श्री गाडगील (पूना मध्य): जैसे तलाक देकर छोड़ी गई पत्नी को भी अपनी ही पत्नी कहा जाये।

ी एस० एस० मोरे: पर पत्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी? पति के लिए यह प्र गेग ठीक हो सकता, परन्तु यदि वह तलाक ले कर दुबारा विवाह कर लें और बच्चे पैदा कर ले, तो पहले पति की भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

इस विधेयक का खंड १८, १९१४ से १९४३ तक के ब्रिटि ा राष्ट्रीयता तथा विदेशियों का स र अधिनियमों का निरसन करना चाहता है। प न्तु ये सारे अधिनिय ा ब्रिटे ा के ही १९४८ के अधिनिय ा द्वारा निरसित कर दिए गए हैं, फिर हमारे द्वारा उ के निरसन का प्रश्न ही नहीं है। क्या वहां निरसित होने पर भी वे हमारे यहां लागू रहे या हमने किसी अधिनियम द्वारा नको यहां जारी रखा। मैं चाहूंगा कि पन्त जी यह बात स्पष्ट कर दें।

मैं चाहता हूं कि नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकार ही नहीं, हमारे मौलिक उत्तरदायित्व भी स्पष्ट कर दिये जायें। स्विटजरलैंड आदि यूरोपीय देशों में ऐसा किया गया है। राष्ट्रमंडल का सद-य या वहां का नागरिक बनने से ह ारे क्या कर्तव्य हो जात हैं? खंड ११ कहता है कि प्रथम अनुसूची के राष्ट्र मंडलीय देशों का कोई भी नागरिक राष्ट्रमंडल का नागरिक है। परन्तु उस के अधिकार, उत्तर-दायि व आदि स्पष्ट नहीं किये गये है। हमारी नागरि ता वि तृत हो, पर वह प्रादे िक और विचारगत सानिध्य पर आधारित होनी चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री ने पंचशील का नारा खड़ा कर के बहुत से शान्ति प्रिय देशों को एक संघ के रूप में एकत्र किया है, हमें पंचशील नागरिकता जैसी नागरिकता को जन्म देना चाहिये। उक्त घोषणा करने वाले प्रत्येक देश की नागरिकता का पार परिक विनियम होना चाहिये। भारत की सभी बांडुग देशों के साथ एक र्व सामान्य नागरिकता हो सकती है पार पारिक आधार पर अन्य दे ा भी इस में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार हम एक विश्व-संघ के आदर्श तक पहुंच सकते हैं। प्र येक व्यक्ति अपने जनम के राष्ट्र का और इस विश्व संघ का समान रूप से नागरिक हो सकता है।

नागरिकता से वंचित किये जाने के बारे में खंड १० के उप खंड (२) (क) और (ग) के अनुसार कुछ साक्ष्य उप ि्थत करना आवश्यक बना दिया गया है। यह साक्ष्य भी जिस समिति के समक्ष दिया जायेगा उस का सभापति भी कार्यपालि ा का ही एक सद य होगा। हमारी सरकार ब्रिटिश विधानों का शब्दशः अनुकरण करती रहती है साहि यिक चोरी की ही भांति यह विधान की चोरी है। अपनी ारि ि्थतियों के अनुसार हमें जब तक मार्ग-निर्देश के लिये दे ा विशेष

के विधानों का आश्रय लेना पड़े, तो कोई बात नहीं परन्तु हमें यह बात स्पष्ट स्वीकार कर लेनी चाहिये कि हमने कहां से उधार लिया है। यदि हम जांच समिति की स्थापना करें तो यह न्यायिक समिति होनी चाहिये। वैसा न करने से उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को जाने वाले मामले कम हो जायेंगे और ये लोग बेकार हो जायेंगे। इस समिति की सिफारिशें सरकार को बाध्य नहीं करतीं। मैं चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी प्रदेश से आ कर इस प्रकार से भारत का नागरिक बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपालिका का संरक्षण दिया जाये।

ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा २३ में बच्चों की ओर सता के लिये और धारा २४ में मरणोत्तर होने वाले बच्चों के लिये उपबन्ध है। हमारे विधान में वैसी कोई बात नहीं रखी गई है। यरोपीय विधानों में अधिकारों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट कर दिया गया है, वैसा ही हमारे यहां भी होना चाहिये।

श्री गाडगील : नागरिकता की निश्चित परिभाषा अब तक नहीं हो पाई है, इसी से यह विधान सर्वत्र बड़ा जटिल रहा है। हमें सर्वदलीय आधार पर अपना विधान बनाना चाहिये और राष्ट्र मंडल के भीतर और बाहर के सभी देशों के अनुभावों से लाभ उठाना चाहिये।

नागरिकता राज्य के प्रमुख के प्रति स्थायी निष्ठा पर आधारित होती है और प्रत्येक राज्य के नागरिकता–विधान में उस के लिये एक शपथ विहित होती है। १९४७ से पहले भारत का प्रथक् विधान न था और हम ब्रिटिश विधान से शासित होते थे। विभाजन के समय हमारी नागरिकता के आंतरिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में श्री मोरे द्वारा उल्लिखित उलझन बनी रही। संविधान पारित करते समय पर्याप्त समय न होने से तुरन्त नागरिकता-विधान न बना कर कुछ तदर्थ व्यवस्था की गयी, जिस में कुछ त्रुटियां स्वाभाविक थीं। भारत के निवासियों और प्रमुख राज्यों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया। भारत में पांच वर्ष से रहने वाले व्यक्ति या जिन के माता-पिता में से कोई भारतीय थी, उन सब को भारतीय नागरिकता दी गयी। फिर पाकिस्तान से आने वाले या वहां जाने के बाद फिर यहां पंजीबद्ध होने वाले व्यक्ति थे। उस के बाद ही संविधान लागू हुआ। उस में भी भविष्य के बारे में कोई उपबन्ध नहीं थे। संविधान में नागरिकता का उपबन्ध कुछ संविधानिक-पदों के ही बारे में हैं। उस में भी केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यपाल, और विधान मंडल सदस्य के लिये नागरिक होना अनिवार्य था। संसद और विधान मंडलों की सदस्यता के लिए न केवल नागरिक ही होना अनिवार्य था, बल्कि वह नागरिकता अर्जित भी न होनी चाहिये थी। परन्तु केन्द्रीय मंत्री, न्यायाधीश, नियंत्रक महा लेखा परीक्षक, महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ताओं के लिये भी नागरिक होना आवश्यक है, यह स्पष्ट नहीं बताया गया है। इन त्रुटियों पर कई बार सरकार का ध्यान दिलाया गया था।

नागरिकता विधान में नीति और तकनीक दो बातें होती हैं। प्रश्न यह है कि हम भारत और राष्ट्र मंडल की वध नागरिकता मानें या न मानें? दूसरे यह कि क्या हम भारत की नागरिकता का पंजीयन या देशीयकरण द्वारा अर्जित करना सरल बना दें या उसे कड़ा रखें। हमें अपनी आज की और भावी आर्थिक स्थिति का और अपने राज्य के धर्म निरपेक्ष स्वरूप का भी ध्यान रखना चाहिये। देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। क्या हम पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक

[श्री गाडगील]

को बिना किसी बंधन के असानी से भारत का नागरिक बनने देंगे ?

कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक बनने का अधिकारी हो गया है या नहीं, इस की जांच की एक न्यायिक व्यवस्था अपनायी जानी चाहिये । दी गयी नागरिकता की समाप्ति भी कार्यपालिका के अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि न्यायिक निर्णय द्वारा ही होनी चाहिये । राष्ट्रमंडल के देशों में यह कार्य प्रशासकीय प्रक्रिया द्वारा ही होता है और इस की कोई अपील नहीं होती ।

यदि आप इस बात के इच्छुक हैं कि आप का राष्ट्र 'लौकिक' राष्ट्रीय होने से पूर्व 'सुरक्षित' राज्य हो, तो आप को बहुत सावधान रहना पड़ेगा । और इस सम्बन्ध में तथा नागरिकता अधिकारों को न्यायिक प्रक्रिया होने से वंचित करने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं होने देनी चाहिये । मेरा ख्याल है कि बुद्धिमत्ता इस में होगी कि प्रक्रिया प्रशासी होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं केवल यह सुझाव दे सकता हूं कि प्रथम बार या प्रथम स्थिति में जो निश्चय किया जाये उस का केन्द्रीय सरकार के गृह कार्य मंत्रालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये । इस के अतिरिक्त आज हमें अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये । वास्तविकता यह है हमारी अर्थ-व्यवस्था आयोजित है और इस में हम ने उपादन लक्ष्य, जनसंख्या में वृद्धि का लक्ष्य निश्चित कर रखा है और देखते हैं सारी समस्या का संबंध उन बातों से है । अतः वास्तविकता यह है कि उन लोगों के हितों को, जो पहिले से ही नागरिक हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यथार्थवादी होने के कारण मैं यह सुझाव देता हूं कि जहां तक पाकिस्तान से आने वाले लोगों का सम्बन्ध है, वह एक गम्भीर समस्या है । और आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरलता से लोगों को नागरिक नहीं बनाया जायेगा या उनका पंजीयन नहीं किया जायेगा ताकि निकट भविष्य में या भविष्य में हमारी आर्थिक व्यवस्था डांवांडोल न हो ।

फिर राष्ट्रमंडल की नागरिकता का प्रश्न आता है । इस सम्बन्ध में मैं देखता हूं कि खंड ११ और खंड १२ में कुछ असंगति है । इस से वास्तव में जो किया जा रहा है वह यह है कि नागरिकता और नागरिकता के वास्तविक स्तर में भेद किया जा रहा है । स्वतन्त्रता के पश्चात् और इस विधेयक के प्रस्तुत होने के पूर्व हमारी स्थिति यह है कि हम अंग्रेजी प्रजा हैं परन्तु अंग्रेजी नागरिक नहीं हैं, और क्योंकि हम अंग्रेजी नागरिक नहीं हैं इसलिये नागरिक बनने से जो भार व्यक्ति पर आ पड़ता है वह हमारे ऊपर नहीं है । अब वास्तव में बात यह रह जाती है कि हम खंड ११ में जो दे रहे हैं और जो खंड १२ में सीमित कर रहे हैं उसे रहने दिया जाये या खंड ११ को समूचे रूप में हटा दिया जाये । जहां तक भिन्न राष्ट्रों द्वारा पारित अधिनियमों का सम्बन्ध है, उन सारे अधिनियमों में एक उत्तम खंड है । परन्तु कुछ अधिनियमों में यह खंड नहीं भी है । इस उत्तम खंड का विषय यह है कि अन्य मित्र राष्ट्रों के नागरिकों को अन्य देशवासियों की अपेक्षा कुछ भिन्न और उच्च स्तर प्रदान किया जाये । यात्रा, व्यापार सुविधा आदि के मामलों में । हम इन सुविधाओं को रखें या न रखें, भिन्न मामला है । परन्तु पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के दो ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने उत्तम खंड को अपने देश के नागरिकता संबंधी अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया है परन्तु उन्हें अन्य देशों के नागरिक की परिभाषा दी है और उस में मित्र राष्ट्र देशों के नागरिकों को सम्मिलित नहीं किया है । जब कि हम

नागरिकता अधिनियम बना रहे हैं, यह उत्तम होगा कि संयुक्त समिति पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम, १९५१ के तत्स्थानी उपबन्धों का अध्ययन करे । इस विधेयक में हम ने यह उल्लेख नहीं किया है कि भारतीय नागरिक राष्ट्रमडल की नागरिक होंगे और यह अच्छा ही है । द्वि नागरिकता के राजनैतिक परिणाम गम्भीर और स्वाभिमान के लिये, जो भारत जैसे गणराज्य का अवश्य होना चाहिये, अपमानजनक होते हैं ।

मेरा ख्याल है कि विधेयक प्राय माने गये स्तरों और सिद्धान्तों पर आधारित है । नीति संबंन्धी विशेष प्रश्न ये हैं कि क्या इस सिद्धान्त को पूर्णतया स्वीकार किया जाये कि जन्म स्थान से नागरिकता निर्धारित होती है; इस बात को कहां तक स्वीकार किया जाये कि संतति को नागरिकता प्राप्त होगी, और यदि यह माना जाता है तो, क्या एक पीढ़ी से अधिक के लिये और क्या स्त्री और पुरुष दोनों की ओर से, आदि आदि और विवाहित स्त्रियों का स्तर कैसे निर्धारित किया जायेगा। मेरा सुझाव यह है कि अन्य देश की स्त्री को, जिस ने भारत के किसी नागरिक से विवाह किया है, नागरिकता देने से पहले कुछ अर्हता-काल का उपबन्ध होना चाहिये । अब, एक बात नागरिकता छीनने के बारे में है । खंड में उल्लेख है कि जो नागरिक भारत की सरकार के प्रति वफादार नहीं रहता, उस की नागरिकता छीन ली जायेगी । हो सकता है कि कुछ साहसी कार्य करने वाले लोग हों । उन के अन्तर्राष्ट्रीय संबधों के कारण सम्भव है कि नाना प्रकार के कार्य करें, और फिर भी वे यह कह सकते हैं कि हम ने राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं किया है, केवल सरकार के विरुद्ध कुछ कार्य किया है । राजनीतिक शास्त्र के विचार से यह भेद महत्वपूर्ण हो सकता है परन्तु जहां तक देश का प्रशासन और सुरक्षा का संबंध है, मेरा ख्याल है कि यह उस आधार से सर्वथा भिन्न है जिस पर नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाये जाने हैं ; । मैं चाहता हूं कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित राज्य हो : इस दृष्टि से हम सरकार के विरुद्ध किये गये कार्य में और राष्ट्र के विरुद्ध किये गये कार्य में भेद रखेंगे । मेरा ख्याल है कि इस उपबन्ध का होना आवश्यक है । अतः मेरा सुझाव है कि प्रथम बार जो भी आदेश पारित किया जाये, अन्तिम स्थिति में उस का पुनर्विलोकन गृह कार्य मंत्रालय में किया जाना चाहिये । अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर ऐसी नागरिकता की विधि, जो सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त हो और भारत आने वालों को सुविधायें आदि दे, बनाने की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : मैं आरम्भ में ही दो बातों पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं । प्रथम, भारतीय नागरिक किस को माना जायेगा, द्वितीय, किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे प्राप्त होगी । हम ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा । दूसरे प्रकार से वे नागरिक हैं जिन का भारत में न हो कर अन्य देश में, परन्तु हमारे देश के नागरिकों से होता है, उन्हें वंशज होने के नाते नागरिकता दी जाती है । विधेयक में पुरुषों के वंशज के अंग्रेजी सिद्धान्त को अपनाया गया है । परन्तु दूसरी ओर, जन्म से और वंशज होने से मिलने वाली नागरिकता को एक ही श्रेणी में रखा गया है । इस स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि वंशज होने से मिलने वाली नागरिकता के मामले में, हम पुरुष के वंशज या स्त्री के वंशज के बीच भेद क्यों करें । अब मैं व्यक्तियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के प्रश्न पर आता हूं । माननीय गृहकार्य मंत्री ने पंजीकरण और नागरिकीकरण के ढ़ंगों का उल्लेख किया था । जो लोग पंजीकरण करा सकते हैं वे या तो भारतीय उद्गम वाले हों या राष्ट्रमंडल के नागरिक हों या विवाहित

[डा० कृष्णस्वामी]

स्त्रियां हों। परन्तु मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक में पंजीयन का जो सिद्धान्त अपनाया गया है वह बहुत अच्छा है। उस के दो कारण हैं, एक तो यह कि हम उस देश के नागरिक को भारतीय नागरिकता देंगे जो भारतीयों को नागरिकता देने को तैयार हो और दूसरा यह कि राष्ट्रमंडल के नागरिकों को नागरिकता देने का प्रश्न सरकार के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। लगभग प्रत्येक देश में नागरिकता देना राज्य की विधायनी क्षमता में आता है। कुछ देशों में नागरिकता छिन जाने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है और कहा जाता है कि यह न्याय के क्षेत्राधिकार की बात है। अमरीका में कुछ ऐसे मामलों में ऐसा किया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने वालों ने ब्रिटेन के नागरिक अधिनियम की नकल कर ली है परन्तु वे दोनों देशों की स्थिति के अन्तर को भूल गये हैं। नागरिकता के अर्जन के सम्बन्ध में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों तथा राष्ट्र मंडल के नागरिकों को एक जैसा नहीं समझना चाहिये था। जो व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद ६ और ८ के अधीन भारत के नागरिक बन गये हैं, उन को भी अब राष्ट्रमंडल के नागरिकों के समान समझा जायेगा। इस का विधिगत परिणाम क्या होगा ?

पूर्वी पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। लंका के लोगों की समस्या भी हमारे सामने है जो राज्य हीन हो गये हैं। ये लोग चाहे वास्तव में नागरिक समझे जायें परन्तु जो १९४२ के बाद भारत आये और जिन्हों ने संविधान के अनुच्छेद ६ के अधीन अपना पंजीयन नहीं कराया उन्हें इस नये उपबन्ध के अधीन अपना पंजीयन कराना पड़ेगा और उस के बाद भी उन्हें पंजीयन की तिथि से ही नागरिक समझा जायेगा। यह विधेयक मार्च में पारित होगा और इसे अप्रैल में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होगी उस के बाद शरणार्थियों का पंजीयन करने के लिये कार्यवाही की जायेगी जिस म समय लगेगा। इस का यह परिणाम भी हो सकता है कि आगामी सामान्य निर्वाचन में मतदान होने के लिये विहित तिथि को ये लोग नागरिक न हों। उस प्रश्न पर और अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इस पर पूरी तरह विचार करेगी क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। परन्तु मेरी आपत्ति इस से भी अधिक मूलभूत है और वह यह है कि भारतीय उद्भव के नागरिकों को उसी श्रेणी में नहीं रखना चाहिये जिस में कि राष्ट्रमंडल के नागरिक हों। नागरिकता छीनने के उपबन्ध केवल उन्हीं लोगों पर लागू होंगे जिनका पंजीयन हुआ है चाहे वे भारतीय उद्भव के हों, राष्ट्रमंडल के नागरिक हों या विवाहित स्त्रियां हों। उन्हें उन लोगों के बराबर नहीं समझा जायगा जो कि जन्म से ही भारतीय हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : तो उस का फिर से पंजीयन क्यों हो ?

डा० कृष्णस्वामी : इसलिये कि आप किसी अन्य राज्य के, भारतीय उद्भव के लोगों को बिना पंजीयन के भारतीय नागरिकता नहीं दे सकते। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे लोगों को अलग श्रेणी में रखा जाय जैसा कि संविधान के अनुच्छेद ६ या ८ में किया गया है और उन के लिये पंजीयन आवश्यक हो परन्तु उन्हें नागरिकता छीने जाने से सम्बद्ध खण्ड से विमुक्ति दे दी जाय। प्रारूप तैयार करने वालों ने बिना सोचे समझे नकल कर के हमारे लिये यह कठिनाई उत्पन्न कर दी है। संयुक्त समिति को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिय कि क्या हम भारतीय उद्भव के राज्यहीन लोगों को

राष्ट्रमंडल के नागरिकों की श्रेणी में रख कर अच्छा कर रहे हैं । उन पर हम नागरिकता छीने जाने सम्बन्धी उपबन्ध को क्यों लागू करें जो कि राष्ट्रमंडल के नागरिकों पर लागू हैं ।

खण्ड ७ द्वयर्थक है । इस में कहा गया है कि किसी राज्य क्षेत्र के भारत का अंग बनने पर केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह बता सकती है कि कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे और वे व्यक्ति आदेश में उल्लिखित तिथि से भारत के नागरिक बन जायेंगे । इस से ऐसा लगता है कि इस का प्रयोग भविष्य में होगा तो फिर चन्द्रनगर का क्या बनेगा जो विधि अनुसार भारत का अंग है ? पाण्डेचेरी का क्या बनेगा जो इस विधेयक के विधान बनने तक भारत का अंग बन जायेगा? सम्भव है कि इन दोनों स्थानों के नागरिकों को भारत के नागरिक बनने का अवसर न मिले ।

इस खंड का यह रूप शायद इस कारण है कि प्रारूप बनाने वालों ने ब्रिटेन के अधिनियम की नकल उतार ली है । परन्तु इस दोष को मामूली से रूपभेद से ठीक किया जा सकता है ।

खण्ड ७ से ऐसा लगता है कि कार्य-पालिका जो चाहे कर सकती है । नागरिकता देना विधान मंडल का कार्य है । हम चाहे कार्यपालिका को कुछ शक्तियां दे दें । परन्तु खंड ७ के अनुसार नागरिकता देने का स्वविवेक सरकार पर है । मान लीजिये कि केन्द्रीय सरकार एक वर्ग के लोगों को नागरिकता देती है परन्तु एक अन्य वर्ग को नहीं । तो कोई भी उच्चतम न्यायालय में जा कर संविधान के अनुच्छेद १४ के अधीन जो नागरिकों और विदेशियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है, यह कह सकता है कि दोनों को बराबर संरक्षण नहीं मिला है । मेरा सुझाव है कि संयुक्त समिति इस खण्ड में उपयुक्त रूपभेद करने के प्रश्न पर विचार करे जिस से कि इस का दोष दूर हो सके ।

नागरिकता की समाप्ति सम्बन्धी खण्ड भी नकल किया गया मालूम होता है । इस के बीच में जो जोड़ा गया है उस से यह अतर्थक बन गयी है । इस में कहा गया है कि किसी माता या पिता द्वारा भारत की नागरिकता छोड़ दिये जाने पर उन के अवयस्क बच्चे भी नागरिक नहीं रहेंगे । इस की क्या जरूरत है? मेरा सुझाव है कि इस खण्ड का उप-खण्ड (२) बिल्कुल हटा दिया जाय ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : और उप-खण्ड (२) के परन्तुक का क्या हो ?

डा० कृष्णस्वामी : उस में कुछ नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अवयस्क वयस्क होने पर नागरिक के रूप में अपना पंजीयन करा सकता है ।

डा० कृष्णस्वामी : अवयस्क स्वतः ही नागरिक नहीं रहेगा । यह अलग बात है कि बाद में उसका पंजीयन हो सकता है । हुआ यह है कि प्रारूप तैयार करने वालों ने ब्रिटिश विधि का नागरिकता फिर से प्राप्त करने सम्बन्धी परन्तुक नागरिकता छोड़ने सम्बन्धी खण्ड में जोड़ दिया है । ऐसा क्यों न हो कि वयस्क होने पर वह चाहे तो नागरिकता छोड़ दे ?

एक और बड़ा विवादग्रस्त परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न है । मेरे माननीय मित्र श्री गाडगील ने अपने भाषण में खण्ड १० की चर्चा की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अवयस्क की नागरिकता समाप्त न हो और उस का पिता किसी अन्य देश में जा कर वहां का नागरिक बन जाय तब क्या होगा ?

डा० कृष्णस्वामी : मां का क्या बनेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मां तो स्वाधीन है । वह अपने नाम का पंजीयन करा सकती है । विवाहित स्त्रियों के सम्बन्ध में अपवाद किया गया है। केवल इस कारण से उस की नागरिकता समाप्त नहीं होगी कि उस का पति किसी अन्य देश का नागरिक बन गया है। यदि मां और बाप किसी अन्य देश के नागरिक जा बनें तो उन का बच्चा भारत का नागरिक होने के नाते उस देश में विदेशी गिना जायेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : आप विपरीत दृष्टिकोण से यह कह रहे हैं ।

डा० कृष्णस्वामी : इस उपबन्ध की अजीब बात यही है कि मां या बाप द्वारा नागरिकता छोड़ दिये जाने पर अवयस्क बच्चा भी नागरिक नहीं रहता। मान लीजिये कि मां भारत की ही नागरिक रहती है, तो क्या बच्चा उस देश का नागरिक बनेगा जिस देश का नागरिक उस का पिता है ? यदि मां और बाप दोनों भारत की नागरिकता छोड़ दें तब तो यह कहने का कुछ मतलब है भी कि बच्चा भी वहां का नागरिक हो जहां के नागरिक उस के मां बाप हैं। १९२६ के देशीयकरण अधिनियम में ऐसी स्थिति के लिये उपबन्ध है। वही उपबन्ध इस विधेयक में भी किया जा सकता था ।

अब खण्ड १० को लीजिये। मेरे माननीय मित्र श्री गाडगील ने इस खण्ड के वाक्यांश– "विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्वेश की भावना वाले"–की ओर संकेत किया है । मेरा विचार है कि सरकार के प्रति विद्वेश की भावना को किसी को नागरिकता से वंचित करने का अधार नहीं बनाया जा सकता यदि इसे हटा दिया जाये तो अनिष्ठा को ही आधार बनाया जा सकता है । किसी की नागरिकता छीने जाने के सम्बन्ध में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया । फिर तो इस बात का और भी कारण है कि हम स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का उल्लेख कर दें जिन में कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है । विधेयक में 'केन्द्रीय सरकार' कहा गया है । इस का मतलब कुछ भी हो सकता है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति जिसे "समुचित प्राधिकारी" कहा गया है । इसलिये इस शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना है । अच्छा यह होगा कि गृह मंत्री नागरिकता छीने जाने के प्रत्येक मामले की स्वयं जांच करें, उसे समिति के सामने रखें और यदि आवश्यक हो तो संसद् को बतायें कि नागरिकता क्यों छीनी गई है । मुझे विश्वास है कि संसद् उचित समझेगी तो ऐसी कार्यवाही का अनुमोदन करेगी ।

खण्ड १३ में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस के नागरिक होने के सम्बन्ध में सन्देह हो, नागरिक होने का प्रमाणपत्र दे सकती है । इस खण्ड की भाषा बड़ी अस्पष्ट है : "सन्देह" तो किसी भी नागरिक के बारे म हो सकता है चाहे वह जन्म से नागरिक हो या किसी अन्य श्रेणी में आता हो। सन्देह तथ्यों के बारे में हो सकता है या कानूनी स्थिति के बारे में हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न पर मंत्रणा लिये बिना इस का निर्णय करे । इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि यह सभा और संयुक्त समिति इस बात पर विचार करे कि क्या यह ठीक नहीं कि संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की राय ली जाय कि प्रमाण पत्र दिया जाय या नहीं ।

हम ने दोहरी नागरिकता को बहुत कम हद तक माना है । इस से हमारे प्राधिकार या स्वायत्तता पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिये मेरा विचार है कि हम ने इस विधेयक

द्वारा राष्ट्रमण्डल के नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने की सुविधाय देकर अच्छा ही किया है। यदि हम भारतीय उद्भव के लोगों को, जो राज्यहीन हो गये हैं, राष्ट्रमंडल के नागरिकों से भिन्न श्रेणी में रखें और उन पर नागरिकता छीने जाने सम्बन्धी खण्ड लागू न करें तो इन अभागों से न्याय हो सकेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नागरिकता की समस्या सदा बड़ी कठिन समस्या रही है। नागरिकता की धारणा का विकास कई शताब्दियों में हुआ है। पहले केवल वही किसी देश के नागरिक माने जाते थे जो वहां जन्मे हों। परन्तु आज कल पंजीयन द्वारा, नये क्षेत्र के देश में सम्मिलिन द्वारा भी नागरिक बन जाते हैं। कानून की दृष्टि में नागरिकों की उन विभिन्न श्रेणियों में कोई भेद नहीं है। नागरिक तो नागरिक है; इस को नागरिकता के सारे अधिकार मिलेंगे ही।

जब हमें स्वतन्त्रता मिली तो नागरिकता के सम्बन्ध में हमारे विचार बहुत अस्पष्ट थे। सब से पहले संविधान में नागरिकता की परिभाषा की गयी। उस समय के लिये इस प्रश्न का निर्णय किया गया परन्तु यह उपबन्ध नहीं किया गया कि भावी संसदों को इस सम्बन्ध में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद ५ से ९ में जो कुछ कहा गया है उसे बदलने के लिये संविधान में ही संशोधन किया जाय। अनुच्छेद १० में कहा गया है :

> "प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा निर्मित की जाये, भारत का वैसा नागरिकर बना रहेगा।"

इस का अर्थ है कि हम नागरिकता जारी रखने सम्बन्धी विधि को भी बदल सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद ११ में कहा गया है :

> "इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगा।"

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम जैसे चाहें इस मामले को निबटा सकते हैं। इस कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं ये देखना चाहता हूं कि इस नागरिकता विधेयक में जो उपबन्ध हैं वे होने चाहियें या नहीं। मैं श्री गाडगील की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे मामले में प्रत्येक राज्य जैसा चाहे कर सकता है।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि इस के अधिकतर खण्ड १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम की नकल हैं। इस में कोई बुरी बात नहीं। हम ने बहुत से कानून ब्रिटेन से लिये हैं। सच तो यह है कि हमारी स्थिति और आर्थिक ढांचा ब्रिटेन के कानूनों के जारी रहने पर इतना निर्भर है कि हम अकारण ही उन से भिन्न कानून नहीं बना सकते।

उदाहरण के लिये कुछ उपबन्धों को तो हम ने ज्यों का त्यों ले लिया; मैं तो कहूंगा कि संविधान बनाते समय हम ने जिन उपबन्धों को नहीं लिया था उन्हें अब ले लेना चाहिये। ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के उन उपबन्धों को, जो हमारे देश के लिये उपयुक्त नहीं हैं, हमें नहीं स्वीकार करना चाहिये।

जहां तक नागरिकता प्राप्त करने का सम्बन्ध है, भारतीय विधि में जन्म को

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

प्रमुख स्थान दिया गया है किन्तु मेरी समझ से केवल जन्म नागरिकता के अधिकार देने के लिये पर्याप्त नहीं। मान लीजिये कि कोई विदेशी पति-पत्नी कुछ समय के लिये भारत में आते हैं और यहीं पत्नी बच्चे को जन्म देती है तो क्या वह बच्चा भारत का नागरिक समझा जायेगा ? नागरिक तो उसे समझा जाना चाहिये जिस के माता पिता भारतीय हों अथवा वे भारत में पल कर यहीं सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिये तैयार हों। किन्तु इस विषय में अब कुछ कहना व्यर्थ होगा क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के अन्तर्गत, और हमारे संविधान के अन्तर्गत भी हम ने यह बात मान ली है कि यदि किसी इंग्लैण्ड में पंजीबद्ध जहाज में भारत में ही यदि किसी का जन्म हो तो भी वह इंग्लैण्ड में पैदा हुआ समझा जायेगा। यद्यपि यह तर्क मुझे कुछ जंचता नहीं मैं इस अवस्था पर इस पर आपत्ति नहीं करूंगा। हम ने संविधान के अनुच्छेद ५ के अनुसार न केवल भारत में पैदा हुए व्यक्ति को ही वरन्, जिस के माता–पिता का जन्म भारत में हुआ था उसे भी नागरिक मान लिया है और अनुच्छेद ६ में तो हम ने उसे तक नागरिकता के अधिकार देने का उपबन्ध किया है जिस के महाजनकों में से कोई भारत में पैदा हुए थे। मेरे विचार से यह उपबन्ध ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश नागरिकता अधिनियम में अन्तर रखा गया है। उस में कहा गया है कि यदि पिता को जन्म के कारण नागरिकता नहीं मिली भी तो केवल उस के वंशज होने से नागरिकता के अधिकार उसे नहीं दिये जा सकते। इस के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतिबन्ध भी हैं। इस चीज को हम ने अपनी नवीन विधि में अपना कर अर्थात् यदि किसा व्यक्ति के पिता का जन्म यहीं हुआ था, तब तो उसे नागरिकता के अधिकार मिलने चाहिय अन्यथा पंजीयन आदि की शर्त रखी गयी है।

खण्ड ५ की व्यवस्था में हमने उस के जनकों या महाजनकों में से किसी का भारत में जन्म होने की जो व्यवस्था की है, यह बड़ी गलत चीज है। हमें इसे पिता तक ही सीमित रखना चाहिये और माता या महाजनकों को सम्मिलित नहीं करना चाहिये था। अन्य विषयों में भी ब्रिटिश नागरिकता अधिनियम की नकल हम ने की तो है किन्तु पूर्णरूपेण नहीं और कुछ उपबन्धों की नकल कर के हम ने गलती भी को है। उस में पंजीयन केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये रखा गया है जो राष्ट्र-मण्डलीय देशों के रहने वाले हैं। उस में जितने भी उपबन्ध हैं उन सब का अन्तर्निहित अर्थ यही है कि वह व्यक्ति किसी स्थान विशेष में रहने वाला हो और उक्त स्थान का साधारण निवासी हो। 'साधारण निवास' की परिभाष हमारे विधान मंडल द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम की धारा २० (७) में की गई है। इस का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति भविष्य में इसी देश में रहने का इरादा रखता हो। देशीयकरण के मामले में भी आप देखेंगे कि उस में भूल निवास के सम्बन्ध में कोई शर्त नहीं है। परन्तु पांच वर्ष से यदि वह रहता है, तो काफी होगा। यह शर्त भी कि वह भविष्य में भो भारत में रहेगा किन्तु अब पक्का राष्ट्रजन कच्चा राष्ट्रजन और प्रथम अथवा द्वितीय कोटि के राष्ट्रजन आदि का अंतर मेरी समझ में नहीं आता।

अब शरणार्थियों की स्थिति को लीजिय। देश के विभाजन के परिणामस्वरूप लगभग ५० लाख व्यक्ति यहां आये और लगभग इतने ही वहां से गये। पश्चिमी पंजाब की प्रान्तीय सभा के सदस्यों को पूर्वी पंजाब की विधान सभा के सदस्य बना लिये गये और लोगों के लिये यह व्यवस्था की गई कि आगामी कई वर्षों तक पश्चिमी पंजाब से आये लोगों को ही नियक्त किया जाय। यह भी कहा

गया था कि सारे शरणार्थियों को आवेदन पत्र देना चाहिये और शपथ पत्र लगाना चाहिये। अब मैं ने कार्य-संचालन समिति से निवेदन किया तो वह अंत में यह मान गई कि जो लोग १९४८ में आये थे उन्हें आवेदन नहीं करना होगा। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि क्या तीस लाख बंगालियों के लिये शपथपत्र देना सम्भव होगा और क्या वे इतना पैसा व्यय कर सकेंगे। अन्त में कार्य-संचालन समिति इस बात से सहमत हो गई कि इन लोगों से ऐसा कहना असम्भव होगा। इस कारण उस ने कह दिया जो लोग १९ जुलाई, १९४८ से पहले आ गये हैं, उन्ह आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

इस के पश्चात् पंजाब से और शरणार्थी नहीं आय। अब हमें चिन्ता उन बंगाली मित्रों की हुई कि वे यहीं रहेंगे अथवा वापस लौट जायेंगे। अतः तय यह हुआ कि जुलाई, १९४८ से बाद के आने वाले लोगों से आवेदन पत्र लिये जाये। इस के पश्चात् स्थिति डांवाडोल सी रही। अन्त में आप को मुझ से भी अधिक अच्छी तरह स्मरण होगा कि सरदार पटेल ने कहा था कि इन लोगों के लिये पूर्वी बंगाल खाली करवाना चाहिये। पंडित नहरू ने भी अन्य 'उपायों' का उल्लेख किया था। वहां के तीस चालीस लाख हिन्दू अभी भी शरणार्भी ही बने हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का आना कैसे बन्द होगा। वे भी हमारे ही शरीर के अंग हैं। मैं १९४८ और उस से बाद आने वालों में कोई अन्तर नहीं समझता। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार इस विषय में विवश है और साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी नीति असफल रही है। पाकिस्तान की हमें हानि पहुंचान की नीति रही है। उस ने विभाजन के समय और बाद में भी अनेक वादे किये किन्तु जब भी उस ने मौका पाया धक्का दे ही दिया और वहां से हिन्दुओं को निकाल दिया।

सब के प्रति हमें सहानुभूति है किन्तु हमारी भावनायें पूर्वी बंगाल और पंजाब से शरणार्थियों के रूप में आए हुए लोगों और उन लोगों के प्रति जो हमारे देश के नहीं हैं, अलग अलग हैं। इन दोनों को समान स्तर पर रखना बड़ा गलत सिद्धान्त है। वे भारत छोड़ कर कहीं भी नहीं जायेंगे। वे भारत के नागरिक बन कर रहेंगे और यहीं मरें खपेंगे।

मैं उन से निष्ठा की शपथ लेने के लिये नहीं कहता वह तो उन की रग रग में भरी हुई है। सरकार उन की हर प्रकार से सहायता कर रही है इस कारण इस विषय में हम में और सरकार में कोई मतभेद नही है तब फिर शपथ लेने की क्या आवश्यकता रह जाती है? शपथ तो विदेशियों से इस सरकार के प्रति भक्ति रखने के लिये और नियम का पालन करने के सम्बन्ध में ली जानी चहिये। इस कारण १९४८ से पूर्व अथवा अब आने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये क्योंकि दोनों समान परिस्थितियों में वहां से आये हैं।

मैं अपने पूर्व वक्ता के कथन से सहमत हूं कि हमारे देश के नेताओं में विश्वास रखन वालों को विदेशियों से भिन्न समझा जाना चाहिये। देर से आने के कारण उन को राष्ट्रीयता के अधिकार मिलने में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिये। इन की स्थिति तो अविभक्त भारत में पैदा हुए व्यक्ति के समान ही है, क्योंकि हमारे नेताओं नें ही उन्हें वहीं रहने के लिये कह दिया था।

ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ के अधीन पंजीबद्ध लोगों को शपथ नहीं लेनी पड़ती इस कारण यह भी कहना ठीक नहीं कि उन्हें भी निश्ष्ठ की शपथ लेनी चाहिये।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दूसरी बात यह है कि पंजीकृत लोगों को उन की राष्ट्रीयता से कभी वंचित नहीं किया जा सकता जबकि देशीयकरण किये गये लोगों की स्थिति उन से भिन्न है। परन्तु हम इस प्रस्थापित विधेयक में क्या उपबन्ध कर रहे हैं? हम यह उपबन्ध रख रहे हैं कि जो शरणार्थी सरकार से विद्वेष करे अथवा जिसे किसी अपराध में एक वर्ष की सजा मिली हो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कोई व्यक्ति सरकार के प्रति वफादार नहीं है इसलिय उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाय कुछ उचित नहीं-जान पड़ता भले ही वह भारत में पैदा हुआ हो और उस के माता-पिता भी भारत में ही पैदा हुए हों।

अतः मेरा निवेदन यह न कि भले होवें पंजीबद्ध हों किन्तु उन की स्थिति भारत के नागरिक के समान ही समझी जानी चाहिये। इंग्लैंड की विधि इस विषय में काफी अच्छी है।

[श्री वर्मन पीठासीन हुए]

इंग्लड में तो यदि कोई व्यक्ति अपने आप को पंजीबद्ध कराने में जाल करता है तभी वह नागरिकता से वंचित हो सकता है अन्यथा नहीं। अतः खण्ड ५ में जो पंजीयन की व्यवस्था की गई है वह नहीं होनी चाहिये और भिन्न प्रकार का विधान बनाया जाना चाहिये।

इस के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद ७ में यह कहा गया है कि जो लोग भारत को छोड़ कर पाकिस्तान चले गये हैं वे इस देश के राष्ट्रजन नहीं समझे जाने चाहियें।

आज सभी सभ्य देशों में यह नियम है कि पांच वर्ष तक किसी देश में रहने से व्यक्तियों को देशीयकरण के अधिकार मिल जाते हैं। एक व्यवस्था यह भी की गई थी कि केवल उन्हीं लोगों की राष्ट्रीयता बनी रहेगी जिन को भारत में पुनः वापस लौट आने के अनुमति पत्र दे दिये गये हैं। इस कारण मैं ने एक संशोधन यहां वापस लौटने वाले लोगों को पांच वर्ष रहने के पश्चात् जितने काल वह पाकिस्तान में रहे हैं, वह भी गिने जाने चाहियें के सम्बन्ध में रखा था वह भी नहीं स्वीकृत हुआ। मुझे इस का खेद नहीं क्योंकि वे हमारे राष्ट्रीय मुसलमान थे जिन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। अब वापस आने पर हमें उन्हें अपनाना ही पड़ेगा। मैं ने उसी समय इन अनुमति पत्रों को बन्द कर देने के लिये कहा था। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पाकिस्तान का राष्ट्रजन, जो पाकिस्तान में रहता हो और वहीं का नागरिक होने पर भी अनुच्छेद ७ के कारण भारत का स्वमेव नागरिक बने। खण्ड ५ में यह उपबन्ध है कि प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी देश का कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक बन सकता है यदि वह उपखण्ड (१) (ङ) में विहित शर्तें पूरी करता हो। शर्त यह है कि वह भारत का साधारण रूप से निवासी हो और बारह मास से अधिक से रह रहा हो। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि यहां की परिस्थितियां भिन्न हैं। मैं इस सभा द्वारा पाकिस्तान से आसाम को जाने वालों के सम्बन्ध में पारित की गई विधि को कभी भी भूल नहीं सकता। मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत बड़ी संख्या में आसाम जा कर वहां की राज्य सरकार के लिये संकट उत्पन्न करना भी सहन नहीं कर सकता। कुछ व्यक्तियों के यहां से जाने और बदले में लगभग उतने ही व्यक्तियों के यहां आने के सिद्धान्त पर मुझे कोई आपत्ति नहीं; किन्तु पाकिस्तान के सम्बन्ध में ऐसा होना सम्भव नहीं। आज काश्मीर, आसाम

और पूर्वी बंगाल में क्या हो रहा है, यह हम सभी जानते हैं। मैं तथ्यों से भला कैसे मुख मोड़ लूं। क्या आज जिस प्रकार यहां मुसलमान रहते हैं, उसी प्रकार इस देश के लोग पाकिस्तान में रह सकते हैं? मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में अच्छे-बुरे सभी प्रकार के लोग हैं। अतः मेरा विचार यह है कि जहां तक नागरिकता का सम्बन्ध है और जहां तक पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का सम्बन्ध है, नागरिकता के अधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध रहने चाहियें जिस से कि हमारे देश की सुरक्षा को खतरा न उत्पन्न हो सके। आज लाखों की संख्या में हिन्दू और मुसलमान भारत आ रहे हैं। क्या हम उन में विभेद कर सकते हैं? सरकार को चाहिये कि पूर्वी बंगाल से आने वाले लोगों के पंजीयन पर रोक लगाये। सरकार नागरिकता के अधिकार देकर वापस भी ले सकती है। उसे चाहिये कि वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को यहां का नागरिक बनाये जो इस के वास्तव में योग्य हों। मैं संयुक्त समिति से निवेदन करूंगा कि वह भी इस पर ध्यान दे और उचित व्यवस्था करे जिस से योग्य व्यक्तियों को व्यर्थ ही पंजीयन व्यय आदि न करना पड़े।

मैं समझता हूं कि १९४८ में भी लाखों पंजाबियों ने खंड ६ के अनुसार आवेदनपत्र नहीं भेजे क्योंकि वे निरक्षर थे। यद्यपि परिभाषिक रूप से वे भारत के राष्ट्रजन नहीं हैं, व्यावहारिक रूप से वे भारतीय राष्ट्रजन हैं। और उन सब अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों में जो पंजाबी और बंगाली आये हैं और जो अब भी आ रहे हैं उन के विषय में यह आग्रह करना कि वे आवेदन पत्र दें और समस्त सम्बन्धित कार्यवाही करें उन के साथ घोर अन्याय करना होगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह एक तिथि निश्चित कर दे और घोषणा कर दे कि इस तिथि से पहले आने वाले लोगों को, उन के द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने बिना ही, भारत के नागरिक बनाया जा सकता है। ऐसे लोग खंड ४ के आधार पर नागरिक बनाये जाने चाहिये खंड ५ के आधार पर नहीं। उन के साथ भिन्न बर्ताव नहीं होना चाहिये। अन्यथा वे यह समझेंगे कि उन्हें भारतीय राष्ट्रजन नहीं समझा जा रहा है। वस्तुतः सरकार उन के प्रति अत्याधिक उदार रही है। क्या सरकार उन के पुनर्वास पर २५० करोड़ रुपये व्यय करने के बाद अब यह चाहती है कि वे लोग यह समझें कि उन्हें भारतीय राष्ट्रजन नहीं माना जा रहा है? मैं कहता हूं कि यह एक गलत बात होगी।

जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मेरो विनम्र राय यह है कि हमें ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के उपबन्ध मानने चाहियें। हां, शपथ या निष्ठा का उपबन्ध अवश्य रहना चाहिये, यद्यपि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनिम में यह नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि शरणार्थी खंड ५ के अन्तर्गत आयें, उन्हें खंड ४ में शामिल किया जाना चाहिये। खंड ४ फिर से लिखा जाये या एक नया खंड ४ (क) उस में जोड़ा जाये जिस में यह उपबन्ध हो कि इन शरणार्थियों के साथ वही बर्ताव होगा जो खंड ४ के अन्तर्गत आने वाले लोगों के साथ किया जाये।

जहां तक किसी व्यक्ति को नागरिकता अधिकारों से वंचित करने की शक्ति का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह शक्ति मंत्री को दी जाये और इस विषय में उस का निर्णय अन्तिम माना जाये। आखिर मामला मंत्री को तभी भेजा जाता है जब एक जांच समिति उस की पूर्णतः जांच पड़ताल कर लेती है। ऐसी दशा में अपील का प्रश्न भी नहीं उत्पन्न होता। यदि आप को मंत्री के निर्णय से संतोष नहीं है तो फिर आप किस का विश्वास करेंगे? जांच समिति द्वारा जांच की जाने का उपबन्ध

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हो एक अच्छा परित्राण है। आज कल 'राजद्रोह' शब्द की भी कोई लिखित परिभाषा नहीं है। ऐसी दशा में न्यायालय कैसे निर्णय कर सकते हैं ?

हमने यह उपबन्ध किया है कि १८ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को वयस्क माना जायेगा। मैं समझता हूं कि ब्रिटिश विधि के अधीन वयस्कता की आयु २१ वर्ष है। मेरी राय में इस विषय में २१ वर्ष की आयु को ही वयस्कता आयु माना जाये।

अब मैं द्वैध राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जहां तक ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम का सम्बन्ध है, इस में केवल यह कहा गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रमंडीलीय देशों के नागरिक हैं उन के विषय में यह समझा जायेगा कि उनकी स्थिति ब्रिटिश प्रजाजन के समान है। ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा १२ और १३ से यह पता चलता है कि ब्रिटिश प्रजाजन की स्थिति संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) नागरिक की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। हम ने यहां इन दो चीजों को मिला सा दिया है। हम ने खंड ११ में कहा है कि जो व्यक्ति किसी राष्ट्रमंडलीय देश का नागरिक है उसे भारत में राष्ट्रमंडलीय नागरिक की हैसियत प्राप्त होगी। जहां तक इस का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि राष्ट्र-मंडलीय नागरिक के अधिकार तथा कर्तव्य क्या हैं। ब्रिटिश विधि में भी इस का उल्लेख नहीं है। पंजीयन के विषय में ब्रिटिश विधि में राष्ट्रमंडलीय देशों के राष्ट्रजनों को अपने आप को उन देशों के नागरिक पंजीबद्ध कराने का अधिकार दिया गया है। मैं नहीं कह सकता कि इस पंजीयन का उनको मूल नागरिकता पर क्या वैधानिक प्रभाव पड़ेगा। यदि अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक हमारे देश के नागरिक बनना चाहते हैं और वे देश पारस्परिकता के आधार पर हमारे लोगों को वहां आने देते हैं तो इस पर हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं जानता हूं कि हमारे देश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत आता है इस में मुझे कोई लज्जा नहीं आती। यदि संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीयता या विश्व राष्ट्रीयता जैसी कोई चीज भी हो जाये तो इस में भी कोई हर्ज नहीं है।

जहां तक खंड १२ का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि शब्द "By order" ["आदेश द्वारा"] के स्थान पर शब्द "By law" ["विधि द्वारा"] रख दिये जायें।

खंड ५(२) तथा ६ (२) में जिस निष्ठा की शपथ का उल्लेख है वह नागरिकता वंचन सम्बन्धी उपबन्ध से सारतः भिन्न है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों उपबन्धों को एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हमारी विधियां अन्य सभ्य देशों की विधियों के समान हों। मैं प्रवर समिति से यह अनुरोध करूंगा कि वह ब्रिटिश अधिनियम की अक्षरशः नकल न कर के देश की समस्त परिस्थितियों का अध्ययन करे और फिर यह देखे कि हमारे लिय क्या क्या उपबन्ध आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से हितकर होंगे—इन पर विशेष रूप से पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाय। पाकिस्तान से मैं घबड़ाता नहीं हूं। पाकिस्तान के लोगों से मुझे प्रेम है क्योंकि हमारी संस्कृति एक जैसी है। विभाजन के पूर्व हम लोग एक ही देश के निवासी थे। परन्तु मैं चाहता हूं कि हम अपनी विधियां इस प्रकार की बनालें कि हमारे देश की सुरक्षा में कमजोरी न आये।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) खण्डों की टिप्पणी देखने से और खण्डों पर

विचार करने से प्रतीत होता है कि इस विधेयक में दोहरी नागरिकता का उपबन्ध किया गया है। मैं सभा से और संयुक्त समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय पर विचार करे कि दोहरी नागरिकता का उपबन्ध कहां तक उचित है। हमारे देश को एक निष्ठा पर आधारित देश भक्ति के लिये एक नागरिकता की आवश्यकता है। किन्तु दोहरी नागरिकता का उपबन्ध करने से भ्रांति उत्पन्न हो जायेगी। अतः केवल उन्हीं लोगों को इस देश का नागरिक बनाना श्रेयष्कर है, जो अन्य देश के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि अभी तक विश्व राज्य का विचार केवल विचार है। राष्ट्रमण्डलीय नागरिकता का उल्लेख तो किया गया है किन्तु इस की परिभाषा नहीं दी गई है। क्या पारस्परिक आधार पर राष्ट्रमण्डलीय नागरिकता के उपबन्ध का यह अर्थ होगा कि हमें भी दक्षिण अफ्रीका वालों की तरह उन के साथ संकीर्णता और अंग्रेजो के समान उन के साथ अत्यन्त उदारता का व्यवहार करना होगा ? किन्तु ऐसा करना संभव नहीं होगा, इसलिये केवल राष्ट्रमंडलीय नागरिकों के साथ पारस्परिकता स्थापित करने का कोई लाभ नहीं है। राष्ट्रमण्डल के विभिन्न देशों के नागरिकों के प्रति विभिन्न ढंग से व्यवहार करने का कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता। मैं इस से भी आगे यह कहूंगा कि हम द्वैधता को राष्ट्रमण्डल तक ही सीमित क्यों रखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध है, इसलिये हमें इन देशों के साथ निकट का सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाना चाहिये। यदि हम इस पारिस्परिकता के सिद्धान्त से बंधे हुए हैं तो हमें इसे अन्य देशों के बारे में भी लागू करना चाहिये जिन के साथ हमारी सांस्कृतिक समानता है, और जो हमारे देश के लिये प्रेम तथा आदर का भाव रखते हैं।

पूर्वी बंगाल से आने वाले हिन्दू शरणार्थियों की अत्यन्त बुरी दशा है। पूर्वी बंगाल में १२६ लाख हिन्दू थे, किन्तु कुछ वर्ष पहले वहां ९० लाख हिन्दू ही रह गये। शेष लोगों का क्या हुआ, इस का पता नहीं है। पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं की समस्या भीषण है, उन्हें या तो वहीं मुसलमान बनना पड़ेगा, या भारत में आना होगा। इतने लोगों को पश्चिमी बंगाल कैसे स्थान दे सकेगा ? मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि उन को शरण दी जाये और समस्त राज्य सहायता दें। पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं को एक न एक दिन भारत में आना ही पड़ेगा, परन्तु हमें चाहिये कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों को यहां आ कर पंजीवित्त होने की सुविधायें न दें। भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत की जनता के बारे में; उस का यह अर्थ नहीं कि उसे अन्य देशों के मुसलमानों आदि के प्रति भी धर्मनिरपेक्षता का भाव रखना चाहिये। समाचारपत्रों से पता चलता है कि पाकिस्तान और आजाद काश्मीर से मुसलमान भारत में आ रहे हैं। जो पाकिस्तान चले गये हैं वे भारत के राष्ट्रजन नहीं हैं और उन पर मूलभूत अधिकार लागू नहीं होते। किन्तु हम अपने शरणार्थियों की भीषण कठिनाइयों को होते हुए भी देश के बाहर के मुसलमानों को यहां स्थान देते जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं और पाकिस्तान के मुसलमानों में भारत में आने के बारे में भेद मानना संविधान के विरुद्ध नहीं है। हमें प्रत्युत वस्तुस्थिति का सामना करना चाहिये। संविधान के इन उपबन्धों के होते हुए अनुच्छेद ६, ७ और ८ की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमें अपनी भलाई के लिये नागरिकता विधेयक में संशोधन करने की स्वतन्त्रता है। मैं आशा करता हूं कि यह सभा और संयुक्त समिति इस पर विचार करेंगी।

क्या हम संविधान में दिये गये सब मूल भूत अधिकार राष्ट्र मंडल के नागरिकों को भी देना चाहते हैं, जो इस देश के नागरिक

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

नहीं हैं। इस देश के पक्के नागरिक और राष्ट्र-मंडल के नागरिक के बीच कुछ भेद तो अवश्य ही होना चाहिये। हमें इस बात पर बड़ी सतर्कता से विचार करना चाहिये कि हमें पारस्परिकता के आधार पर अन्य देशों के नागरिकों को कितने अधिकार देने चाहिये।

विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने खंड १० में केन्द्रीय सरकार को दी गई शक्ति का विरोध किया है। युद्ध के समय अवैध रूप से शत्रु पक्ष के साथ व्यापार करने वाले या उस को सहायता देने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर देने का उपबन्ध आपातकालीन उपबन्ध है। यह अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी उपबन्ध है। परन्तु मेरा सुझाव यह है कि इस की अपील गृह कार्य मंत्री तक पहुंचनी चाहिये और किसी अवसर सचिव आदि को इन पत्रों का निबटारा करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

खण्ड ६ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के अतिरिक्त एक अन्य परन्तुक जोड़ा गया है, जिस का मैं अनुमोदन करता हूं।

यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक हमारे सामने है। इसके विषय में जितनी बातें कहीं गई हैं और सुझाव दिये गये हैं उन सब पर यथायोग्य विचार करते हुए, तथा परिस्थियों के अनुसार विधेयक के उपबन्ध बनाये जाने चाहियें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सब से पहले मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधेयक के उपबन्धों का अच्छी तरह स्वागत हुआ है। और सब के सब पक्षों की ओर से इस उद्देश्य से बड़ी उपयोगी एवं रचनात्मक आलोचना हुई है, कि संयुक्त समिति इस विधेयक के उपबन्धों को यथासंभव पूर्ण एवं निरपवाद बना सके। हमें इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों में इसी प्रकार चलना चाहिये। अतः यह हम सब के लिये बधाई का विषय है कि यह विधेयक इस सभा के आशीर्वाद के साथ आरम्भ हो रहा है और यथासंभव तथा यथावश्यक सुधार के उद्देश्य से संयुक्त समिति को भेजा जा रहा है।

गृह कार्य मंत्री पहले बता चुके हैं कि जहां तक इस विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है, उन में सुधार हो सकता है और संयुक्त समिति को इस मामले के सब पहलुओं पर विचार करने और जहां तक इस में सुधार हो सके, सुधार करने की स्वतन्त्रता होगी। इस के अन्तर्गत रहते हुए मैं इस माननीय सभा के समक्ष कुछ हेतु रखना चाहता हूं, ताकि माननीय सदस्य समझ सकें कि सरकार ने विधेयक इस ढंग से क्यों बनाया है और ऐसा करने में उसे किन बातों ने प्रेरित किया है।

प्रारम्भ में मैं सभा को इस विधेयक का उद्देश्य बताऊंगा। इस विधेयक का नागरिक के अधिकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। पहले जब कुछ चर्चा हुई थी, उस दिन संभवतः हम ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया था। यह हमारा संबंध नागरिकता की मान्यता अथवा अधिग्रहण तथा अन्य प्रासंगिक मामलों से है, जिन का संविधान के अनुच्छेद ११ के सामान्य निबंधनों में उल्लेख किया गया है। हम यहां न तो नागरिकों के अधिकारों का निश्चय कर रहे हैं और न उन की निर्योग्यताओं तथा दायित्वों का। इन मामलों का कुछ मात्रा में भारत के संविधान में निश्चय किया जा चुका है। आप देखेंगे कि जब मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया, वहां सदा नागरिक के अधिकारों अथवा दायित्वों का निर्देश किया गया। जब कभी 'नागरिक' शब्द का प्रयोग किया जाता है इस का अर्थ यह

है कि नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं और उस पर कुछ रुकावटें भी लगाई गई हैं। किन्तु, जब, उदारहणार्थ, वे किसी का "व्यक्ति" के रूप में उल्लेख करते हैं, तो भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस अधिव्यक्ति के अन्दर आ जाता है। और भी बहुत सी विधियां हैं, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा अन्य बहुत से अधिनियम, जो भारत के नागरिक को कतिपय अधिकार देते हैं। अतः जहां तक विधेयक के वर्तमान उपबन्धों का सम्बन्ध है, इस बात का विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय नागरिकता के क्या अधिकार देने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि माननीय मित्र श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने कहा है, जब हम राष्ट्रमंडलीय नागरिकता का विचार करते हैं। इस के अतिरिक्त, हमें नागरिकता के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

कतिपय अन्य विवाद उठाये गये थे जो न्यूनाधिक रूप में प्रकृति में छोटे हैं और जिनका निपटारा मैं सब से पहले करना चाहता हूं। माननीय मित्र श्री वल्लाथरास ने कहा था कि विधेयक पर जनमत जानने के लिये इसे परिचालित करना चाहिये। इस विधेयक के मामले में पर्याप्त शीघ्रता की आवश्यकता है, हम ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्रीय दर्जा जानने के लिये १ मार्च, १९५६ निर्णायक दिनांक के रूप में रखने की संभावना है। १ मार्च, १९५६ निर्णायक दिनांक होगा और यदि कोई उस दिनांक को नागरिक होगा, तब वह सामान्य निर्वाचनों की जो बहुत शीघ्र ही आ रहे हैं। निर्वाचक-नामावली में नाम दर्ज करवाने के लिये अधिकृत होगा इसलिये हमारी यह इच्छा है कि क्या शीघ्र भारत में वे सब व्यक्ति, जो अभी पंजीयित नहीं हुए हैं, इस प्रकार पंजीयित हो जाने चाहियें, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में न रहे, जिसे "राज्यहीनता" कहते हैं। माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि अब भी बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हों ने अपने आप को पंजीयित नहीं करवाया है, हालांकि संविधान में इस संबंधी विशेष उपबन्ध रखे गये हैं। अतः उन सब लोगों को, जो नागरिक होने के अधिकारी थे, अपने आप को नामबद्ध करवाने के हेतु संविधान अधिनियम ने भाग २ में कतिपय उपबन्ध किये गये थे, जिस में संविधान के लागू होने के समय पर नागरिकता अधिग्रहण करने अथवा इस की मान्यता के विषय की चर्चा की गई है। जहां तक वर्तमान सामान्य विधेयक का सम्बन्ध है, हमारी यह इच्छा है कि यह विधेयक यथाशीघ्र पारित हो जाना चाहिये। ताकि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति, जो नागरिकता के अधिकार का अधिकारी है, उस अधिकार से वंचित न रह जाये और परिणामतः आगामी सामान्य निर्वाचनों में मतदाता होने के अधिकार से भी वंचित न हो। पर्याप्त शीघ्रता का यही कारण है और मुझे विश्वास है कि संयुक्त समिति का प्रतिवेदन भी अतिशीघ्र प्राप्त हो जायेगा। और यह विधेयक इस सभा द्वारा तथा दूसरी सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त विधि बन जायेगा।

बहुत से अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण अथवा मूलभूत विचार आलोचना के द्वारा अथवा सुझावों के द्वारा इस सभा के समक्ष रखे गये थे। कहा गया था कि जहां तक राष्ट्रमण्डलीय नागरिकता का सम्बन्ध है, वह संदेहयुक्त मामला है और श्री एस० एस० मोरे ने यहां तक कह दिया है कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम अब भी लागू है, लागू रहा है और हम सब इस अधिनियम से प्रशासित होते हैं और स्वभावतः इस से हमारी स्थिति बड़ी भद्दी हो जायेगी कि हम सब ब्रिटिश राज अथवा इंग्लैंड की सम्राज्ञी के प्रति निष्ठा रखने को बाध्य हों। मैं इस विषय में माननीय

[श्री दातार]

मित्र को बताऊंगा कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता तथा अन्य देशीय स्थिति अधिनियम जो १९१४ में पारित हुआ था, १५ अगस्त १९४७ के पश्चात् भी लागू रहा था। परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ब्रिटिश संसद् द्वारा इस अधिनियम के स्थान पर १९४८ का ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम पारित कर दिया गया था।

श्री एस० एस० मोरे कृपया यह समझ लें कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, १९४७ की धारा ६(४) के अधीन यह ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम भारत पर लागू नहीं किया गया। आप को विदित है, कि संविधान अधिनियम के पारित होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने १९४७ में सत्ता के हस्तान्तरण के समय एक अधिनियम जिसे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहा जाता है, पारित किया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन बन गये थे। अतः संविधान के पारित होने तक भारत एक डोमिनियन ही था। अतः ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम भारत पर बिलकुल लागू नहीं किया गया। इसलिये उन प्रयोजनों के लिये जिन की ओर श्री एस० एस० मोरे ने निर्देश किया है हमारे ब्रिटिश प्रजाजन या ब्रिटेन के नागरिक होने का प्रश्न ही नहीं है।

उन्हों ने कुछ कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दिलाया है और उन्हों ने एक और अधिनियम की ओर निर्देश किया है, जो कि ब्रिटिश संसद् ने जार्ज षष्ठ के दिनों में पारित किया था। इसे भारत (आनुषंगिक उपबन्ध) अधिनियम कहा जाता है। इसे १९४९ में पारित किया गया था। मेरे मित्र ने केवल इस की पहली धारा पढ़ी है, धारा ३ नहीं पढ़ी, जो कि इस प्रकार है :

> "सम्राट, सपरिषद् आदेश द्वारा, किसी विद्यमान विधि में जहां तक कि इस अधिनियम का विस्तार है, ऐसे रूपभेद के लिये उपबन्ध कर सकेगा, जो भारत के गणराज्य होने को दृष्टि में रखते हुए जबकि वह राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा उसे आवश्यक अथवा वांछनीय प्रतीत हो।"

यह अधिनियम भी उन अधिकारों को सुरक्षित करने और उन्हें जारी रखने के लिये पारित किया गया था, जो कि ब्रिटेन आदि में भारतीयों को प्राप्त थे। अतः सत्ता के हस्तांतरण के बाद ब्रिटिश संसद् द्वारा पारित किये गये अधिनियम के भारत पर आप ही आप लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध है इस पर खंड ११ और १२ लागू होते है और इन्हें साथ साथ पढ़ा जाना है। इस के बाद हमें इन में भेद भी करना है और दर्जे और अधिकारों के बीच भेद को समझना है। में सदन के सामने स्पष्ट करूंगा कि दर्जे को नागरिकता के अधिकारों के बराबर नहीं समझा जा सकता।

खंड ११ में कहा गया है कि :

> "प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रथम सूची में उल्लिखित राष्ट्रीय मंडलीय देश का नागरिक है उस नागरिकता की हैसियत से भारत में राष्ट्रमंडलीय नागरिक का दर्जा प्राप्त होगा।"

कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्यों को दिये जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने एक घोषणा की है कि राष्ट्रमंडल के सदस्यों को विदेशी नहीं समझा जाता है। वास्तव में संविधान में एक अनुच्छेद है, जिस के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा

करने का अधिकार है और उन्हों ने ऐसी घोषणा की भी थी कि राष्ट्रमंडल के सदस्यों का, राष्ट्रमंडल के विभिन्न देशों के नागरिकों का वह दर्जा होगा। इस कारण किसी व्यक्ति का या राष्ट्रमंडल के सदस्य का, भारत में राष्ट्रमंडल के नागरिक का दर्जा होगा, परन्तु इस शर्त पर कि इस पर अपने राज्य के तत्स्थानी अधिनियम लागू होते हों। इस दर्जे से उसे नागरिकता के अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, बल्कि कुछ सुविधाऐं या रियायतें प्राप्त होंगी जो कि मैं बताता हूं।

एक यह है कि उसे विदेशी नहीं समझा जायेगा। हमारे यहां एक विदेशी अधिनियम है, जिस के अनुसार यदि किसी विदेशी को भारत में आना है, तो उसे पारपत्र लेना पड़ता है, उसे दृष्टांक लेना पड़ता है, उसे अनुमति लेनी पड़ती है और उन पर कुछ आभार लगाये जाते हैं। जहां तक उन लोगों का सम्बन्ध है, जो विदेशी नहीं हैं, अर्थात् जहां तक राष्ट्रमंडल के सदस्यों का सम्बन्ध है, उन के कुछ अधिकार हैं। वे विदेशियों के आभारों से विमुक्त हैं। अतः घोषणा का कार्यक्षेत्र यह है कि उन्हें भारत में राष्ट्रमंडल नागरिक का दर्जा प्राप्त होगा और भारतीय नागरिक का नहीं।

फिर यह भी देखा जायेगा कि उदाहरणतया यदि वह वहां है और वहां खंड ५ के अधीन पंजीयन द्वारा नागरिकता के लिये प्रार्थना पत्र देना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। यह ऐसा अधिकार है जो केवल गैर विदेशियों को दिया गया है। पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार केवल उन को दिया गया है जिन्हें विदेशी नहीं समझा जाता है। महत्वपूर्ण बात जो इस सम्बन्ध में समझी जानी है, यह है कि खंड ११ और १२ को इकठ्ठा पढ़ा जाना है। खंड १२ में कहा गया है कि :

> "केन्द्रीय सरकार सरकारी सूचना पत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी देश के नागरिकों को भारत के नागरिक के सभी या कोई अधिकार देने के लिये पारस्पारिकता के आधार पर उपबन्ध कर सकेगी।"

केवल इस कारण कि भारत में राष्ट्रमंडल के नागरिक के रूप में उस का दर्जा माना गया है इस का अर्थ यह नहीं कि उसे भारतीय नागरिक के सब या कोई अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार विशिष्ट रूप से दिये जाने होते हैं। दूसरी बात यह समझनी चाहिये कि भारतीय नागरिक को प्राप्त सब या कोई अधिकार उन्हें प्रदान किये जा सकते हैं कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं बल्कि पारस्परिकता के आधार पर और इस शर्त पर कि भारतीयों को उन देशों में नहीं अधिकार दिये जायें। तभी यह अधिकार दिए जा सकते हैं। अतः आप देखेंगे कि एक बड़ा महत्वपूर्ण परित्राण रखा गया है और यह सरकार के कार्यपालिका-आदेश द्वारा होगा। पारस्परिकता का निर्णय सरकार करेगी, मैं ने विधि द्वारा कभी नहीं कहा। भारत में राष्ट्रमंडल के सदस्य को ये अधिकार केवल तभी दिये जायेंगे जबकि पारस्परिकता के आधार पर भारत और उस व्यक्ति के देश के बीच जो कि राष्ट्रमंडल का सदस्य है समझौता हो गया हो।

मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि वास्तव में पारस्परिकता से काम नहीं चलेगा। उन्हों ने इस सम्बन्ध में एक पड़ौस देश का नाम भी लिया है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में सरकार को वापस लेने के काफी अधिकार हैं।

[श्री दातार]

उदाहरणतया यदि वास्तविक पारस्परिकता की भावना नहीं है, तो उस देश के किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर कि वह भारत में राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ऐसे कोई अधिकार नहीं दिये जा सकते ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या उन अधिकारों की कोई अधिकृत सूची है, जो कि सरकार प्रदान कर सकेती है ?

श्री दातार : मैं सभा को बता चुका हूं कि इस विधेयक का सम्बन्ध विभिन्न अधिकारों की घोषणा या वर्णन से नहीं है । इन का उल्लेख संविधान और अन्य अधिनियमों में किया गया है, और इन की सूची बनाई जायेगी । मैं इस सम्बन्ध में माननीय मित्र का ध्यान खंड २(१)(ग) की ओर दिलाता हूं । इसे आधार माना जायेगा और सरकार देखेगी कि जहां तक भारतीयों का सम्बन्ध है, कोई विभेद, असमानता या कष्ट तो नहीं है । यदि हो, तो मुझे विश्वास है कि या तो कोई पारस्परिक समझौता नहीं होगा या यदि समझौता हुआ, तो इस से हमें भी लाभ होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन है, कि जहां तक नागरिकों का सम्बन्ध है, अधिकार एक भिन्न श्रेणी में आते हैं, परन्तु मैं उन अधिकारों के बारे में कह रहा हूं जो खंड १२ के अधीन दिये जायेंगे ।

श्री दातार : यह पारस्परिक आधार पर किया जाना है ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि ऐसा है तो सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् को अधिकार बताने चाहियें ।

श्री दातार : संविधान के अन्तर्गत संसद् के कोई कार्यपालिका-कृत्य नहीं हैं । भारत में जहां तक संविधान के ढांचे का सम्बन्ध है, संसद् का केवल विधायिनी अधिकार है और इस के कार्यपालिका-कृत्य नहीं हैं । जब सरकार ऐसी है, जोकि आप ने स्वयं चुनी है, तो आप को इस पर विश्वास करना है । इसलिये कार्यपालिका होते हुए, सरकार को ये अधिकार दिये गये हैं और यह कार्यपालिका सदा संसद् के प्रति उत्तरदायी है । अतः यह उपबन्ध सोच विचार के बाद रखा गया है और यह लाभदायक है ।

टी० एस० ए० चेट्टियार ने पूछा है कि सामान्य नागरिकता के लिये हम ने कोई अन्य एकक क्यों नहीं बनाये, जैसे कि हम ने राष्ट्रमंडलीय नागरिकता निकाली है । राष्ट्रमंडलीय नागरिकता इतिहास का मामला है । यह ऐसा एकक है जिसे अभिज्ञात किया गया है । अतः यह संभव है कि इन रचनात्मक प्रयोजनों के लिये हम दक्षिण-पूर्वी ऐशिया के और अन्य देशों के साथ भी समझौता कर के ऐसा एकक बना लें और उस मामले में हम इन सिद्धान्तों को उन पर लागू कर सकते हैं और पारस्पारिक आधार पर कार्यवाही कर सकते हैं । मैं माननीय मित्रों की इस बात से सहमत हूं कि इन देशों के अधिक गहरे सम्बन्ध हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति इनके साथ काफी हद तक एक जैसी है । और इन के साथ हमारी काफी मित्रता है । किन्तु यह भविष्य की बात है । जहां तक इस समय का सम्बन्ध है हमारा एकक राष्ट्रमंडलीय एकक है । इस ने साम्राज्य के सब विचार छोड़ दिये हैं और इस से अब नागरिकता के मामले में लाभ उठाया जा सकता है । मुझे हर्ष है कि यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या ब्रिटेन को अभिज्ञात करने से उस के उपनिवेशों को अभिज्ञात नहीं करना पड़ेगा :

श्री दातार : जहां तक पहली अनुसूची का सम्बन्ध है, इस बात का ख्याल रखा गया था कि केवल स्वशासी एकक सम्मिलित किये जायें। आप देखेंगे कि इस में उल्लिखित आठ देश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के स्वाशासी एकक है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस परिभाषा में रक्षित राज्य और नियोजित तथा न्यास प्रदेश सम्मिलित नहीं हैं। ये औरों की तरह स्वशाशी नहीं हैं। अतः इस पहलू से प्रकट होगा कि जहां तक पारस्परिक समझौते का सम्बन्ध था, इससे इन राज्यों के सम्पूर्ण प्रभुत्व होने के आधार पर रखा गया था, और किसी आधार पर नहीं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : व्याख्या में सब उपनिवेशों का भी उसल्लेख है। ये स्वशासी नहीं है।

श्री दातार : ये ब्रिटेन के भाग हैं, किन्तु हम ने दक्षिण राज्यों में और नियोजित तथा न्यास प्रदेशों को सम्मिलित नहीं किया। हमारा उपनिवेशों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, परन्तु यहां हमारा सम्बन्ध कुछ स्वशासित एककों से है, अतः इस विषय में विशेष संरक्षण रखा गया था।

इस के बाद मैं दोहरी राष्ट्रीयता के प्रश्न को लूंगा। यह एक विवादास्पद मामला है। दोहरी राष्ट्रीयता के प्रश्न के सम्बन्ध में अनेक विचार हैं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति की एक ही राष्ट्रीयता और एक ही नागरिकता होनी चाहिये क्योंकि एक व्यक्ति किसी एक ही देश के प्रति भक्त रह सकता है, दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में एक व्यक्ति को एक से अधिक देश का राष्ट्रीय मजबूरन बनना पड़ता है। मैं सभा के समक्ष ऐसे दो मामलों का जिक्र करूंगा। उदाहरण के लिये, धारा ३ में, हम ने जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिग्रहण की व्यवस्था की है। हमने उद्भव के आधार पर भी नागरिकता की अधिग्रहण की बात की ओर संकेत किया है। उदाहरण के लिये एक ऐसे पाकिस्तानी के कुछ पुत्रों को लीजिये जो पाकिस्तान चला गया था और वहीं रह रहा है। वह पाकिस्तान का एक स्थायी निवासी रहा है। उसके पुत्र सदा से भारत में रहते आये हैं। खण्ड के अन्तर्गत, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है क्योंकि यह एक ऐसा खण्ड है जो केवल जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार देता है। श्री गाडगील ने बताया कि केवल जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकार की निन्दा करनी व्यर्थ है। यह एक ऐसा खण्ड है जिसे सभ्य देशों की लगभग सभी विधियों में जानबूझ कर रखा गया है क्योंकि जन्म से ही एक व्यक्ति को बहुत से अधिकार मिल जाते हैं। फ्रांस की क्रान्ति के पूर्व नागरिकता राजा और प्रजा के सम्बन्धों पर निर्भर रहती थी। अब वह व्यक्तिगत संबंध की प्रथा नहीं रही। अब हमारे सामने राष्ट्रीयता और प्रदेश का विचार है जिस का परिणाम यह है कि अब एक सिद्धान्त बन गया है कि राज्य में जन्म लेने से ही एक व्यक्ति को उस राज्य के नागरिक होने का अधिकार मिल जाता है।

इस बात के लिये अन्य किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं है। इसे ज्यों-का त्यों रखा जाता है, चर्चा के दौरान इस सिद्धान्त की भी बात कही गयी थी और इसे स्वीकार भी किया गया था। एक या दो राज्यों को छोड़ कर जिन का कहना है कि केवल जन्म लेना ही नागरिकता के अधिकार का आधार नहीं होना चाहिये बल्कि उद्भव का सिद्धान्त इस का आधार होना चाहिये, सभी राज्य इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता

[श्री दातार]

का अधिकार प्राप्त करता है, स्वभवतः उद्भव के आधार पर पाकिस्तान की नागरिकता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उसके पिता पाकिस्तान में है और उस का जन्म भारत में हुआ है उसका पिता पाकिस्तान का निवासी है अतः स्वभावतः वह पाकिस्तान का नागरिक है । इस प्रकार जन्म से वह व्यक्ति भारत का नागरिक हुआ और उद्भव के आधार पर पाकिस्तान का नागरिक। अतः कभी कभी दोहरी राष्ट्रीयता या बहुदेशीय राष्ट्रीयता को बिलकुल हटा देना बहुत कठिन होता है फिर भी मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल एक राष्ट्रीयता होनी चाहिये ताकि देश भक्ति तथा विश्वास के भंग होने का कोई भी खतरा न रहे ।

मैं आप को एक ऐसा मामला बताऊंगा कि एक व्यक्ति अमरीका तथा जापान दोनों देशों का नागरिक था । युद्ध के समय में, देशभक्तियों का संघर्ष था। जब वह जापान गया था उस ने अपने को जापान का नागरिक घोषित किया और कई ऐसे काम किये जो नागरिकता के लिये बिलकुल हानिकारक थे। बाद में वह अमरीका गया और अपने आप को वहां का नागरिक बताया। वहां उस पर राज्यद्रोह का आरोप लगा कर पकड़ लिया गया। उसे सजा भी दी गयी। अतः ये खतरे हैं, पर इस दोहरी राष्ट्रीयता से बिलकुब छुटकारा पाना बहुत कठिन है। इस सम्बन्ध में आप के यहां पाना१९३० का हेग अभिसमय है। विदेशों में इस प्रकार के प्रश्न प्रायः उठा करते हैं । एक व्यक्ति 'क' और 'ख' दो देशों का नागरिक है तो उस के कार्यों को किन अधिनियमों के अधीन माना जाये एक नियम जिसका नाम मास्टर राष्ट्रीयता नियम है बनाया गया है जिस में बताया गया है कि यदि वह व्यक्ति 'क' देश में है तो जब तक वह वहां है : उसे वहां की नागरिकता का पूर्ण अधिकार है और वह और उसकी सम्पत्ति पर 'क' देश की विधियां लागू होंगी। पर जब वह 'ख' देश में होगा तो 'ख' देश की विधियां उस पर लागू होंगी। यदि वह 'ग' देश या किसी अन्य देश में होगा जहां उसे राष्ट्रीयता का कोई अधिकार नहीं है, और उस पर उस देश की विधियां लागू होंगी । यह सब बड़े जटिल सिद्धान्त हैं और यह धीरे धीरे बने हैं, पर इस समय हमें इन सभी प्रश्नों की चर्चा करना बहुत आवश्यक नहीं है । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि ऐसी दोहरी राष्ट्रीयता के प्रभाव को कम करने के लिये इस विधेयक में और संविधान में भी प्रयत्न किया गया है। मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ९ और विधेयक के खण्ड ८ और ९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस में यह बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य देश का राष्ट्रजन बनता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहता। यह एक जटिल प्रश्न है क्योंकि कुछ मामलों में ऐसे भी नियम होते हैं जिन के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता छोड़ नहीं सकता। चाहे वह किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिये चीन और ईरान को लीजिये । आप पायेंगे कि चीनी लोग अपनी राष्ट्रीयता कभी नहीं खोते, चाहे हीं भी जायें, इसी कठोर नियम के कारण कुछ मतभेद पैदा हो गया था और परिणामस्वरूप चीन तथा इन्डोनेशिया के बीच एक समझौता भी हुआ जिस में यह तय किया गया कि इन्डोनीशिया में रहने वाले चीनी दो वर्ष के भीतर या तो इन्डोनीशिया की राष्ट्रीयता स्वीकार कर लें या चीन वापस चले जायें। इस प्रकार आप देखेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है पर इस में कुछ दोष भी हैं और भारतीय समाचारपत्रों में भी इसे कुछ हद तक स्वीकार किया है। राष्ट्रीयता की भी कोई सीमा होनी चाहिये; वह संकीर्ण राष्ट्रीयता नहीं

होनी चाहिये । अतः हम विश्व नागरिकता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं । हो सकता है कि इस में विलम्ब लगे पर हम अपने उद्देश्य पर पहुंच रहे हैं । मेरे माननीय मित्र श्री चेट्टियार ने बताया कि हमें राष्ट्रमंडलीय नागरिकता का प्रबन्ध करना चाहिये । आज हम एक उपयोगी गुट के सम्मिलित नागरिक बन सकते हैं पर एक ऐसा समय आ सकता है जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन स्वदेशीय नागरिक बनें । वह सर्व विश्व नागरिकता होगी । यदि ऐसा दृष्टिकोण रखा जाये तो दोहरी राष्ट्रीयता की कठिनाइयों और असुविधायें अन्य नियमों द्वारा कम हो जायेंगी पर सिद्धान्त के आधार पर दोहरी राष्ट्रीयता की निन्दा नहीं की जानी चाहिये । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ने दोहरी राष्ट्रीयता के इस सिद्धान्त के विस्तार के लिये कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है । पर जो बातें बहुत जरूरी हैं उन के बारे में बताया जा चुका है । कुछ अन्य कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं । अतः हम इस सम्बन्ध में बहुत सावधान हैं । उदाहरण के लिये यदि हम यह शर्त लगाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहता है तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़ देनी चाहिये और वहां की नागरिकता छोड़ने के बाद यदि वह व्यक्ति किसी प्रविधिक बात के कारण भारत का नागरिक नहीं बन पाता तो उस की दशा बहुत खराब हो जायेगी और वह राज्यहीन व्यक्ति हो जायेगा । इसी कारण हमने बताया है कि जब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है या कोई भारतीय किसी अन्य देश का राष्ट्रजन बनना चाहता है तो उस पर यह शर्त नहीं लगाई जानी चाहिये ताकि वह कम-से-कम एक देश का नागरिक तो बना रहे । इस प्रकार हम इस समस्या को ठीक कर रहे हैं ।

यही बात जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। मैंने इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत कुछ बताया है और मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा कि हमें कुछ अग्रेतर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, जैसे यदि कोई व्यक्ति भारत में केवल जन्म लेता है तो उसे स्वभावतः भारतीय नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये । उन्हों ने बताया कि कुछ और शर्तें भी लगाई जानी चाहियें कि वह भारत के प्रति भक्त रहें, आदि । पर जहां तक इस खंड का सम्बन्ध है । मैं बता चुका हूं कि इस खंड में कोई अपवाद या सुरक्षण, आदि नहीं है । भारत में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और उस पर भारत की सभी विधियां लागू होंगी । अब हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है, यदि कोई विशेष कठिनाई होगी तो संयुक्त समिति इस सम्बन्ध में कोई भी प्रतिबन्ध लगा सकती है ।

जहां तक देशीयकरण का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि प्रत्येक विदेशी, भले ही वह राष्ट्रमंडल का सदस्य न हो या भारत से उस का किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, भारत की नागरिकता के लिये आवेदनपत्र दे सकता है । मुझे प्रसन्नता है कि कुछ माननीय मित्रों द्वारा प्रस्तावित योजनायें, न्यायिक प्रणाली से देशीयकरण को स्वीकार किया गया है। माननीय मित्र श्री भार्गव ने बताया कि इन मामलों को काफी शीघ्रता और अच्छी तरह से कार्यपालिका तय कर सकती है । पूरा ध्यान रखा जायेगा कि ऐसे मामलों में कोई भी अन्याय न होने पाये । मेरे माननीय मित्र ने सरकारी पदाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों और मंत्रियों द्वारा दिये गये आदेशों के बीच अन्तर बताने की चेष्टा की । मैं बताना चाहता हूं कि इन अधिनियमों के सम्बन्ध में मंत्री या मंत्रालय सदैव उत्तरदायी रहेगी । यदि किसी विशेष मामले में कोई कठिनाई हुई है या कोई अन्याय किया गया है तो मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा । इसी

[श्री दातार]

कारण अपीलों, पुनर्विलोकन और अन्य कामों के लिये किसी स्थायी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं समझी गयी । यह सब कार्यपालिका अधिनियम हैं और यदि किसी मामले में पुनर्विचार की आश्वकयता हो तो पुनर्विचार किया जा सकता है ।

नागरिकता के अधिकार को छीनने के लिये न्यायिक प्रक्रिया का उपबन्ध कर दिया गया है । कम-से-कम १० वर्ष के अनुभव प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी इन सभी प्रश्नों का निबटारा करेंगे । यदि मामले कार्यपालिका को सौंपे जायेंगे तो भी नागरिकता के जारी रहने या छीनने के आधारभूत प्रश्नों पर विचार करने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि उस व्यक्ति को उचित व्यक्ति के सामने मुकद्दमे में अपनी सफाई देने का अवसर मिलना चाहिये । ऐसे प्रश्नों का निबटारा एक मंडल द्वारा किया जायेगा । जिस का प्रमुख एक न्यायिक पदाधिकारी होगा । अत: आप देखेंगे कि इस प्रश्न पर भी भली प्रकार विचार कर लिया गया है ।

मेरे माननीय मित्र श्री भार्गव ने सुझाव रखा कि जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का प्रश्न है, उन्हें पंजीयन प्रक्रिया के बिना भी भारतीय नागरिक के रूप में माना जाना चाहिये। मैं उन्हें बताऊंगा कि संविधान में भी अनुच्छेद ६(ख)(२) में पंजीयन के लिये एक उपबन्ध है । उसी को आगे बढ़ाया गया है और जीकृत होने में कोई विशेष कठिनाई नहीं पड़ती । मैं उन की इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि संविधान के अन्तर्गत बहुत से लोगों का पंजीयन नहीं हो पाता और वह भारत के नागरिक नहीं माने जाते । हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति कहीं कहीं हों । पर यदि कोई शरणार्थी अभी हाल में भारत आया हो तो वह भी खण्ड ५(१)(२) के अन्तर्गत अपना पंजीयन करवा सकता है । यदि १-३-१९५६ को यह निर्णायक दिनांक मान लें तो १-३-५५ के पूर्व भारतीय उद्भव के जो लोग भारत लौट आये हों और यहां स्थायी रूप से रहना चाहते हों, उन्हें नागरिकता का अधिकार मिल सकता है । उन्हें केवल आवेदन पत्र देकर पंजीयन कराना पड़ेगा । इस में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि इस काम के लिये सरकार एक अच्छी व्यवस्था कर सकती है । आप देखेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा । आशा की जाती है कि उन सब व्यक्तियों के निर्वाचन-नामावलियों में दर्ज कर लिये जायेंगे जो नागरिक बनने के अधिकारी हैं या जो अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत नागरिक बना लिये गये हैं । हम ऐसे लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहते और न उन्हें राज्यहीनता की स्थिति में देखना चाहते हैं । अत: मेरे माननीय मित्र ने जिन कठिनाइयों की ओर संकेत किया है वे वास्तव में कोई कठिनाई नहीं हैं ।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जहां तक विवाहित स्त्रियों का प्रश्न है, हमारी विधि में बहुत उदारता दिखाई गई है । स्त्री का अधिकार पुरुष के साथ साथ नहीं रखा गया है । उस का पति विदेशी हो सकता है किन्तु स्त्री भारतीय नागरिक बनी रहेगी । स्त्री की समानता को इस विधेयक में भली भांति निभाया गया है । यदि भारतीय पति विदेशी स्त्री से विवाह करता है तो वह स्त्री भी पंजीकरण अथवा आवेदन द्वारा भारतीय नागरिक बन सकती है । सारांश यह है कि विधेयक के समस्त उपबन्धों पर भली भांति विचार करने के बाद ही उसे सभा में प्रस्तुत किया गया है ।

फिर भी संयुक्त समिति इस विधेयक की जांच कर सकती है और सुझाव दे सकती है क्योंकि जैसा माननीय गृह-मंत्री ने कहा है

हम भारतीय नागरिकता की एक पूर्व विधि संविधि पुस्तक में रखना चाहते हैं ।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : माननीय मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों को बहुत कुछ दूर करने का प्रयास किया है किन्तु बहुत सी बातें अब भी अस्पष्ट रह गई हैं । राष्ट्रमंडल की नागरिकता के बारे में श्री एस० एस० मोरे ने जो कुछ कहा था उस का खंडन करते हुए माननीय मंत्री ने बताया है कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम भारत में लागू होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम १९४८ में पारित हुआ है और उस की धारा १ में यह लिखा है कि जिन देशों से उस का सम्बन्ध है उन में भारत भी एक है । उस से यह भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्रमंडल की नागरिकता और ब्रिटिश नागरिकता, दोनों एक ही वस्तु हैं । इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयरलैंड ने अपने यहां एक पृथक नियम बनाया कि आयरलैंड के नागरिक, ब्रिटिश नागरिक नहीं कहलायेंगे । हमें चाहिये कि हम भी अपने यहां इसी प्रकार विनियमन करें ।

माननीय मंत्री ने दूसरी बात यह कही है कि राष्ट्रमंडल की नागरिकता बनाये रखने से यह लाभ है कि हम राष्ट्रमंडल के अन्य देशों में विशेष कठिनाई के बिना प्रवेश कर सकते हैं । इसका अर्थ तो यह है कि एक भारतीय को ब्रिटेन के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है किन्तु मुझे सन्देह है कि किसी भारतीय को ब्रिटेन की सरकार अपनी सेवा में नियुक्त करेगी या नहीं । मैं ब्रिटिश नागरिकता को भारत के लिये एक वरदान नहीं, अभिशाप समझता हूं ।

माननीय मंत्री ने जिस भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम का उल्लेख किया है वह तो संविधान के अनुच्छेद ३९५ द्वारा निरसित भी हो चुका है । हमारे लिये यह एक दुःख का विषय है कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम हम पर अब भी लागू होता है । वैदेशिक कार्य मंत्रालय के एक पत्र से भी यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है । वहां से एक और पत्र में यह भी लिखा हुआ था कि जब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम न बन जाये तब तक लन्दन स्थित राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध के राज्य-सचिव से इस विषय में लिखा-पढ़ी की आवश्यकता नहीं है । अतःएव हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम भी आयरलैंड का अनुकरण करें । मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या हम अब भी अंग्रेजों की विधि से बंधे हुए हैं ?

जहां तक नागरिकता के प्राप्त करने का प्रश्न है हमें बहुत अधिक उदारता नहीं दिखानी चाहिये । हम अंग्रेजी विधि का अनुकरण करते हुए यह उपबंध करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति भारत की भूमि में पैदा होगा वह भारतीय नागरिक हो सकेगा किन्तु क्या हम उन विदेशियों को भी भारतीय मान लेंगे जो अकस्मात् ही भारत में पैदा हो गये हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : कहीं अकस्मात् भी कोई पैदा होता है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा अभिप्राय यह है कि भारतीय के रक्त से जो भारत में पैदा हो, केवल उसे ही भारतीय नागरिक समझा जाये ।

जहां तक उद्भव के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां केवल पुरुष पक्षीय उद्भव को मान्यता प्रदान की गई है और स्त्री पक्ष की अवहेलना की गई है । खड ४ में ऐसा ही उपबन्ध है । दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य केवल

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

उद्भव से नागरिक है उस के पुत्र को नागरिक बनाने के लिये भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीयन कराने का बन्धन क्यों रखा गया है ? उसे स्वत: नागरिक समझा जाना चाहिये । खंड ४ के उपखंड (३) में भी पुरुष का ही उल्लेख है, अत: मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि ऐसे मामलों में स्त्री को भी नागरिकता के लिये मान्यता दी जाय ।

जहां तक देशीयकरण द्वारा नागरिकता देने का प्रश्न है, हम ने ब्रिटिश अधिनियम का अनुकरण किया है । राष्ट्रमंडल से सम्बन्धित देशों का कोई भी नागरिक पंजीयन द्वारा भारतीय नागरिक बन सकता है किन्तु अन्य देशों के लोग केवल देशीयकरण द्वारा नागरिक बनाये जायेंगे, फिर राष्ट्रमंडल के साथ यह पक्षपात क्यों किया गया है ?

अन्त में मुझे यही कहना है कि इस विधेयक के द्वारा सरकार को नागरिकता स्वीकार या अस्वीकार करने का मनमाना अधिकार दिया जा रहा है । न्यायपालिका के स्थान पर हम यह अधिकार कार्यपालिका को दे रहे हैं कि देशीयकरण के मामले में किसी की नागरिकता को वह स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है । मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति इन सब बातों पर पूर्ण रूपेण विचार करेगी । व्यक्तिगत रूप से मेरा तो मत यह है कि हमें इतना उदार होना चाहिये कि हम समस्त विश्व के लोगों को हमारे यहां की नागरिकता का अधिकार दे दें, किन्तु अभी इसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता और साथ ही साथ हमें अपने देश-वासियों के सम्मान का भी ध्यान रखना है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : यह विधेयक अधिकतर १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के आधार पर बनाया गया है । प्रसन्नता का विषय है कि यह अत्यन्त संक्षिप्त है । इस में केवल १८ खंड हैं ।

इस विधेयक के उपबन्धों पर मुझे जो आपत्ति है वह मैं संक्षेप में बताता हूं । माननीय उपमंत्री ने कहा है कि खंड २ (ख) के बारे में सरकार की नीति उन्हीं राष्ट्रमंडल के देशों पर लागू होगी जो स्वतन्त्र हैं, किन्तु ब्रिटेन के किसी भी उपनिवेश को हम स्वतन्त्र नहीं कह सकते । अत: माननीय उपमंत्री का कथन अनुचित है ।

इस के बाद माननीय उपमंत्री ने यह कहा है कि स्त्रियों के साथ विशेष उदारता दिखाई गई है । खंड ४ पर दृष्टिपात करने से तो हमें यह विदित होता है कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया है । उस में केवल पुरुष का ही उल्लेख है ।

संविधान के अनुच्छेद १५(१) के अनुसार सरकार स्त्री और पुरुष में पक्षपात नहीं कर सकती । संयुक्त समिति को इस खंड में स्त्री के लिये भी उपबन्ध करना चाहिये । खंड ४ और खंड ८ (३) में संशोधन की आवश्यकता है ।

अब मैं खंड ५ को लेता हूं जिसमें पंजीयन द्वारा राष्ट्रमंडल की नागरिकता का उपबन्ध है । उस के अनुसार राष्ट्रमंडल के किसी भी नागरिक को भारत में नागरिकता का दर्जा मिल सकता है किन्तु इस का कुछ सदस्यों ने यह अर्थ समझ लिया है कि वे स्वत: भारतीय नागरिक बन सकेंगे ।

खंड २(ग) में इस के लिये यह उपबन्ध है कि सम्बन्धित देशों के आवेदन करने पर केंद्रीय सरकार यदि चाहे तो नागरिकता को स्वीकार कर सकती है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम हम पर लागू नहीं होगा ?

सभापति महोदय : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अन्य देशों के नियम हम पर लागू नहीं होंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस के अतिरिक्त ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा ६ भी भिन्न है ।

खंड १२ में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार यदि चाहे तो पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर संबंधित देशों के किसी भी नागरिक को नागरिकता प्रदान कर सकती है । इस विषय में मैं इतना और बता दूं कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के अन्तर्गत वहां की सरकार को इस प्रकार केवल नागरिकता प्रदान करने का ही अधिकार नहीं है बल्कि यदि वह चाहे तो उन्हें नागरिकता से वंचित भी कर सकती है जब कि हमारे यहां वंचित करने का कोई उपबन्ध नहीं है ।

सभापति महोदय : ब्रिटिश विधि में पंजीबद्ध नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित करने का कोई उपबन्ध नहीं है जब कि हमारे यहां खंड ५ य ६ में इस प्रकार का उपबन्ध है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : वह तो देशींयकरण के मामले में है ।

सभापति महोदय : खंड ६ के अंतर्गत देशीयकृत नागरिकों का भी पंजीयन होता है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : खंड २२ से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । यह केवल पुष्टिकरण तक ही सीमित है, किन्तु इसे नागरिकता के अधिकार से वंचित करने तक भी विस्तृत किया जाय । राष्ट्रमंडल के सभी देशों में एक सामान्य खंड है । इण्डियन क्वार्टरली (भारतीय त्रैमासिक) के एक विद्वत्तापूर्ण लेख का निष्कर्ष यह है कि ब्रिटेन में यह व्यवस्था है कि किसी भी राष्ट्रमंडलीय देश का सदस्य बारह महीने के निवास के पश्चात्, वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर लेता है लेकिन व्यावहारिक रूप में इस का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि राष्ट्रमंडल के अधिकांश देशों में यह व्यवस्था है कि उन के नागरिक, किसी अन्य देश को नागरिकता प्राप्त करने पर अपने देश की नागरिकता से वंचित हो जाते हैं । इस लेख के लेखक अमरीका के एक विधि प्राध्यापक की क्लाइव पैरी हैं ।

आस्ट्रेलिया अधिनियम की धारा १७ में भी यह उपबन्ध है कि आस्ट्रेलिया का कोई भी नागरिक, विवाह के अलावा किसी अन्य कारण से, अन्य देश का नागरिक होने पर आस्ट्रेलिया का नागरिक नहीं रह सकता । कैनेडियन नागरिकता अधिनियम की धारा १५, दक्षिणा अफ्रीका नागरिकता अधिनियम की धारा १५, न्यूजीलैंड तथा पाकिस्तान के नागरिकता अधिनियमों में भी ऐसी ही व्यवस्था है । तब हम भी ऐसा ही उपबन्ध क्यों नहीं रख रहे हैं । मैं सभा से निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति इस प्रश्न पर विचार करे ।

अब मैं खंड ६ को लेता हूं । ओपेनहीम ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि में लिखा है कि व्यक्ति के देशीयकरण से उस की पत्नी तथा उसका अवयस्क बालक भी प्रमाणपत्र में सम्मिलित कर लिया जायेगा । वयस्कता प्राप्त करने के एक वर्ष के अन्दर वह बालक अपने देशीयकरण को स्वयं घोषित करेगा । इस प्रकार खंड ६ में पत्नी तथा अवयस्क बच्चों के देशीयकरण का अधिकार भी सम्मिलित होना चाहिये ।

अब मैं खंड ८ को लेता हूं । यह द्वैध (दोहरी) राष्ट्रीयता से सम्बन्ध रखता है । संविधान के अनुच्छेद ९ में संविधान के लागू होने के पश्चात् अर्जन की जाने वाली द्वैध राष्ट्रीयता का कोई जिक्र नहीं है इस स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है ।

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

खंड १० में यह उपबन्ध किया गया है कि वंचित करने के प्रश्न पर न्यायाधिकरण की व्यवस्था की जायेगी । राष्ट्रमंडलीय देशों में यह प्रश्न कार्यपालिका द्वारा हल किया जाता है । इस बात का भी अनुरोध किया गया है कि वंचित करनेके मामले उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय तक ले जाने चाहियें। मेरे विचार से आस्ट्रेलियन अधिनियम की पद्धति के अनुसार एक जांच समिति की नियुक्ति करना ही अधिक अच्छा होगा । जिस का अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होना चाहिये ।

अब मैं खंड १०(२)(ख) को लेता हूं। जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं इस खंड की भाषा त्रुटिपूर्ण है। इस में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिस ने अपने कार्य तथा वचनों से यह दिखाया हो ". . . . विधि के द्वारा स्थापित सरकार" इत्यादि

'दिखाया हो' शब्द केवल अतीत की ओर निर्देश करते हैं । इस की भाषा में संशोधन करना चाहिये तथा 'अथवा वर्तमान स्थिति में भी यह दिखाता हो' शब्द और जोड़ने चाहियें ।

'विधि के द्वारा स्थापित सरकार' का अर्थ संदिग्ध तथा भ्रामक है। यह एक मुहावरे की भांति प्रयुक्त होता है । इस के स्थान पर 'भारत संविधान' अथवा 'भारत संघ' शब्दों को रखना अधिक उपयुक्त होगा। इस सम्बन्ध में, मैं नागरिकता से वंचित करने के अन्य कारणों को भी जोड़ना चाहूंगा । इस के पूर्व, मैं अपने प्रस्तावित संशोधन पढ़ूंगा । मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस पर विचार करेगी । मैं ने खंड ९ तथा खंड १० पर दो संशोधन रखे थे । दोनों का प्रयोजन एक ही था कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय झंडे अथवा राष्ट्रीय चिह्न को जलाने अथवा विकृत करने का प्रयत्न करे उस को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाय । उस का भारत में कोई काम नहीं, वह अपना कलुषित मुंह ले कर जहां चाहे वहां डूब मरे । यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की भावना मानसिक विकृति के कारण भी हो सकती है तथा कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित हो सकती है, किन्तु मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति इस प्रश्न पर ध्यान दे और ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता से वंचित कर दे ।

यदि वंचित करने का प्रश्न उत्पत्ति अथवा वंशानुक्रम से सम्बन्ध रखता है तो इसके लिये न्यायिक अपील का उपबन्ध होना चाहिये । इस विधेयक पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां) : सभा ने विधेयक के वैध पहलुओं पर सूक्ष्मता से चर्चा की है। मुझ से पहले के दोनों वक्ता संविधान के पूरे ज्ञान के साथ बोल रहे थे तथा उन्होंने खंड ५(१) के उपखंड (क) को हटाने का जोरदार तर्क दिया है । उपमंत्री जाने यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों का प्रश्न कोई कठिन नहीं है उन्हों ने यह भी कहा है कि संविधान में १९ जुलाई, १९४८ के पूर्व तथा उस के पश्चात् आने वाले प्रव्रजकों में स्वयं भेद किया गया है । मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संविधान के नागरिकता वाले अध्याय में इस विधेयक के समानान्तर कोई भी उपबन्ध नहीं है ।

इस विधेयक के उपबन्धों तथा संविधान ने पूर्वी बंगाल से आने वाले प्रव्रजकों को तीन श्रेणियों में बांट दिया है । पहिले वे जो कि १९ जुलाई, १९४८ से पूर्व आये हैं, दूसरे वे जो १९ जुलाई, १९४८ से २० जनवरी,

१९५० के बीच आये हैं; तीसरे वे हैं जो २६ जनवरी, १९५० के पश्चात् आये हैं ।

२६ जनवरी, १९५० के पश्चात् भारत प्रव्रजन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या क्या थी ? सहायता तथा पुनर्वास के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई १९५५ तक प्रव्रजन का प्रमाण-पत्र लेकर आने वाले व्यक्तियों की संख्या ३२ लाख थी ।

इन में से १९ जुलाई, १९४८ के पूर्व भारत आने वाले व्यक्तियों की संख्या दो लाख से अधिक नहीं थी । अवशेष ३० लाख व्यक्तियों से २६ जनवरी, १९५० तक याचिका देने को कहा गया था लेकिन उन्हों ने कोई आवेदन नहीं किया ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अब उपमंत्री जी सोचते हैं कि ३० लाख व्यक्तियों को पंजीयित करना कठिन नहीं है। उन्हों ने कहा है कि चुनाव आयोग यह चाहता है कि १ मार्च, १९५६ तक सभी मतदान के पात्र व्यक्तियों को पंजीयित करा लेना चाहिये ।

श्री दातार : मैं ने यह नहीं कहा है कि उन्हें उस तारीख तक अपने को पंजीयित करा लेना चाहिये । यह एक महत्वपूर्ण तारीख है ।

श्री बर्मन : मैं आप को केवल मामले की बृहत्ता बता रहा हूं । संविधान के लागू होने के पश्चात् सरकार ने कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जिस के अन्तर्गत शरणार्थियों को पंजीयित किया जा सके । सरकार सोचती है कि ये तीस लाख व्यक्ति बड़ी सरलता से पंजीयित हो जायेंगे । साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान रखना है कि औसतन बीस हजार शरणार्थी पूर्वी बंगाल से प्रतिदिन प्रव्रजन कर रहे हैं ।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम संविधान का ही अनुगमन कर रहे हैं । संविधान के अनुसार १९ जुलाई, १९४८ के पश्चात् आने वाले सभी व्यक्ति स्वयंमेव भारत के नागरिक माने जायेंगे । क्या माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर कोई ऐसी तारीख निश्चित करने को तयार हैं जिस तारीख तक आये हुए सभी प्रव्रजक स्वयंमेव नागरिक हो जायेंगे तथा जो लोग उस निश्चित तारीख के पश्चात् आयें उन्हें पंजीयित कर लिया जाये ? मैं आशा करता हूं कि उन्हें मंत्री जी तथा प्रवर समिति, मामलों की बृहत्ता को ध्यान में रख कर, मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगी ।

यह विधेयक संविधान के सिद्धान्तों पर आधारित किया गया है । किन्तु खंड ५ शरणार्थियों के लिये अपमानजनक है क्योंकि उन्हें पंजीयन का शुल्क देना पड़ेगा जो कि पांच रुपये से दस रुपये तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से है यह बात निःसन्देह लज्जास्पद है ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : सभा में गणपूर्ति नहीं है । मुझे खेद है कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होते हुए भी सभा में गणपूर्ति नहीं होती ।

सभापति महोदय : मैं अब घंटी बजाऊंगा गणपूर्ति हुई है । माननीय सदस्य ध्यान से कार्यवाही में भाग लें ।

श्री बर्मन : उप खंड (क) में कहा गया है कि व्यक्ति कम-से-कम एक वर्ष भारत में रह चुका हो, जब कि संविधान के अनुच्छेद ६ में यह अवधि केवल ६ महीने दी गई है । इस लिये मैं माननीय मंत्री से यह पूछता हूं कि इस धियेक के अधीन जब द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति पंजीयित होंगे तो क्या अवधि को घटा कर ६ महीने कर दिया जायेगा ?

दूसरी बात यह है कि पंजीयन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय ही अन्तिम माना गया है, किन्तु इस के अलावा कुछ अन्य बातें भी ऐसी हैं

[श्री बर्मन]

जिन से शरणार्थियों की भावनाओं को ठेस लग सकती है ।

खंड १०, उपखंड (२) (ख) में कहा गया है कि "नागरिक ने भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति कार्य अथवा वचन से अनिष्ठा या अप्रीति दिखाई है" इत्यादि, क्योंकि इस से प्रत्येक व्यक्ति इस बात से आशंकित रहेगा कि कभी भी उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है । इस के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं हो सकती है ।

उपखंड (२) (घ) में कहा गया है कि 'पंजीयित होने के पांच वर्षों के अन्दर किसी देश में १२ महीनों की अवधि के लिये बन्दी गृह में गया हो . . .' इत्यादि यह भी इन्हीं प्रव्रजकों पर लागू होगा। इस प्रकार का विभेद क्यों किया गया है । इस खंड के अधीन नागरिकता प्राप्त करना तो लज्जास्पद बात होगी । इस प्रकार का खंड रखना अनुचित है । इस प्रकार का विधान बनाना जिस में नागरिक और नागरिक के बीच विभेद हो, अनुचित है, वे बेचारे पहिले ही पीड़ित हैं और पशुओं का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । उन के लिये पूर्वी बंगाल में स्थान नहीं है । तथा पश्चिमी बंगाल में वे लोग पूरी तरह नहीं बस पाये हैं ऐसी स्थिति में इस प्रकार का विभेद अनुचित है । इसलिये मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह खंड ५ में से उपखंड (क) को हटा दे ।

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार का अभिप्राय पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को परेशान करने अथवा उन का अपमान करने का नहीं है । मुझे पूरा विश्वास है कि जिन प्रश्नों पर उन्हों ने आग्रह किया है उन सब पर संयुक्त समिति विचार करेगी तथा इस सम्बन्ध में जो कुछ भी प्रवर समिति करेगी, सरकार उसे स्वीकार करेगी ।

श्री बर्मन : मैं उपमंत्री जी को उन के आश्वासन के लिये धन्यवाद देता हूं । मेरे विचार से खंड ९ में कुछ परस्पर विरोधी बातें हैं । सारांश यह है कि यदि भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से हाथ धोना पड़ता है । किन्तु यदि राष्ट्रमंडलीय देशों में से किसी का नागरिक भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो उस के पास दोनों देशों की नागरिकता सुरक्षित रहती है । इस प्रकार का विभेद अनुचित है । मैं प्रार्थना करूंगा कि संयुक्त समिति इस प्रश्न पर विचार करे ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुण्टूर) : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने ठीक ही कहा है कि इस विधान का किसी दल से कोई संबंध नहीं है । मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस विधेयक के उपबन्धों की जांच पड़ताल और उन का परीक्षण निष्पक्ष भाव और गंभीरता पूर्वक किया जायेगा । माननीय मंत्री ने यह भी बताया कि अब वह समय बहुत दूर नहीं है जब गोआ के निवासी भारत के नागरिक हो जायेंगे ।

माननीय गृह-कार्य उपमंत्री द्वारा कही गई बातों के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है । उन्हों ने बताया है कि उन के विधान में भारत की नागरिकता के सम्बन्ध में अधिकारों और कर्तव्यों की परिभाषा नहीं की गई है । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है तो क्या संविधान या अन्य किसी विधि द्वारा लागू होने वाले सभी कर्तव्य और अधिकार, उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे ? अतः उनका यह

कहना ठीक नहीं कि हम नागरिकता के कर्तव्यों और अधिकारों पर विचार नहीं करेंगे। खंड ११ और १२ के सम्बन्ध में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। चीन तथा दक्षिण-पूर्व एशिया आदि देशों क लोगों के लिये भी खण्ड ११ और १२ की सुविधायें दी जायें। इस सम्बन्ध में मैं उन से सहमत नहीं हूं। आज हमारे देश की स्थिति संसार के देशों की नजरों में पंचशील के कारण बहुत ऊंची समझी जाती है। अत: पंचशील के आधार पर विकसित संबंधों पर ही खंड ११ और १२ के उपबन्धों का प्रचार और विकास किया जाना चाहिये। राष्ट्रमंडल के देशों की बात करते समय उन्हों ने बताया कि उन का अभिप्राय स्वशासित देशों से है पर विधेयक से पता लगता है कि ब्रिटेन के उपनिवेश भी उस में सम्मिलित हैं। यह एक सन्देहात्मक बात है।

दोहरी नागरिकता के सम्बन्ध में माननीय उपमंत्री ने बहुत सी कठिनाइयों की चर्चा की हमारा देश सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न प्रजातन्त्र गणराज्य है। हम अपनी तथा अन्य देशों की प्रादेशिक अक्षुण्यता को मानते हैं और इस की रक्षा नागरिकों द्वारा एक निष्ठा के बल पर ही हो सकती है। दोहरी नागरिकता का अर्थ है अखण्ड नागरिकता का अभाव और अखण्ड नागरिकता के अभाव से देश की सुरक्षा को धक्का लगेगा और प्रादेशिक अक्षुण्यता भी नष्ट हो जायेगी। पंचशील के अनुसार हमें किसी प्रकार की दोहरी नागरिकता में विश्वास नहीं करना चाहिये।

खण्ड ३ के सम्बन्ध में मेरा भी यही मत है कि जहां भी कहीं पुरुष पीढ़ी शब्द आये तो उसे काट दिया जाये और पुरुष पीढ़ी तथा स्त्री पीढ़ी में कोई अन्तर न रखा जाय।

अब मैं खंड ५ को लेता हूं। खंड ५ (१) (२) की व्याख्या में बताया गया है कि पाकिस्तान राज्य क्षेत्र से भारत में आने वाले भी इस में शामिल हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री बर्मन ने कहा कि पाकिस्तान से आये हुए लोगों के साथ एक भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिये। पर मैं पूछता हूं कि क्या उन लोगों को हम ने यह आश्वासन नहीं दिया था कि हम तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और यदि किसी कारणवश उन्हें भारत आना पड़ा तो हम उन्हें अपने भाई की तरह समझेंगे। यदि आप उन्हें पंजीयन की सुविधा देने के साथ साथ निर्वासित करने की धमकी देंगे तो हम अपने वायदों से हटेंगे।

खंड ५(१) (ङ) के अनुसार हम किसी मूल भारतीय निवासी या पंजीयन के लिये प्रार्थना पत्र देने के एक वर्ष से रहने वालों को नागरिकता का अधिकार देना चाहते हैं। इस प्रकार विदेशी विनियजकों को हम नागरिकता का अधिकार देना चाहते हैं। इस प्रकार हमारे उद्योगों की प्रगति भला कैसे हो सकती है अत: प्रवर समिति को इस विशेष पहलू पर भी ध्यान देना चाहिये।

खण्ड ८(२) में नागरिकता की समाप्ति की चर्चा की गई है कि जब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो उस क अवयस्क बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं रह जायेंगे। इस खंड में व्यक्ति में स्त्री और पुरुष का भेद स्पष्ट नहीं किया गया है। अत: यदि कोई व्यक्ति नागरिकता का अधिकार छोड़ देता है और उस की पत्नी नागरिक रहती है तो भी क्या बच्चे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। बच्चों पर माता पिता दोनों का बराबर अधिकार है। यदि कोई स्त्री भारत की नागरिकता छोड़ देती है या भारत की नागरिक नहीं रहती तो भी उस के बच्चे नागरिक नहीं रह पायेंगे। अत: मैं निवेदन करूंगा कि इस खण्ड को इस प्रकार सुधारा जाये कि इस में इस प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाय। इस खंड के उप खंड (३) में बताया गया है कि कोई भी स्त्री जो विवाहित है, उसे

[श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्]

वयस्क माना जायेगा, चाहे उस की आयु कुछ भी हो। मैं निवेदन करूंगा कि संयुक्त समिति इस बात पर भी विचार करे कि यदि कोई स्त्री १८ वर्ष की आयु से कम आयु में विवाहित हो जाती है तो क्या उसे नागरिकता के अधिकारों के सम्बन्ध में स्वविवेक से काम लेने का अधिकार होगा ।

खण्ड ९ में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ज्यों ही भारत की नागरिकता छोड़ देगा या किसी अन्य देश की नागरिकता के लिये आवेदन पत्र देगा या किसी देश में देशीयकरण के लिये उम्मेदवार बनेगा त्यों ही वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। मैं कहता हूं कि इस बात को कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था में वह स्वभावतः भारत का नागरिक नहीं रह पायेगा।

खण्ड १०, उपखण्ड (२) (ख) में बताया गया है कि "जो व्यक्ति अपने कामों से सरकार के प्रति भक्तिहीनता या असम्मान प्रकट करेगा"..। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस में सरकार के प्रति भक्तिहीनता की बात न हो कर संविधान के प्रति भक्तिहीनता की बात होनी चाहिये ।

खण्ड ११ और १२ में दोहरी नागरिकता की बात कही गयी है और अन्य देशों के लोग जिन्हें भारतीय नागरिकता दी जायेगी इसके साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। अतः मैं संयुक्त समिति से निवेदन करूंगा कि वह इन सभी बातों पर विचार करे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहता पर हमें ऐसा लगता है कि हम अन्य लोगों के प्रति अपने से भी अधिक उदार हैं । आज दुनिया स्वार्थी हो गयी है । बर्मा और श्री लंका आज हमें नागरिकता का अधिकार देने को तैयार नहीं हैं ।

खंड ८ और १० को देखने पर पता लगता है कि यदि एक व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों के कारण भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो उसे भारत की नागरिकता यदि वह बाद में भारत आना चाहे, नहीं दी जायेगी । मैं समझता हूं कि ऐसा उपबन्ध अनुचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि वह व्यक्ति दोबारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मुझे खेद है कि मैं ने गलत बात कही ।

खण्ड ५ (३) में ऐसी बात कही गई है। हम विदेशियों को भारत की नागरिकता देना चाहते हैं । पर स्वयं अपने देशवासियों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं होगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : केन्द्रीय सरकार को अधिकार है, पर केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी याचिका को स्वीकार करती है या नहीं, इस का कोई कारण बताने की उसे आवश्यकता नहीं है और न ही उसकी अपील कहीं हो सकती है। पर भारत के जो लोग कोरिया, बर्मा या अन्य देशों में जा बसे हैं, उन की इच्छा इस बात की है होगी कि वह भारत में पुनः आयें । अतः भारतीय उद्भव के लोगों पर यह प्रतिबन्ध उठा दिया जाये। वास्तव में यह इच्छा इतनी उत्कृष्ट होती है कि लोग दो-दो पीढ़ियों के बाद भी अपनी मातृभूमि को लौटना चाहते हैं । हो सकता है कि आप के सभी बच्चे वहीं पैदा हुए हों, संभवतः आप के पिता भी वहीं पैदा हुए थे। ऐसी परिस्थिति में जब आप वापिस आना चाहते हों, और वह भी भारतीय नागरिकता छोड़ कर, तो इस प्रकार के उपबन्ध से आप को अड़चन होगी। अतः उन लोगों के लिये भी एक उपबन्ध होना चाहिए

जो भारतीय उद्भव के हैं और अपने इस देश को लौटना चाहते हैं। मैं पूर्वी पाकिस्तान या और कहीं की बात नहीं कर रहा, वह समस्या इस समय मेरी नजरों से ओझल है। हो सकता है कि पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी बड़े पैमाने पर ऐसी बात हो। अब चूंकि सरकार ने इस बात की शक्ति अपने पास ही रखी है अतः इस प्रकार की विधि बनाना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि किन विशेष कारणों से अमुक व्यक्ति को वापस भारत आने और यहां का नागरिक कहाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसीलिये मेरा यह निवेदन है कि खण्ड ५ और १० में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

एक और बात भी है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय दो देशों का राष्ट्रजन नहीं हो सकता। हम भी दोहरी नागरिकता के सिद्धान्त को मान्यता नहीं देते। अतः मैं पूरी तरह से इस उपबन्ध को नहीं समझ सकता :-

"यदि पूरी आयु और सामर्थ्य का कोई भारतीय नागरिक जो एक और देश का नागरिक या राष्ट्रजन भी है . . . ."

जब भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होने की घोषणा करता है और किसी ऐसे देश का नागरिक बन जाता है जिस के प्रति वह भक्ति और निष्ठा की घोषणा करता हो तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता।

इस विधि में कोई भी दंड सम्बन्धी उपबन्ध नहीं यद्यपि ऐसी स्थिति में पंजीयन के रद्द किये जाने का एक खण्ड है जब कोई व्यक्ति गलत बयान अथवा जालसाजी द्वारा अपने को भारत के नागरिक के रूप में घोषित कराता है अथवा अपने को भारत में पंजीयित या देशाकृत कराने की घोषणा करता है। किन्तु ऐसे व्यक्ति कभी कभी शरारत भी कर सकते हैं। जिस समय कोई व्यक्ति भारतीय होने की घोषणा करता है, उसी समय से उसे भारत में मतदाता बनने का अधिकार मिल जाता है। इस तरह निर्वाचनों के समय पूर्वी या पश्चिम पाकिस्तान से लोग आ सकते हैं और मतदाता बन कर गड़बड़ कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अंग्रेज नागरिक बन सकता है और विधान सभा के किसी स्थान के लिये खड़ा हो सकता है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : भारत का नागरिक बनने पर वह ऐसा कर सकता है। किसी भी नागरिक का विधान-सभा का सदस्य बनने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। एक और बात भी है कि भारत का नागरिक बनने के साथ ही वह मतदाता बनने का भी अधिकारी है। उस के नागरिक बनने के बाद यदि इस बात का पता चल जाये कि उस ने गलत बयान दिया या कोई जालसाजी की—ये सब बातें जिन के आधार पर नागरिकता रद्द की जा सकती हैं—तब भी उस की नागरिकता रद्द करने के लिये उन्हें पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। इस अधिनियम में यह उपबन्ध भी होना चाहिये कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार कार्यवाही की हो उसे दण्ड दिया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : खण्ड १६ में ६ महीने के कारावास का उपबन्ध है।

श्री दातार : क्या माननीय सदस्य खण्ड १६ देखेंगे ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : हां, श्रीमान्। यह तो है ही। मैं और एक कदम आगे बढ़ना चाहता था, और वह यह है कि उसे न केवल दंडित किया जाता बल्कि उसे बाहर निकाल दिया जाता। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा उपबन्ध हो। ऐसे विदेशी को हम यहां क्यों रहने दें और पलने दें ? उसे देश निकाला देने के लिये क्या उपबन्ध है ? जब हम एक बार ऐसा देख लेते हैं कि अमुक व्यक्ति भारत का नागरिक

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

न होते हुए भारत में प्रवेश करता है और अपना नाम यहां पंजीयित कराता है तो उसे यहां से निकाल देने के लिये आप ने क्या उपबन्ध रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या विदेशीय अधिनियम नहीं है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : वह राज्यविहीन है । आप उसे कहां भेजेंगे, यही सारी समस्या है ।

श्री एस० एस० मोरे : उस के मूल राज्य में ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : किन्तु ऐसा उपबन्ध कहां है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तर्राष्ट्रीय विधि तो है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि नागरिकता अधिनियम में ही इस तरह का उपबन्ध किया जाना चाहिये कि ऐसा व्यक्ति यहां से हटाया जाय और उसे अपने उस मूल राज्य में भेजा जाय ।

श्री वीरस्वामी (मयूरम्-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रारम्भ में अपने मित्र श्री एस० वी० रामस्वामी की उस एक बात का उत्तर देना चाहता हूं जो उन्होंने द्रविड़ फैडेरेशन और राष्ट्रीय झण्डे के सम्बन्ध में कही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां नागरिकता, उस की ग्राह्यता, त्याग, समाप्ति, आदि से सम्बद्ध हैं । झण्डे की बात कहां से आई ? यह सब असंगत है । माननीय सदस्य विषय से संगत बात कहें ।

श्री वीरस्वामी : मुझे इस बात को बहुत अधिक प्रसन्नता है कि हम भारती नागरिक राष्ट्रमण्डल के भी नागरिक बन रहे हैं । जब सारा विश्व एक होने जा रहा है तो अधिक व्यापी नागरिकता सुखद बात है किन्तु साथ ही हमें राष्ट्रमंडल में अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिये । हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और अपनी नागरिकता को राष्ट्रमंडल के अन्य देशों अर्थात् ब्रिटेन आस्ट्रेलिया, केनाडा, पाकिस्तान आदि तक भी बढ़ा रहे हैं । जब हम ऐसा कर रहे हैं और राष्ट्रमंडल के इन देशों के औपचारिक नागरिक बन रहे हैं, तो हमारे और इन देशों के बीच अधिक निकट सम्बन्ध होने चाहिए । यदि ऐसी बात न हो तो हमारा राष्ट्रमंडल के इन देशों का औपचारिक नागरिक होने का क्या लाभ ? इस सभा में हर एक को मालूम है कि श्री लंका स्थित १० लाख भारतीय किस प्रकार पीड़ित हैं ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी (वान्दिवाश) : श्रीमान्, भाषण कल ही जारी होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल ही भाषण जारी रखेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।